Monday, 4 Decemeber, 1961

द्वितीय माला, खण्ड ६०—अंक ११

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. 74
17.1.62

लोक-सभा वाद-विवाद

(पन्द्रहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

(खण्ड ६० में अंक ११ से अंक १६ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

Preservation Unit
Fumigated
Ou 3.12.83
Parliament Library

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड ६०—अंक ११ से १६—२ से ८ दिसम्बर, १९६१/११ से १७ अग्रहायण, १८८३ (शक)]

पृष्ठ

अंक ११—शनिवार, २ दिसम्बर, १९६१/११ अग्रहायण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९१, ४९२, ४९४ से ४९६, ४९८, ४९९, ५०१ से ५०५, ५०९, ५१०, ५१३, ५१६, ५१९, ५२१ से ५२४ और ५२६ . . . १२५९—८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९३, ४९७, ५००, ५०६ से ५०८, ५११, ५१२, ५१४, ५१५, ५१८, ५२० और ५२५ . . . १२८५—९०

अतारांकित प्रश्न संख्या १००१ से १०८१ . . . १२९०—१३२३

स्थगन प्रस्ताव—

निभानी में पुलिस द्वारा की गई कथित ज्यादतियां . . . १३२३—२४

अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव की ओर ध्यान दिलाना

हिन्दूस्तान मोटर्स को विशेष रेलगाड़ी का दिया जाना . . . १३२४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १३२५—२६

राज्य सभा से सन्देश . . . १३२६

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक पटल पर रखे गये . . . १३२६

सदस्य की गिरफ्तारी . . . १३२७

भारत के राज्य व्यापार निगम लिमिटेड के कृत्यों और गतिविधियों के बारे में एक वक्तव्य . . . १३२७

सभा का कार्य . . . १३२७—२८

विधेयक पुरस्थापित

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक . . . १३२८

गोदी कर्मचारी (रोजगार का विनियमन) संशोधन विधेयक १९६१ . . . १३२८

दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक १९६१ . . . १३२९

वर्ष १९६१—६२ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) . . . १३२९—३४

बड़ी रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव . . . १३३४—४१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरस्थापित—

(१) हिंदू उत्तराधिकार संशोधन विधेयक, १९६१ (नई धारा २३क का रखा जाना) [श्री अजित सिंह सरहदी का] . . . १३४१

विषय	पृष्ठ
(२) चलचित्र उद्योग कर्मचारी (कार्य की दशा में सुधार) विधेयक १९६१ [श्री गोरे का] . .	१३४१
(३) नारियल जटा उद्योग (संशोधन) विधेयक, १९६१ (धारा १०, २०, २१ और २६ का संशोधन) [श्री सं० चं० सामन्त का]	१३४२
(४) अखिल भारतीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१, [श्री अ० त्रि० शर्मा का] . . .	१३४२
(५) असैनिक उड्डयन (लाइसेंस देना) विधेयक, १९६१ [श्री अमजद अली का]	१३४२
धार्मिक पूजा स्थानों का प्रत्यावर्तन विधेयक, १९६१ [श्री प्रकाशवीर शास्त्री का] अस्वीकृत	१३४३–४७
विचार करने का प्रस्ताव . .	१३४३—४७
दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा १४ का संशोधन) [श्री तंगामणि का] वापस ले लिया गया	१३४७–५०
विचार करने का प्रस्ताव	१३४७—५०
दंड प्रक्रिया संशोधन विधेयक, १९५९ (धारा ४८८ का संशोधन) [श्री अजित सिंह सरहदी का] .	१३५०–५३
विचार करने का प्रस्ताव	१३५०—५३
पटसन का मूल्य विधेयक, १९५९ [श्री झूलन सिंह का] .	१३५३–५४
कार्य मंत्रणा समिति—	
सड़सठवां प्रतिवेदन . .	१३५४
दैनिक संक्षेपिका . .	१३५५—६३
अंक १२—सोमवार, ४ दिसम्बर, १९६१/१३ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५२७, ५२९ से ५३१, ५३३ से ५३६ और ५३८ से ५४७	१३६५—८९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५२८, ५३२, ५३७ और ५४८ से ५६७ . .	१३९०—१४००
अतारांकित प्रश्न संख्या १०८२ से ११९२ . .	१४००—५०
स्थगन प्रस्ताव—	
१. जामा मस्जिद क्षेत्र में बम विस्फोट .	१४५०–५२
२. लन्दन हवाई अड्डे पर भारतीयों को उतरने की अनुमति देने से तथाकथित इन्कार	१४५२

विषय	पृष्ठ
३. चौद्वार में उड़ीसा टेक्सटाइल मिल्स का बन्द होना .	१४५२–५३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––	
ब्रिटेन का राष्ट्रमंडल आप्रवास विधेयक . .	१४५३––५५
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१४५५
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . .	१४५५
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति––	
छब्बीसवां प्रतिवेदन . .	१४५५
विधेयक पुरस्थापित––	
(१) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६१ .	१४५६
(२) विश्व भारती (संशोधन) विधेयक, १९६१ .	१४५६
कार्य मंत्रणा समिति––	
सड़सठवां प्रतिवेदन . . .	१४५६
चीनियों द्वारा अतिक्रमण के बारे में चर्चा .	१४५७––८२
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१–६२ .	१४८३––८६
कोयला खान भविष्य निधि योजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा	१४८६––८८
दैनिक संक्षेपिका	१४८९––९६
अंक १३––मंगलवार, ५ दिसम्बर, १९६१/१४ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ५७०, ५७२, ५८८, ५७४ से ५७८, ५९४, ५७९ और ५८० . . .	१४९७––१५२२
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ५७१, ५७३, ५८१ से ५८७, ५८९ से ५९३ और ५९५ से ६१६	१५२३––३८
अतारांकित प्रश्न संख्या ११९३ से १३१७, १३१९ और १३२१ से १३२९	१५३९––९७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––	
राजहरा और नन्दिनी खानों के दस हजार मजदूरों की कथित छंटनी .	१५९७
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	१५९८––१६००
तारांकित प्रश्न संख्या १४७ के उत्तर में शुद्धि . . .	१६००–०१
सरकारी उपक्रमों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव के संबंध में .	१६०१
विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६१––पारित . .	१६०१–०२
चीनियों द्वारा अतिक्रमण के बारे में चर्चा . . .	१६०२––०९

विषय	पृष्ठ
संविधान (ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, १९६१ . .	१६०९—२३
खंड २, ३ और १	१६२२–२३
पारित करने का प्रस्ताव	१६२३
सभा का कार्य	१६२४
कलिंग एयरलान्इस के बारे में चर्चा	१६२४—२९
दनिक संक्षेपिका	१६३०—३९

अंक १४—बुधवार, ६ दिसम्बर, १९६१/१५ अग्रहायण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६१७, ६१९ से ६२३, ६२३–ख, ६२४, ६२५, ६२५–क, ६२६, ६३० से ६३३ और ६३३–क . .	१६४१—६५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६१८, ६२३–क, ६२७ से ६२९, ६३४, ६३५, ६३५–क, ६३५–ख, ६३६ से ६३८, ६३८–क, ६३९ से ६४१, ६४१–क, ६४१–ख, ६४२, ६४२–क, ६४३ से ६४५, ६४५–क और ६४५–ख	१६६५—७६
अतारांकित प्रश्न संख्या १३३० से १४१७, १४१९ से १४२५, १४२५–क से १४२५–य और १४२५–कक से १४२५–णण . .	१६७६—१७३७
निधन सम्बन्धी उल्लेख	१७३७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
केरल कृषक संबंध अधिनियम की क्रियान्विति .	१७३७–३८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१७३८–३९
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
इक्यानवैवां प्रतिवेदन . . .	१७३९
प्राक्कलन समिति—	
एकसौ अड़तालीसवां प्रतिवेदन	१७४०
लोक लेखा समिति—	
उन्तालीसवां प्रस्ताव	१७४०
अनुपस्थिति की अनुमति . .	१७४०
सभा का कार्य . . .	१७४०–४१
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१–६२ .	१७४१—४५
नयोग (संख्या ५) विधेयक, १९६१—पुरस्थापित और पारित .	१७४५–४६

विषय	पृष्ठ
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९६१--	
विचार करने का प्रस्ताव	१७४६—५०
खंड २ और १ . . .	१७५०
पारित करने का प्रस्ताव	१७५०
विश्वभारती (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	१७५१--६०
खंड २ से १६ और १	१७५९-६०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	१७६०
दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक--	
पारित करने का प्रस्ताव	१७६०--६४
खंड २ से ४ और १	६७६३-६४
पारित करने का प्रस्ताव	१७६४
लाख पर निर्यात शुल्क के बारे में	१७५४—६७
दैनिक संक्षेपिका .	१७६८--७७
अंक १५--गुरुवार, ७ दिसम्बर, १९६१/१६ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ६४६, ६४८, ६५१ से ६५८, ६५८-क, ६५९ से ६६२ और ६६५ .	१७७९--१८०२
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ६४७, ६४९, ६५०, ६६२-क, ६६३, ६६४, ६६६, ६६६-क, ६६७ से ६७२, ६७२-क, ६७२-ख और ६७३	१८०२--०९
अतारांकित प्रश्न संख्या १४२६ से १५६५ और १५६५-क	१८१०—७०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों को काम में न लाना	१८७०-७१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१८७२-७३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
कार्यवाही सारांश .	१८७३
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति --	
कार्यवाही सारांश .	१८७३
याचिका समिति--	
कार्यवाही सारांश	१८७३
राज्य सभा से सन्देश	१८७३

विषय	पृष्ठ
याचिका समिति—	
चौदहवां प्रतिवेदन	१८७४
प्राक्कलन समिति—	
एक-सौ चवालीसवां और एक-सौ छियालीसवां प्रतिवेदन	१८७४
याचिका का उपस्थापन . .	१८७४
तारांकित प्रश्न संख्या २४६ के उत्तर में शृद्धि	१८७४
संघ राज्य क्षेत्रों की प्रशासन-व्यवस्था के बारे में वक्तव्य	१८७५–७६
धार्मिक न्यास विधेयक	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित करने का समय बढ़ाना	१८७६
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव	१८७६—१६०२
सभा का कार्य	१६०२
दनिक संक्षेपिका	१६०३—११
अंक १६—शुक्रवार, ८ दिसम्बर, १६६१/१७ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६७४, ६७५, ६८१, ७१६, ६७६, ६८०, ६८२, ७८३, ६८५ से ६८६, ६६१ और ६६७	१६१३—३७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६७७, ६७८, ६७६, ६८४, ६६२ से ६६६, ६६८ से ७००, ७००–क, ७०१ से ७१८ और ७२० से ७२२ .	१६३८—५२
अतारांकित प्रश्न संख्या १५६६ से १७०३ और १७०५ से १७१५ .	१६५२—२०१४
स्थगन प्रस्ताव—	
(१) पूर्व जर्मनी में भारत के कुछ राज्य क्षेत्रों को चीन का भाग दिखाने वाले नकशों का प्रकाशन . . .	२०१४–१५
(२) दिल्ली पुलिस द्वारा ६५ प्रतिशत अपराध के मामलों के दर्ज न किये जाने की सूचना .	२०१५
(३) दामोदर घाटी निगम द्वारा कलकत्ता और उसके उपनगरों को बिजली का न दिया जाना	२०१५–१६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
(१) अगरतला में अग्निकांड से कथित मृत्यु तथा सम्पत्ति की हानि	२०१६
(२) लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की हड़ताल	२०१६–१७

पृष्ठ

(३) कोयम्बटूर में इंजीनियरिंग के कारखानों को कोयला संभरण में कमी . . . . २०१७—१८

सूचना का विषय—

सामान्य चुनाव . . . २०१८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . २०१८—२१

राजखरसवां बड़ाजामदह लाइन को दोहरा करने के बारे में वक्तव्य २०२१

आश्वासनों सम्बन्धी समिति—

कार्यवाही सारांश २०२२

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—

(१) कार्यवाही सारांश . २०२२

(२) तेरहवां प्रतिवेदन . २०२२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . २०२२

प्राक्कलन समिति—

एक-सौ तैंतालीसवां, एक सौ पैंतालीसवां और एक सौ सैंतालीसवां प्रतिवेदन . . २०२२—२३

तारांकित प्रश्न संख्या ४८१ के उत्तर में शुद्धि . . २०२३

व्यापार मंत्रियों की बैठक में सम्मिलित होने के लिये जैनेवा यात्रा के बारे में वक्तव्य २०२३

कैनेडा की एक फर्म के द्वारा मोटर के पुर्जों के संभरण सम्बन्धी सचिवों की एक विशेष समिति के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य . . २०२३

बड़ी-बड़ी रेल दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव २०२३—३२

सभा का कार्य . . २०३२

लौह अयस्क की खानें श्रमिक कल्याण उप-कर विधेयक २०३३—३५

खंड २ से ८ और १ . २०३५

पारित करने का प्रस्ताव

श्री ल० ना० मिश्र २०३५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति इक्यानब्बेवां प्रतिवेदन . . . २०३५—३६

गोआ, दमन और दीव से पुर्तगालियों को हटाने के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . . . . . २०३६—३८

लोक सभा के सदस्यों की वेश भूषा के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . २०३८—४२

विषय	पृष्ठ
अनिवार्य सैनिक शिक्षा के बारे में संकल्प .	२०४२—५४
ईसाई धर्म प्रचारकों के बारे में आधे घंटे की चर्चा	२०५५—६०
दैनिक संक्षेपिका . .	२०६१—७३
पन्द्रहवें सत्र की कार्यवाही संक्षेप	२०७३—७५

नोट: मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GMGIPND—LS III—1651(AI)LS—11-1-62—125.

लोक-सभा

सोमवार, ४ दिसम्बर, १९६१
१३ अग्रहायण, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

डाक तथा तार सेवा आयोग

*५२७. श्री राधा रमण :
श्री श्रीनारायण दास :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय डाक तथा तार सेवा के लिये एक पृथक सेवा आयोग बनाने के बारे में विशेष अधिकारी के प्रतिवेदन पर सरकार ने अन्तिम रूप से विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या आयोग बन गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस के सदस्य कौन हैं और ऐसे निकाय अथवा निकायों के कार्य-करण के लिये क्या नियम हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) प्रयोगात्मक आधार पर डाक तथा तार सेवा सिलेक्शन बोर्ड स्थापित करने का निश्चय किया गया है ;

(ग) १-१२-१९६१ से बोर्ड की प्रारम्भिक तैयारी कर दी गई है ।

(घ) डाक तथा तार सेवा सिलेक्शन बोर्ड में एक सभापति, सचिव और अन्य सहायक कर्मचारी होंगे । शुरु-शुरु में यह सिलेक्शन बोर्ड उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के डाक तथा तार सर्किलों और दिल्ली डाक सर्किल और दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट के लिये क्लर्कों

---

†मूल अंग्रेजी में

1632 (Ai) LSD—1.

की बाहर से भर्ती करेगा। यह बोर्ड समय-समय पर डाक तथा तार बोर्ड द्वारा जारी की जाने वाली प्रशासन सम्बन्धी हिदायतों के अन्तर्गत कार्य करेगा।

†**श्री राधा रमण** : इस बोर्ड के कितने सदस्य होंगे और क्या इसके पुनर्गठन और सदस्यों के परिवर्तन के लिये कोई अवधि निश्चित की गई है ?

†**श्री राज बहादुर** : जैसा कि अपने उत्तर में मैं ने बताया पहले पहल इसका एक सभापति, एक सचिव और अन्य सहायक कर्मचारी होंगे। ज्यों-ज्यों इसका विकास होगा और ततीय श्रेणी के सभी कर्मचारियों की भर्ती इनके द्वारा होने लगेगी और इंस्पेक्टरों आदि की पदोन्नतियां इन्हीं के द्वारा होने लगेगी तो इन के लिये एक सभापति और दो अन्य कनिष्ट प्रशासन सेवा के दो सदस्यों की व्यवस्था कर दी जायेगी। इस में कोई सन्देह नहीं कि नियुक्त किये जाने वाले पदाधिकारियों की अवधि निश्चित होगी।

†**श्री राधा रमण** : क्या सरकार ने इस बोर्ड के कार्य करने के लिये कोई नियम बनाये हैं अथवा यह बोर्ड नियमों से मुक्त होगा ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं बता चुका हूं कि प्रयोग की प्रगति और उसके परिणामों को देखते हुए डाक तथा तार बोर्ड समय-समय पर नियम और हिदायतें जारी करता रहेगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या बोर्ड के सदस्य और सभापति डाक तथा तार बोर्ड से बाहर के व्यक्ति होंगे ?

†**श्री राज बहादुर** : यह डाक तथा तार सिलेक्शन बोर्ड होगा। सभापति अपने पद के आधार पर डाक तथा तार बोर्ड का सदस्य नहीं होगा।

†**श्री स० चं० सामन्त** : हमें बताया गया था कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये भी एक बोर्ड स्थापित किया जायेगा। क्या वह भी इसमें सम्मिलित किया जायेगा अथवा नहीं ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं बता चुका हूं कि प्रारम्भ में इसका क्या कार्य होगा और उसका बाद में कैसे विकास होगा।

†**श्री तिम्मया** : क्या रेलवे सेवा आयोग की भांति इस बोर्ड का भी एक सदस्य अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधि होगा ?

†**श्री राज बहादुर** : अभी यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री सूपकार** : क्या भारत के अन्य भागों के लिये भी इसी प्रकार के सेवा आयोग अथवा सिलैक्शन बोर्ड स्थापित किये जायेंगे और यदि हां, तो कब ?

†**श्री राज बहादुर** : इसे प्रयोगात्मक रूप मे आरम्भ किया जा रहा है। यदि प्रयोग सफल हो तो अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा किया जा सकता है। सभी जानते हैं कि थोड़ी सी नौकरियों के लिये बहुत से आवेदन पत्र आ जाते हैं अतः प्रयोग से यह पता चलेगा कि क्या स प्रकार इसे काबू किया जा सकता है या नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिये प्रविधिक सहायता बोर्ड

†*५२९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २४ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति की सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय प्रविधिक सहायता बोर्ड की स्थापना के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : इस समय परिवहन विभाग के विकास मंत्रणाकार संगठन को अधिक सक्रिय बनाने के हेतु उसमें मैकैनिकल इंजीनियरिंग विभाग और नमूना विभाग बढ़ाने की प्रस्थापना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पत्तन तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिये टैक्नीकल सहायता बोर्ड स्थापित करने के बारे में अब भी विचार किया जा रहा है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : इस बोर्ड का मुख्य कार्य क्या होगा?

†**श्री राज बहादुर** : इस बोर्ड का मुख्य कार्य छोटे पत्तनों के मूल डिजाइन और उनके प्राक्कलन तैयार करना, छोटे पत्तनों द्वारा प्रस्तुत किये गये डिजाइनों और प्राक्कलनों की जांच करना, गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड से सम्बन्धित सभी योजनायें तैयार करना, सरकारी प्रशासन अधीन बड़े पत्तनों सम्बन्धी योजनाओं को मिलाना और मंगलौर और तूतीकोरिन पत्तनों, कोचीन में दूसरे शिपयार्ड आदि के विकास के बारे में प्रारम्भिक कार्य, और छोटे पत्तनों के लिये स्थापित किये जाने वाले ड्रेजर-कम-सर्वे लांच पूल का प्रबन्ध ।

भूवनेश्वर स्टेशन का नव-निर्माण

†*५३०. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **रेलवे** मंत्री १७ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उड़ीसा में भुवनेश्वर में वर्तमान रेलवे स्टेशन को आधुनिक ढंग के रेलवे स्टेशन में बदलने की योजना का अनुमोदन कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो कार्य कब आरम्भ किया जायेगा; और

(ग) सुधार योजना का क्या ब्यौरा है ?

†**रेलवें उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख). रेलवे आर्किटेक्ट द्वारा तैयार किये गये नये स्टेशन के नक्शे को रेलवे विभाग ने स्वीकार करके राज्य सरकार की स्वीकृति के लिये भेज दिया है; राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होते ही कार्य आरम्भ हो जायेगा ।

(ग) निम्नलिखित सुविधाओं के लिये नई मंजूरी दे दी गई है अथवा राशि बढ़ा दी गई है ;

१. तीसरे दर्जे के वेटिंग हाल

२. अपर क्लास के वेटिंग हाल

३. ५ रिटायरिंग रूम

४. रिफ्रेशमेंट रूम

---

†मूल अंग्रेजी में

५. स्टेशन मास्टर का कार्यालय

६. टिकट कलैक्टर का कमरा

७. असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का कार्यालय

८. पूछताछ और अपर क्लास बुकिंग आफिस

९. पार्सल दफ्तर

१०. सामान के लिये लिफ्ट

११. तार घर

१२. बैटरी रूम

१३. कर्मचारियों के लिये शौचालय

१४. बुक स्टाल

†**अध्यक्ष महोदय** : भविष्य में जब कभी कोई लम्बा वक्तव्य देना हो तो अलग से एक विवरण दे दिया जाना चाहिये, उसे सभा पटल पर रख दिया जाना चाहिए और विवरण नोटिस आफिस को पहले से भेज दिया जाये ताकि सम्बन्धित सदस्य उसे देख लें।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या यह सही नहीं कि उड़ीसा सरकार तो केवल डिजाइन की स्वीकृति देगी ? जब इन्हें रेलवे बोर्ड ने कार्यान्वित करना है तब इसे डिज़ाइन को उड़ीसा सरकार से मजूर कराने की क्या आवश्यकता है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : राज्य सरकार इसे वास्तुकला की दृष्टि से एक विशेष ढंग का और आसपास की इमारतों के अनुरूप बनाना चाहती थी इसी लिये इसे राज्य सरकार के के पास भेजा गया है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या ऐसा करने से स्टेशन के निर्माण में विलम्ब नहीं होगा ?

†**श्री सें० वें रामस्वामी** : हमने नक्शा राज्य सरकार को भेज दिया है । कार्य शीघ्र कराना उनका काम है। यदि उन्हें मंजूर होगा तो हम कार्य आरम्भ कर देंगे।

†**श्री मुरारका** : स्टेशन को नया रूप देने पर कुल कितनी राशि खर्च होगी और क्या इससे कार्यकुशलता भी बढ़ेगी अथवा केवल स्टेशन की सुन्दरता ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : लगभग ७·५ लाख रुपये खर्च होंगे। यह तो मालूम नहीं कि स्टेशन की इमारत से रेलवे की कार्यकुशलता कैसे बढ़ेगी परन्तु इस से स्टेशन की सुन्दरता अवश्य बढ़ जायेगी।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : कार्य १९६२ के आरम्भ में शुरू होगा या अन्त में ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यह इस पर निर्भर करता है कि राज्य सरकार नक्शे को कितनी जल्दी मंजूर करती है ।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : राज्य सरकार रेलवे की नई इमारत बनाने के लिये काफी उत्सुक है अतः स्वाभाविक है कि वह इस कार्य को शीघ्र करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

पर्वतीय क्षेत्रों में कम शक्ति वाले टर्बाइन

*५३१. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २१ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्वतीय क्षेत्रों में विद्युत् उत्पादन के कम शक्ति वाले टर्बाइन स्थापित करने के बारे में क्या प्रगति हुई है;

(ख) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के किन-किन स्थानों पर ऐसे टर्बाइन लगाने का विचार है; और

(ग) उनमें से प्रत्येक के बारे में क्या प्रगति हुई है?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग) विवरण सभा-पटल पर रखा है।

विवरण

(क) जम्मू और काश्मीर सरकार ने कुपवारा में २०-२० किलोवाट के दो सेट प्रतिष्ठापित कर दिये हैं। और हिमाचल प्रदेश प्रशासन भार-मीर में १७ किलोवाट का एक सैट प्रतिष्ठापित कर रहे हैं; इसके अलावा छैला में उन्होंने एक और भी २० किलोवाट का सेट प्रतिष्ठापित किया हुआ है जो कि आगे ही काम कर रहा ह। लाहौल (पंजाब) में बिलिंग नाले पर ५० किलोवाट के दो यूनिटों का प्रतिष्ठापन कार्य प्रगति कर रहा है। निम्नलिखित योजनाओं के कार्यान्वियन से सम्बद्ध प्राथमिक कार्य भी हाथ में लिया हुआ है।

(१) पंजाब में ५० किलोवाट के तीन यन्त्रों के प्रतिष्ठापन की योजना;

(२) जम्मू और काश्मीर में २५ किलोवाट के एक, ५० किलोवाट के चार, १०० किलोवाट के दो और २५० किलोवाट के एक यन्त्र के प्रतिष्ठापन की योजना।

विविध राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में अन्य योजनाओं से सम्बद्ध विस्तृत अनुसन्धान कार्य प्रगति कर रहा है।

(ख) तथा (ग). उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित पांच योजनाओं का अनुसन्धान पूर्ण-रूप से किया जा चुका है और इनके १९६२ के अन्त तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है :—

(१) भीलगना	१२० किलोवाट
(२) चम्पावत	४० किलोवाट
(३) नंदाकिनी	८० किलोवाट
(४) रुद्रप्रयाग	६० किलोवाट
(५) न्यूगैंती-छुर्रा	२०० किलोवाट

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूं कि इन योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार किस प्रकार की सहायता दे रही है, अर्थात् क्या इनकी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है या राज्य सरकारें इनको कार्यान्वित करेंगी?

श्री हाथी : जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की है। यूनियन टैरिट्रीज़ जो हैं, त्रिपुरा, मनीपुर, हिमाचल, वहां वह केन्द्रीय सरकार की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों की जो पांच योजनायें दी गई हैं, क्या राज्य सरकार ने उनके बारे में किसी सहायता की मांग की थी, यदि की थी, तो क्या सहायता दी जा रही है ?

श्री हाथी : जो कोई टैक्नीकल सहायता राज्य सरकार को चाहिये वह केन्द्रीय सरकार जरूर देगी ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, टैक्नीकल सहायता का क्या यह अर्थ है कि जब तक केन्द्रीय सरकार के टैक्नीकल एक्सपर्ट्स इस बारे में स्वीकृति नहीं देंगे तब तक राज्य सरकार इनको चालू नहीं कर सकती या राज्य सरकार इन्हें स्वतंत्र रूप से चालू कर सकती है ?

श्री हाथी : राज्य सरकार स्वतंत्र रीति से चालू कर सकती है । अभी इनवैस्टीगेशन चालू है और इनवैस्टीगेशन खत्म होने के बाद योजना अगली बनेगी ।

†**श्री च० द० पांडे :** इस बात को देखते हुये कि हिमालय के क्षेत्र में अधिक जल विद्युत् तैयार की जा सकती है, सरकार सस्ती बिजली तैयार करके कोयले की कमी से बचने के लिये बड़ी-बड़ी योजनायें क्यों आरम्भ नहीं करती ?

श्री हाथी : प्रश्न छोटी जल विद्युत् योजनाओं के विषय में है । बिजली की बड़ी योजनाओं की भी जांच की जा रही है । माननीय सदस्य को ज्ञात है कि हम बड़ी थर्मल योजनाओं पर भी विचार कर रहे हैं ?

तम्बाकू के सम्बन्ध में अनुसंधान

†*५३३. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री रा० चं० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तम्बाकू के सम्बन्ध में अनुसंधान करने के लिये गुजरात में एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या उक्त केन्द्र स्थापित किया जा चुका है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस केन्द्र की स्थापना में कितना समय लगेगा ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) जी हां । यह केन्द्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जायेगा ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) भूमि अर्जन तथा अन्य प्रारम्भिक कार्य पूरे हो जाने पर ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या यह गवेषणा केन्द्र वैसा ही होगा जैसा उत्तर बंगाल में स्थापित किया गया था ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** लगभग वैसा ही होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बर्मन :** इस केन्द्र में तम्बाकू की कौन-कौन सी किस्म के सम्बन्ध में गवेषणा होगी। तम्बाकू की अलग-अलग किस्म की गवेषणा अलग-अलग केन्द्रों में होती है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** वास्तव में गुजरात में तीन केन्द्र होंगे। एक केन्द्र होगा और दो उप-केन्द्र होंगे। विजापुर में सिगरेट तम्बाकू गवेषणा। यह महसाना जिले में सिगरेट के तम्बाकू का सुधार करने का काम करेगा। पेटलाद में खाने के तम्बाकू की गवेषणा की जायेगी और सनन्द में हुक्के के तम्बाकू की गवेषणा की जायेगी।

†**पंडित ह्रा० ना० तिवारी :** क्या किसी राज्य में गवेषणा केन्द्र खोलने की केन्द्रीय सरकार की कोई योजना है।

†**डा० पं० शा० देशमुख :** इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये।

†**श्री मुरारका :** क्या गवेषणा केन्द्रों में तम्बाकू की उपज के बारे में ही गवेषणा की जायेगीं या कि उसके परिष्करण आदि के बारे में भी ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** इन्हें कृषि विभाग स्थापित कर रहा है अतः स्वाभाविक है कि मूलतः यह उपज के बारे में ही गवेषणा करेंगे परन्तु अन्य पहलुओं को छोड़ा नहीं जायेगा।

खाद्यान्नों का रक्षित भंडार

†*५३४ **श्री सुबोध हंसदा :**
चन्द्रशंकर :
श्री रा० चं० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या, निर्णय के अनुसार, ५० लाख टन खाद्यान्न का रक्षित भंडार बनाने का काम १९६० में पूरा हो गया था ;

(ख) यदि नहीं, तो कितनी कमी रही ;

(ग) वह कमी धान के सम्बन्ध में रही अथवा गेहूं के सम्बन्ध में ; और

(घ) क्या इस रक्षित भंडार में से अनाज दिया गया है अथवा दिया जा रहा है ?

†**कृषि उपमंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) से (ग). तृतीय पंचवर्षीय योजना काल की समाप्ति तक दस लाख टन चावल और चालीस लाख टन गेहूं का स्टाक जमा करने का निश्चय किया गया था।

१२ नवम्बर, १९६१ को केन्द्रीय रिज़र्व में लगभग ७ लाख टन चावल और १६.७ लाख टन गेहूं उपलब्ध था :

(घ) रिजर्व रखे गये स्टाक को भी बदलना पड़ता है इसलिये केन्द्रीय रिज़र्व में से पुराना माल दिया जा रहा है और नया माल प्राप्त किया जा रहा है।

†**श्री सुबोध हंसदा :** इस रिज़र्व स्टाक के लिये किन-किन राज्यों से स्टाक एकत्र किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : देश के सभी भागों में स्टाक रखा जाना है अतः स्वाभाविक है कि निकटतम राज्य से खरीद की जायेगी ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या कमी वाले राज्यों से भी स्टाक एकत्र किया जायेगा ?

†**श्री स० का० पाटिल** : जी नहीं । यह रिज़र्व स्टाक होगा परन्तु इसे एक वर्ष से अधिक समय के लिये नहीं रखा जा सकता इसलिये इसे बदलना तो पड़ेगा परन्तु जब कभी सुविधा होगी स्टाक को जमा रखा जायेगा ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या देश में वर्तमान खाद्य स्थिति को देखते हुये खाद्य के परिवहन पर से सारे प्रतिबन्ध हटा दिये जायेंगे ?

†**श्री स० का० पाटिल** : गेहूं पर से सब प्रकार के प्रतिबन्ध हटा दिये गये हैं । चावल पर से भी प्रतिबन्ध हटाये जा रहे हैं परन्तु मैं यह निश्चित कर लेना चाहता हूं कि कोई कठिनाई न हो ।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या स्थानीय उपज को खरीद कर स्टाक जमा किया जायेगा अथवा विदेशों से आयात करके ?

†**श्री स० का० पाटिल** : खाद्य आयात करने की योजना २ या ३ वर्ष तक चलेगी । एक वर्ष और कुछ मास बीत चुके हैं । बाद में देशीय खाद्य ही रखा जायेगा ।

†**श्री रामपुरे** : क्या जवार का स्टाक भी रखने का विचार है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : यदि आवश्यक होगा तो जवार और बाजरे का स्टाक भी रखा जायेगा ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : लक्ष्य ५० लाख टन था परन्तु अब तक केवल २३ लाख टन स्टाक जमा किया गया है । निर्धारित लक्ष्य कब तक पूरा होगा ?

†**श्री स० का० पाटिल** : लक्ष्य पूरा करने के लिये चार वर्ष का समय रखा गया था एक वर्ष और कुछ मास नहीं ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : देश में खाद्य की सामान्य स्थिति को देखते हुए क्या सरकार इस पर विचार करेगी अमरीका के साथ किये गये करार के अन्तर्गत खाद्य का आयात न किया जाये ?

†**श्री तंगामणि** : मद्रास में उचित मूल्य वाली दूकानें खोली गई हैं क्या उन पर दिया जाने वाला धान राज्यों को इस रिज़र्व स्टाक में से दिया जा रहा है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : ५० लाख टन स्टाक रखा जाता है उसमें से पुराना अनाज देकर नया अनाज हम रखते जायेंगे । यह बात नहीं कि उस स्टाक को छुआ ही नहीं जायेगा । इसका उद्देश्य तो यह है कि इससे खाद्य पदार्थों के मूल्यों और उनकी उपलब्धता पर अच्छा प्रभाव पड़ता है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या गोदाम आदि की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है और क्या गोदाम आदि बनाये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० का० पाटिल :** गोदाम बनाया जा रहा है। इस वर्ष लगभग नौ मास में काफी गोदाम बनाने का कार्यक्रम है।

धान की खेती

+

†*५३५. **श्री बर्मन :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० चं० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष 'भूख से मुक्ति' आन्दोलन के आयोजन में जापानी किसानों के दल द्वारा धान की खेती का प्रदर्शन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रदर्शन किन किन राज्यों में किया गया था; और

(ग) इस प्रदर्शन का लाभ कितने किसानों ने उठाया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†**श्री बर्मन :** क्या इसका अर्थ यह है कि जापानी किसान भारत नहीं आये और उन्होंने कोई प्रदर्शन नहीं किया ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** जी नहीं। माननीय सदस्य ने 'भूख से मुक्ति' आन्दोलन के बारे में पूछा है। इस आन्दोलन के अन्तर्गत कोई जापानी किसान भारत नहीं आये। चार जापानी किसान भारत में पिछले ४-५ वर्षों से रह रहे हैं और वे प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रश्न आन्दोलन के बारे में था इसलिये उसका उत्तर नकारात्मक है।

†**श्री बर्मन :** तथाकथित जापानी तरीके की खेती में बीज की कतार से बोनी की जाती है जो हमारे किसान एक अर्से से कर रहे हैं। ये जापानी किसान केवल भारत का दौरा कर रहे हैं या उन्होंने प्रदर्शन के ज़रिये कोई नई बातें भी कर दिखाई हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** जापानी तरीके की खेती में कतार से बीज बोने के अलावा और भी कई बातें हैं जो भारत में कहीं भी सामूहिक रूप से नहीं की जातीं। जापानी किसान हमारे देश में केवल पर्यटन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सामान्य शर्तों पर कुछ जमीन ले ली है और वे सरकार से कोई सहायता लिये बिना अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा उत्पादन कितना बढ़ सकता है। उन्होंने जो उत्पादन कर दिखाया है उससे सभी प्रभावित हुए हैं।

†**श्री बसुमतारी :** जापानी तरीके की खेती की जो सामुदायिक विकास परियोजनाओं में लागू की गई है, लोक-प्रियता बढ़ रही है या घट रही है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** वह अधिक लोक-प्रिय हो रही है। हमारे यहां इस तरीके से ७० लाख एकड़ भूमि में खेती की जा रही है। किन्तु यह खेती एकदम जापानी तरीके की नहीं है। हम जापानियों की सहायता से उसे अधिक सही बना कर इस खेती का रकबा बढ़ाना चाहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुबोध हंसदा** : माननीय मंत्री ने बताया है कि जापानी किसान ने हमारे किसानों की अपेक्षा कहीं अधिक उत्पादन कर दिखाया है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस उत्पादन वृद्धि में प्रति एकड़ कितना व्यय बैठता है और क्या हमारे किसान यह खर्च उठा सकते हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा। इसी तरह प्रति एकड़ खर्च लगभग २६८ से २८० रुपये होता है किन्तु मुनाफा काफी होता है जो हमारे किसानों के मुनाफे का लगभग दुगना या तिगना है।

†**श्री सूपकार** : जापानी किसानों ने जो प्रदर्शन किया है उसमें प्रति एकड़ अधिकतम उत्पादन कितना है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : इन किसानों ने सहारनपुर जिले में कुछ जमीन ली है। उन्होंने गेहूं की एक और धान की दो फसलें पैदा की हैं। धान की पैदावार प्रति एकड़ लगभग ११० मन रही जबकि गेहूं की प्रति एकड़ पैदावार लगभग २५ मन रही है।

†**श्री त्यागी** : क्या यह सच है कि इन में से कुछ जापानी किसानों ने, जो देश का भ्रमण कर रहे हैं, इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया है कि यह तरीका जापानी त रीके के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने वास्तव में यह कहा है कि जापान ने यह तरीका भारत से सीखा है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जी, हां। जापान ने भारत से धान की खेती सीख ली है किन्तु उस ने इस में इतना सुधार किया कि उनका उत्पादन भारत के औसत उत्पादन से पांच गुना अधिक होता है। इसलिये जब वे किसान यहां आये तो वे नहीं जानते थे कि जापानी तरीके से हमारा अभिप्राय क्या है। हमारे कुछ किसान वहां गये थे और उन्होंने स्वयं खेती की और जब वे भारत लौटे तो उन्होंने बताया कि वहां की खेती में कुछ ऐसी बातें हैं जिन से उत्पादन बढ़ सकता है इसलिये उसे जापानी तरीका कहा गया। स्वाभाविक है कि जापान से आये किसानों को यह ज्ञात नहीं था।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री का तात्पर्य यह है कि प्रति एकड़ ११० मन या ने कोई ८००० पौन्ड पैदावार होती है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जी, हां। लगभग ८००० पौन्ड प्रति एकड़।

†**श्री तंगामणि** : पहले बताया गया था कि प्रति एकड़ पैदावार लगभग ३००० पौन्ड है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे भी कुछ संदेह था इसलिए मैंने माननीय मंत्री से यह प्रश्न पूछा है।

हुगली नदी में तलकर्षण[1]

†*५३६. {**श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पत्तन इंजीनियरिंग के एक फ्रांसीसी विशेषज्ञ, प्रो० लारन्स, और राटर्डम पत्तन के डिप्टी डायरेक्टर श्री एम० पास्थुमा जिन्होंने १९५८ में हुगली नदी

---

†मूल अंग्रेजी में

और कलकत्ता पत्तन की वास्तविक स्थितियों का अध्ययन किया था, ने यह अ कहा था कि यदि हल्दिया के नीचे की बालू की रोकों को हटाकर वहां पानी की गहराई में ५ फुट वृद्धि की जा सके तो ३२ फुट के डुबाव वाले जहाज वर्ष भर हल्दिया तक लाए व वहां खड़े किये जा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिये एक विशेष प्रकार का तलकर्षण यंत्र मंगाया गया है और उसे काम में लाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस समय क्या स्थिति है ; और

(घ) हल्दिया के नीचे कौन-कौन सी बालू की रोकें (बार्स) हैं?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) पत्तन इंजीनियरिंग के फ्रांसीसी विशेषज्ञ प्रोफेसर लारस मार्च, १९५८ में भारत में आये थे । उन्होंने राय दी कि इस क्षेत्र में हल्दिया एक पत्तन के तौर पर सब से अच्छा स्थान है जहां २६ फुट के डुबाव वाले जहाज वर्ष भर तथा ३२ फुट के डुबाव वाले जहाज वर्ष के कुछ दिनों हल्दिया तक लाये व खड़े किये जा सकते हैं।

श्री एफ० पास्थुमा, जो इस समय राटर्डम पत्तन के प्रबन्ध संचालक हैं, ने विभिन्न प्रविधिक विषयों के बारे में परामर्श देने के लिये १९५८ और बाद में १९६० में कलकत्ता . : थे । अपनी पहली रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि एक सहायक पत्तन के लिये हल्दिया सब से अच्छा स्थान सिद्ध होगा । उनकी राय में एक सहायक पत्तन पत्तन में २८ फुट डुबाव वाले जहाज वर्ष भर और २८ से लेकर ३१ फुट के डुबाव वाले जहाज वर्ष के २५० दिन कम से कम दो घंटे तक लाये जा सकें ; उन्होंने सिफारिश की थी कि जल-विज्ञान संबंधी अध्ययन किये जायें और जलविज्ञान और तलकर्षण सम्बन्धी विशेषज्ञ इस बात की जांच कर के रिपोर्ट देने के लिये बुलाये जायें कि क्या उपरोक्त डुबाव वाले जहाज लाये जा सकने के लिये क्या हल्दिया के नीचे की रोकें २ से लेकर ४ फुट तक गहरी की जा सकती हैं।

(ख) आयुक्तों ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में दो सैक्शन ड्रेजरों के के निर्माण का, जिनमें से प्रत्येक पर १९० लाख रूपया व्यय होने का अनुमान है, उपबन्ध किया है। ये ड्रेजर बारों में, जहां उन्हें तूफान आदि का सामना करना पड़ता है, काम में लाये जायेंगे ।

(ग) आयुक्तों का इरादा सर्व प्रथम मुहाने में तलकर्षण के लिये उपयुक्त एक ड्रेजर बनाने का है जिसकी विशिष्ट बातें और चित्र अन्तिम रूप से निर्धारित किये जा चुके हैं। यह ड्रेजर हल्दिया के नीचे बालू की रोक हटाने के लिये काम में लाया जायेगा । स ड्रेजर के निर्माण के लिये टेन्डर शीघ्र मंगाये जायेंगे ।

(घ) हल्दिया के नीचे जो रोकें हैं उन के नाम हैं—अपर आकलैन्ड बार, लोअर आकलैन्ड बार. सागर क्रासिंग और मिडलटन बार ।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री स० चं० सामन्त :** वक्तव्य में कहा गया है कि ये दो ड्रेजर तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्राप्त किये जायेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि ये ड्रेजर प्राप्त करने तक क्या कलकत्ता पत्तन के आयुक्त के पास जो ड्रेजर हैं वे काम में लाये जायेंगे ?

†**श्री राज बहादुर :** ये दो ड्रेजर बड़े होंगे जो मुहाने के रोकों को हटाने के लिये काम में लाये जायेंगे; जो ड्रेजर हमारे पास कलकत्ता पत्तन में हैं वे अन्य रोकों के लिये हैं ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** डा० पास्थुमा ने सिफारिश की है कि आकलैंड बार और ब्यूमान्ट्स गट को हल्दिया पत्तन से पीछे हटाया जाये । वक्तव्य में चार बार का उल्लेख किया गया है। क्या ब्यूमान्टस गट को शामिल नहीं किया गया है ?

†**श्री राज बहादुर :** मेरा ख्याल है कि सम्बन्धित बार के प्रविधिक नाम वक्तव्य में दिये गये हैं ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** डा० पास्थुमा की एक सिफारिश जलविज्ञान सम्बन्धी विशेषज्ञों को अध्ययन कर रिपोर्ट देने के लिये बुलाने के बारे में है क्या सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है क्या इस काम के लिये कोई विशेषज्ञ बुलाये गये हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** जी हां । संयुक्त राष्ट्र प्रविधिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत हम इस क्षेत्र के एक विशेषज्ञ डा० मैक डावेल की सेवाय प्राप्त कर सके हैं और वे अपना काम कर रहे हैं ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या इस प्रयोजन के लिये एक महाकाय ड्रेजर प्राप्त करने के लिये किसी अमरीकी फर्म से बातचीत की जा रही है और यदि हां, तो क्या यह बातचीत पूरी हो चुकी है ?

†**श्री राज बहादुर :** बलारी बार तथा हुगली के अन्य बारों की विशेष समस्याओं को देखते हुए एक अमरीकी फर्म से बातचीत की गई है । हमारा इरादा एक 'बूम' ड्रेजर प्राप्त करने का है और यह मामला अभी विचाराधीन है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** चिल्का झील के पूर्वी क्षेत्र में तथा अन्य नदियों की मिटटी हटाने के लिये सरकार कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रही थी। क्या इस काम के लिये और ड्रेजर प्राप्त किये जायेंगे या कलकत्ता पत्तन के ड्रेजर ही काम में लाये जायेंगे ?

†**श्री राज बहादुर :** कलकत्ता पत्तन के ड्रेजरों को चिल्का झील में काम में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ?

†**श्री स० चं० सामंत :** क्या इन ड्रेजरों के आने और उन के कार्य के परिणाम ज्ञात होने तक हल्दिया पत्तन की स्थापना का प्रारंभिक काम रुका रहेगा ?

†**श्री राज बहादुर :** जहां तक पत्तन की स्थापना का सम्बन्ध है, हल्दिया को चुन लिया गया है । किन्तु जब तक विशेषज्ञ पत्तन के प्रकार या डिज़ाइन के बारे में अपनी राय न दे दें तब तक कोई प्रगति संभव नहीं है । इसी प्रयोजन से आवश्यक अध्ययन किये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला खानों से कोयले के ले जाया जाना

†*४३८. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सड़क और परिवहन विकास सन्था से कोयला खानों से कोयला की ढुलाई के सम्बन्ध में सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार को उस निकाय से क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) २० सितम्बर, १९६१ को बम्बई में भारतीय सड़क और परिवहन सन्था की वार्षिक बैठक का उद्घाटन करते हुए मैंने सन्था का ध्यान कोयला खानों से २०० या ३०० मील की परिधि में स्थित स्थानों तक सड़क द्वारा किफायती दरों पर कोयला ढोने की कोई योजना बनाने की आवश्यकता की ओर आकर्षित किया था । सन्था से यह बताने के लिये भी प्रार्थना की गई है कि क्या वह मुगलसराय के बाद सड़क द्वारा कोयले की ढुलाई की व्यवस्था कर सकेगी।

(ख) इस विषय में सन्था ने अपनी राय सरकार को अब तक सूचित नहीं की है ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या कोयले की ढुलाई की समस्या को हल करने के लिये ट्रकों की स्थिति अनुकूल है और क्या सरकार की राय में वर्तमान स्थिति का सामना करने के लिये यह एक कारगर उपाय है ?

†**श्री राज बहादुर** : सड़क द्वारा कोयले की ढुलाई की मुख्य कठिनाई परिवहन व्यय की है । यह व्यय बहुत ज्यादा बैठता है । इसलिये जब तक यह परिवहन चालकों के लिये सुविधाजनक और सस्ता नहीं होगा तब तक विशेष उत्साहवर्द्धक परिणाम की आशा नहीं की जा सकती ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को देखते हुए कि सड़क परिवहन का व्यय बहुत ज्यादा बैठता है, क्या सरकार सड़क द्वारा कोयले की ढुलाई में सहायता देने के उद्देश्य से वाहनों के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर लगे प्रतिबन्ध दूर करेगी और सड़क परिवहन पर लगाये गये कर भी कम करेगी ?

†**श्री राज बहादुर** : वाहनों को अधिक माल लादने देकर ही सड़क परिवहन का व्यय कम किया जा सकता है। यह तभी संभव है जब कि बड़े ट्रक या ट्रक-टेलर चलाने दिये जायें । इस के लिये हमें अधिक मजबूत पुल और सड़कें चाहिये । इस सब के लिये अधिक धन लगाना आवश्यक है । जब तक धन उपलब्ध न हो तब तक हम सड़क परिवहन व्यय को कैसे कर कम कर सकते हैं ?

†**श्री हेम बरुआ** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने उसका अप्रत्यक्ष उत्तर दे दिया है । उन्होंने कहा है कि करों का आपात कठिनाई नहीं वरन् मुख्य कठिनाई मजबूत पुल व सड़कें बनाने की हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : यदि पुल आदि बना लिये जायें तो क्या सरकार भारी करों को कम कर देगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं पुलों आदि पर से होकर जाने वाले वाहन भारी करों के कारण किस हद तक ज्यादह माल ले जाने में कठिनाई अनुभव करते हैं और क्या करों को घटाकर अन्तर्राज्यीय परिवहन को सहायता देने का कोई प्रस्ताव है। श्री हेम बरुआ ने यह पूछा है ।

†**श्री राज बहादुर :** इस संबंध में किये गये अध्ययन से पता चलता है कि वर्तमान कराधान को कायम रखकर भी परिवहन का व्यय घटाया जा सकता है बशर्ते कि वाहनों को अधिक माल लादने दिया जाये। वास्तव में यह अनुमान लगाया गया है कि छः टन माल लादने पर जो ४३ नये पैसे प्रति टन मील की लागत है वह घटाकर २१ नये पैसे की जा सकती है बशर्ते कि २१ टन माल लादने की अनुमति दी जाये ।

†**श्री नाथ पाई :** माननीय मंत्री ने कहा है कि अधिक अच्छे सड़कें बनाने के लिये धन नहीं है। हम उनकी दलील से सहमत हैं। किन्तु सरकार यह तो कर सकती है कि वाहनों के अन्तर्राज्यीय यातायात पर लगे कड़े प्रतिबन्ध कम कर दे और उन करों को भी कम कर दे जिनके कारण सड़क परिवहन उद्योग को बहुत कठिनाई हो रही है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री ने बीच का रास्ता बताया है। उनका कथन है कि वर्तमान पुलों और सड़कों पर अधिक माल ढोया जा सकता है किन्तु जो लोग परिवहन के क्षेत्र में हैं वे इस प्रकार के वाहन खरीदकर उन्हें काम में नहीं लाते। क्या माननीय मंत्री का यही आशय है ?

†**श्री राज बहादुर :** जी, हां। मेरा आशय लगभग यही है। मैंने यह निवेदन किया है कि यदि इन सड़कों और पुलों पर वाहन अधिक माल लेकर चलें तो परिवहन व्यय कम किया जा सकता है। जहां तक अन्तर्राज्यीय प्रतिन्बध का सम्बन्ध है उसके लिये रेलवे के साथ समन्वय करना होगा। इस प्रयोजन के लिये अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग है। कोयला निर्यत्रक के अधीन एक परिवहन समिति भी है जिसका सभापति रेलवे बोर्ड का एक सदस्य है। वे इन समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं। सच तो यह है कि वे सड़क परिवहन को अधिकतम प्रोत्साहन देना चाहते हैं किन्तु प्रश्न है परिवहन का व्यय जिसके लिये स्वयं चालक उत्तरदायी है।

†**अध्यक्ष महोदय :** ऐसी बातों की ओर कई माननीय सदस्यों का ध्यान दिया गया है। हम यह देखते हैं कि किसी राज्य में कर अधिक हैं तो किसी में कम । कहीं कहीं दोहरा कराधान हो रहा है।

†**श्री राज बहादुर :** इसके सम्बन्ध में हमने कुछ कदम उठाये हैं। सभी राज्य इस बात पर सहमत हो गये हैं कि जहां कहीं पहले दोहरा कराधान रहा हो वहां अब एक ही कराधान होगा। यह निर्णय कार्यान्वित किया जा रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** फिर भी कराधान अधिक है।

†**श्री राज बहादुर :** मैंने इस बात से इन्कार नहीं किया ह। किन्तु परिवहन उद्योग इस कराधान का भार वहन कर सका है।

†**श्री नाथ पाई :** क्या यह सच है संसार भर में भारत में वाहनों पर लगाये गये कर सब से ज्यादह हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर :** यह भी कहा जाता है। मैं कह नहीं सकता कि यह वास्तव में ऐसा है या नहीं किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह बात मोटे तौर पर ठीक ही है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य इतना ही जानना चाहते हैं कि क्या कराधान को घटाने से कोयले की ढुलाई की संभावना नहीं बढ़ जायेगी।

†**श्री राज बहादुर :** यह तो स्पष्ट है कि कराधान को कम कर दिया गया तो परिवहन का व्यय भी घट जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्रियों को कुछ सन्तोषजनक आश्वासन देने चाहियें। मुझे स्वयं संतोष नहीं है। यह प्रश्न बार-बार उत्पन्न हुआ है। मैंने एक बार सभा में कहा था कि मैं परिवहन के बारे में रेलवे और कोयला अधिकारियों के कार्य के समन्वय के लिये एक समिति नियुक्त करूंगा। माननीय मंत्री ने एक पत्र लिखकर मुझे सूचित किया है कि मंत्रिमंडल की एक उप-समिति इस मामले की जांच कर रही है। इसमें सन्देह नहीं कि कर घटाने से राज्य का कुछ घाटा तो होता है। किन्तु यदि वह माल का परिवहन नहीं कर सकता तो कर क्यों न घटाया जाये। माननीय मंत्री द्वारा इस बात का कोई सन्तोषजनक उत्तर दिया जाना चाहिये।

†**श्री राज बहादुर :** सड़क परिवहन पर तीन तरह के कर लगाये जाते हैं। एक केन्द्र द्वारा, दूसरा राज्य द्वारा और तीसरा नगरपालिका स्तर पर। जहां तक सड़क परिवहन का सम्बन्ध है हमने करों के ढांचे को सुधारने की भरसक कोशिश की है। इसके लिये कई कदम उठाये गये हैं जिनमें दुहरा कर की समाप्ति शामिल है। करों को समेकित करके चुंगी की समाप्ति के लिये भी कार्यवाही की जा रही है। इन सबका उद्देश्य सड़क परिवहन पर करों के भार को कम करने का है।

दूसरी बात यह है कि हम सड़कों को मजबूत बनाने का प्रयत्न भी कर रहे हैं ताकि वाहन अधिक माल लादकर ले जा सकें। इन सब बातों से सड़क परिवहन का व्यय कम किया जा सकता है।

दामोदर घाटी निगम परियोजना

+

†*५३९. { **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम के चेयरमैन ने २० सितम्बर, १९६१ को कहा है कि इस परियोजना की वास्तविक लागत प्राक्कलनों से तीन गुना बढ़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या लागत के बारे में उनका अनुमान ठीक है; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

वितरण

दामोदर घाटी निगम के चेयरमैन ने २० सितम्बर, १९६१ को एक अनौपचारिक भाषण में कहा कि इस परियोजना की वास्तविक लागत श्री बुरूदीन द्वारा तैयार किये गये ५५ करोड़ रुपये की लागत से तीन गुना बढ़ जायेगी। श्री बुरूदीन का प्राक्कलन उस समय उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया था और वह एक सामान्य अनुमान जैसा था। दामोदर घाटी निगम परियोजना के प्रथम चरण के वास्तविक प्राक्कलन तैयार करने का सर्वप्रथम प्रयत्न १९५१ में किया गया और यह प्राक्कलन ७४.९८ करोड़ रुपये था।

बाद में स्वीकृत योजनाओं का विस्तार किया गया और समय-समय पर कुछ अतिरिक्त योजनाएं भी मंजूर की गयीं। दामोदर घाटी निगम के कार्यक्रम के व्यय में हुई अधिकांश वृद्धि के लिये यह विस्तार उत्तरदायी है। अब जो प्राक्कलन तैयार किया गया है वह १६६.४५ करोड़ रुपये का है। निगम के समग्र व्यय में वृद्धि के लिये उत्तरदायी अन्य कारण नीचे दिये जाते हैं;

१. मशीनरी, सामग्री और मजूरी में वृद्धि;

२. प्रारंभिक अवस्था में कर्मचारियों के पर्याप्त अनुभवी न होने से मशीनरी का कम उत्पादन;

३. भूमि अर्जन का अतिरिक्त व्यय;

४. कुछ आवश्यक सामग्री देर से उपलब्ध होने के फलस्वरूप निर्माण-कार्य में विलम्ब जिससे कर्मचारियों पर अधिक व्यय हुआ;

५. मरम्मत का अधिक व्यय और मिट्टी तथा चट्टान हटाने वाले यंत्रों के पुर्जों का अपर्याप्त उपबन्ध;

६. व्यपवर्तन सड़कों का निर्माण और नौ-परिवहन नहर में गन्तव्य स्थान पर कुछ सुविधाओं का उपबन्ध आदि; और

७. बाढ़ के फलस्वरूप हुई क्षति की मरम्मत।

भारत सरकार उस स्थिति से अवगत है।

†**श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या खर्चीला प्रशासन इस व्यय की वृद्धि के लिये उत्तरदायी है? क्या यह भी सच है कि चूंकि सरकार निगम के मुख्य कार्यालय को कलकत्ते से हटाकर परियोजना क्षेत्र में ले जाने में असफल रही जिसके फलस्वरूप व्यय में काफी वृद्धि हुई है? यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

†**श्री हाथी :** परियोजना के व्यय में वृद्धि के लिये ये कारण प्रधानत: उत्तरदायी नहीं हैं। परियोजना का उत्पादन ३ लाख किलो वाट से बढ़ाकर ८ लाख किलो वाट किया गया जो व्यय की वृद्धि का मुख्य कारण है। केवल इसीसे व्यय ६७ करोड़ रुपये बढ़ गया है।

†**श्रीमती मैमूना सुल्तान :** परियोजना से पश्चिम बंगाल और बिहार के उद्योगों को दी जाने वाली बिजली से कितनी आय होने का अनुमान है?

†**श्री हाथी :** मुझे सूचना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : मूल प्राक्कलन ५५ करोड़ रुपये का था जो बढ़ते बढ़ते १६६ करोड़ हो गया है। क्या यह प्राक्कलन अन्तिम है या इसमें और भी वृद्धि होने की संभावना है ?

†**श्री हाथी** : यदि सामान के मूल्य में वृद्धि न हुई तो यही प्राक्कलन अन्तिम होगा। वैसे यदि सीमेन्ट, इस्पात और बिजली के सामान के मूल्य में वृद्धि हुई तो प्राक्कलन में वृद्धि हो सकती है।

†**श्री हेम बरुआ** : दामोदर घाटी निगम परियोजना के प्राक्कलन में बार-बार परिवर्तन किया जाता है इसका क्या कारण है ? इससे देश में प्रतिकूल धारणा बनती है।

†**श्री हाथी** : माननीय सदस्य का कथन सही है कि प्राक्कलन बढ़ता गया है किन्तु देश में प्रतिकूल धारणा होने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि बिजली का उत्पादन भी ३ लाख किलोवाट से बढ़कर ८ लाख किलोवाट हो गया है। केवल इसी कारण से व्यय में ६७ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। यदि हम परियोजना के मूल प्राक्कलन व उससे संभाव्य लाभ की तुलना इस प्राक्कलन और उससे संभाव्य लाभ से करें तो यह वृद्धि अधिक नहीं प्रतीत होती। यदि हम योजना का विस्तार करते जायें तो प्राक्कलन अवश्य ही बढ़ जायेंगे।

†**श्री मुरारका** : माननीय मंत्री ने कहा है कि मूल प्राक्कलन २५ करोड़ रुपये था जो बढ़ते बढ़ते १६० करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

†**श्री हाथी** : २५ करोड़ नहीं, मूल प्राक्कलन ६५ करोड़ रुपये का था।

†**श्री मुरारका** : बहुत अच्छा, मेरी बात में। पहले मूल प्राक्कलन ६५ करोड़ रुपये का था और अब यह १६५ करोड़ रुपये हो गया है तो प्राक्कलन का पुनरीक्षण एवं वृद्धि होने पर फिर किस स्तर पर इनका विचार होकर इन्हें स्वीकार किया जाता है। क्या पार्लियामेंट से भी इस वित्तीय आवंटन के लिये स्वीकृति ली गई थी ?

†**श्री हाथी** : यह बिलकुल सही है। हमें परियोजना के वर्तमान रूप और उसके विस्तृत रूप में अन्तर देखना है। उदाहरणार्थ, दामोदर घाटी निगम में हमने ७५,००० किलोवाट के चार जनरेटर का एक सेट जोड़ देने का विचार किया था। जब भी हम कोई नई परियोजना प्रस्तुत करते हैं तो यह सदन के समक्ष मंजूरी के लिये आती है। फिर हम दुर्गापुर में ७५,००० किलोवाट जनरेटिंग सेट जोड़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त १२५,००० किलोवाट के दो सेट चन्द्रपुर में और बढ़ा रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यह प्रारम्भिक योजना के अनुसार नहीं है। यथार्थ अर्थ में यह नई परियोजनायें हैं जिन्हें वित्तीय मंजूरी के लिये सदन के समक्ष रखा गया है। ऐसा नहीं है कि योजनायें मूल रूप में ही हों और कीमतें बढ़ जायें।

†**श्री सूपकार** : जैसा प्रतीत होता है माननीय मंत्री जी ने इसका स्पष्ट खंडन नहीं किया है कि मूल प्राक्कलन ६५ करोड़ रुपये है और अब लगभग १६५ करोड़ रुपये है। प्रारम्भ में विद्युत् उत्पादन ३ लाख किलोवाट था जबकि अब यह ८ लाख है। अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने से ही व्यय बढ़ गया है।

†**श्री हाथी** : वर्तमान कीमतों को देखते हुये व्यय बहुत अधिक नहीं बढ़ा है।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : मैं यह जानना चाहता हूं कि दामोदर घाटी निगम का अन्तिम चरण कब पूरा होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी** : ज्यों ही हम बिजली और सिचाई का अधिक लाभ देना बन्द कर दें।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : क्या और पूंजी लगाने के पहले दामोदर वाटी निगम में भाग लेने वाली राज्य सरकारों से परामर्श किया जाता है ?

†**श्री हाथी** : उनसे परामर्श किया जाता है।

†**श्रीमती मैमूना सुल्तान** : बिहार सरकार की ओर से यह मांग थी कि इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता से हटाकर परियोजना क्षेत्र में कर दिया जाये। इस मामले का क्या हुआ है ?

†**श्री हाथी** : बिहार, पश्चिम बंगाल और केन्द्रीय सरकार के बीच अन्तर्राज्यिक कांफ्रेंस में इस विषय पर विचार किया गया था।

†**श्रीमती मैमूना सुल्तान** : मेरा विचार है कि इसमें सब सहमत नहीं थे।

†**श्री हाथी** : पश्चिम बंगाल सरकार हेडक्वार्टर को स्थानान्तरण करने के लिये सहमत हो गई है और अब आपरेशन में लगे हुये कर्मचारियों को माईथान भेजा जा रहा है।

उड़ीसा में बाढ़ें

†*५४०. **श्री सूपकार** : क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने, राज्य को बाढ़ों द्वारा किये जाने वाले नाश से बचाने के लिये, ब्राह्मणी और वैतरणी नदियों के नियंत्रण के संबंध में प्रस्ताव पेश किये हैं ; और

(ख) क्या उन प्रस्तावों का परीक्षण किया जा चुका है और उन पर कितना व्यय होने की संभावना है ?

†**सिचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) उड़ीसा सरकार ने, ब्राह्मणी और वैतरणी नदियों को नियंत्रित करने की दूरगामी योजना में, रेनगाली में ब्राह्मणी पर बाढ़ से बचने के लिये ७९३ लाख रुपये की लागत वाला प्रस्ताव और इसी प्रकार बाढ़ से सुरक्षा के लिये भीमकुंड में वैतरणी पर ५५३ लाख रुपये की लागत के बांध का प्रस्ताव रखा था। इसी योजना में उन्होंने ब्राह्मणी पर ३३१ लाख रुपये की लागत के और वैतरणी पर ९७ लाख रुपये की लागत के छोटे बांध के प्रस्ताव भी प्रस्तुत किये हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में उन्होंने छोटे बांध आदि के लिये भी प्रस्ताव रखे हैं जो केवल ८० लाख रुपये की लागत वाले हैं।

(ख) भीमकुंड में वैतरणी पर ६१.७३ करोड़ रुपये लागत की बहुप्रयोजनीय योजना राज्य सरकार से प्राप्त हुई थी किन्तु इसे इसलिये लौटा दिया गया कि अभी इसमें और जांच करने की गुंजाइश है।

ब्राह्मणी पर बांध की योजना अभी तक राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है। इसी प्रकार छोटे बांधों की योजना भी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है। अतः उनकी जांच का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

†**श्री सूपकार** : क्या इनमें से कोई योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने की संभावना है ?

---

† राज प्रेमी में

†श्री हाथी : मेरा मत नहीं है।

†श्री पाणिग्रही : इस पन्द्रहवर्षीय दूरगामी कार्यक्रम के अतिरिक्त क्या सरकार ने उड़ीसा में बाढ़ों को सफलतापूर्वक रोकने के लिये कोई अल्पकालीन योजना भी बनाई है? क्या इस प्रकार का कोई कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा सकता है?

†श्री हाथी : जी हां। अल्पकालिक योजनाएं हैं।

श्री विभूति मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि इन फ्लड्स कन्ट्रोल स्कीम्स से गल्ले की पैदावार कितनी अधिक बढ़ जायेगी?

†श्री हाथी : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं किन्तु कोसी बांध से सम्पूर्ण क्षेत्र को लाभ पहुंचा है। मैं खाद्यान्न के उत्पादन की वृद्धि के आंकड़े अभी नहीं दे सकता हूं परन्तु वृद्धि अवश्य हुई है।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या इन तीन प्रस्तावों की बाढ़ जांच समिति द्वारा सिफारिश की गई थी जिसने हाल ही में रिपोर्ट प्रस्तुत की है?

†श्री हाथी : बाढ़ नियंत्रण जांच समिति ने इनकी जांच नहीं की क्योंकि योजनाएं तैयार नहीं थीं किन्तु बाढ़ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति ने इन योजनाओं की सिफारिश की थी।

†श्री सूपकार : तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये उड़ीसा सरकार ने सम्पूर्ण राज्य में बाढ़ नियंत्रण के लिये ४२ करोड़ रुपये लागत की योजनायें भेजी थी। क्या केन्द्र ने इनमें से कोई योजना स्वीकार की है और यदि हां, तो बाढ़ नियंत्रण के लिये उड़ीसा में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितनी रकम खर्च की जायेगी?

†श्री हाथी : टेक्नीकल परीक्षा के बाद योजनाओं की स्वीकृति अथवा अनुमोदन केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड करता है। चूंकि यह योजनाएं अभी जांच के लिये तैयार नहीं हैं उनके अनुमोदन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है किन्तु अन्य छोटी छोटी योजनाओं के लिये दो या तीन करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है।

†श्री प्र० गं० देव : क्या सरकार इस स्थिति को हल करने के लिये ब्राह्मणी नदी की उपनदियों पर बांध बांधने की योजना बना रही है?

†श्री हाथी : इस नदी की उपधाराओं पर बांध के लिये राज्य सरकार योजना बना रही है।

कोचीन में जहाज बनाने का दूसरा कारखाना

+

†*५४१. { श्री कोडियान :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन में जहाज बनाने का दूसरा कारखाना स्थापित करने के बारे में आगे क्या प्रगति हुई है; और

(ख) चालू वर्ष में अब तक कितनी राशि खर्च की गई है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) शिपयार्ड के लिये लगभग ३८ एकड़ प्राइवेट भूमि प्राप्त कर ली गई है और शेष जमीन के लिये अधिग्रहण कार्यवाही काफी बढ़ रही है। शिपयार्ड की स्थापना के लिये विदेशी सम्पर्क की बातचीत आगे प्रगति पर है।

(ख) ४० लाख रुपये।

†**श्री कोडियान** : कोचीन में इस शिपयार्ड के लिये अपेक्षित १०० एकड़ जमीन में से ४० एकड़ जमीन राज्य सरकार दे रही है और शेष ६० एकड़ का अधिग्रहण किया जायेगा। माननीय मंत्री के उत्तर में बताया गया है कि केवल ३८ एकड़ जमीन का ही अधिग्रहण किया गया है और उसे प्राप्त करने में लगभग एक वर्ष लग गया है। जमीन के अधिग्रहण में धीमी प्रगति का क्या कारण है ?

†**श्री राज बहादुर** : मैंने अभी बताया है कि १०० एकड़ में से केरल सरकार शिपयार्ड के लिये ३६ एकड़ के लिये सहमत हो गई है। शेष जमीन जो प्राइवेट व्यक्तियों से खरीदनी थी उसमें से ३८ एकड़ भूमि ली जा चुकी है। शेष भूमि के लिये कार्यवाही चल रही है और आशा है कि वर्ष बीतने के पहले यह जमीन मिल जायेगी। इसमें से दो प्लाटों पर वृहद् इमारतें स्थित हैं। और इनके लिये कुछ समय लगेगा।

†**श्री कोडियान** : इस शिपयार्ड के निर्माण के लिये सम्बन्धित विदेशी सरकारों से टेक्नीकल सहायता प्राप्त करने के लिये बातचीत कब तक पूरी होगी और तीसरी योजना में इस कार्य की कितनी प्रगति होगी ?

†**श्री राज बहादुर** : तीन बातें विचाराधीन हैं : परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये परामर्शदाताओं की नियुक्ति, विदेशी शिपयार्ड से टेक्नीकल और वित्तीय सम्पर्क और विदेशी ऋण के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा प्राप्त करना। इन सब कार्यों में समय लगेगा क्योंकि हमें सर्वोत्तम व्यवस्था करना है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या यह तीसरी योजना अवधि में पूरी हो जायेगी अथवा कम से कम प्रारम्भ हो जायेगी।

†**श्री कोडियान** : इस शिपयार्ड के निर्माण की दिशा में तृतीय योजना में क्या प्रगति है।

†**श्री राज बहादुर** : ज्योंही हम इस समझौते को अंतिम रूप देने की स्थिति में होंगे और टेक्नीकल सम्पर्क तय हो जायेगा मुझे विश्वास है कि फिर इस कार्य में कठिनाई नहीं होगी।

†**श्री वें० ईयाचरण** : कोचीन में जमीन लेने के अतिरिक्त और क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : टेक्नीकल सहयोग के लिये हम कई फर्मों से बातचीत कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

आगरा में अनधिकृत गाइड

+

†*५४२. श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी पर्यटक गाइड सन्था की ओर से आगरा में अनधिकृत गाइडों के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) इस शिकायत की पर्यटन विभाग ने जांच की थी। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय भ्रमण एजेंटों और पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित दोनों में ही सन्तोषजनक ढंग से मामला हल हो गया है।

†**श्री प्र० गं० देव** : क्या यह सच है कि मांगें स्वीकार न होने की स्थिति में गवर्नमेंट टूरिस्ट गाइड एसोशिएशन ने आगरा तथा अन्य स्थानों में काम करने से मना कर दिया है। यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या करेगी ?

†**श्री राज बहादुर** : यह कुछ समय पहले हुआ था। इस कार्य के लिये वहां भेजे गये अधिकारी द्वारा हस्तक्षेप करने पर गाइडों और स्थानीय भ्रमण एजेंटों के बीच यह मामला शान्तिपूर्वक सुलझ गया है।

†**पण्डित द्वा० ना० तिवारी** : क्या इन गाइडों के लिये विशेष ट्रेनिंग है तथा उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है।

†**श्री राज बहादुर** : गाइडों के लिये विशेष ट्रेनिंग है किन्तु सरकार की ओर से उन्हें विशेष पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

†**श्री प्र० गं० देव** : क्या सन्तोसजनक समझौता हुआ है ?

†**श्री राज बहादुर** : स्थिति यह है कि ट्रेवल एजेंट्स ने एक एसोसिएशन बनाया था और इस एसोसिएशन में पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित गाइड भी इस में सम्मिलित थे। यह लोग पूर्णतया अर्हता सम्पन्न नहीं थे, यह लोग भली प्रकार पढ़े लिखे भी नहीं थे। वह लोग अंग्रेजी भी नहीं बोल सकते थे और चाहते थे कि सब मांगों पर नये एसोसिएशन के सेक्रेटरी के जरिये ही बातचीत हो। इससे एक प्रकार का गत्यावरोध उत्पन्न हो गया था क्योंकि बाहर से आने वाले विदेशियों को इन गाइडों से कोई सहायता नहीं मिल सकती थी--वह अंग्रेजी भाषा नहीं बोल सकते थे। अतः भ्रमण एजेंटों को इस एसोसिएशन से बातचीत करना कठिन था। इस पर एक पदाधिकारी यहां से भेजे गये। यह व्यवस्था की गई कि केवल अनुमोदित और प्रशिक्षित गाइड ही सेवा नियोजित किये जायेंगे भ्रमण एजेंट और मान्यता प्राप्त गाइडों का समझौता हो गया है।

सेठ अचल सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह उचित नहीं समझा गया है कि जो गाइड्स १०-१० या १५-१५ बरस से काम कर रहे हैं, उनको एग्जेम्पट कर दिया जाए ताकि वे अपना काम करते रह सकें ?

---

† ल अंग्रेजी में

श्री राज बहादुर : यह उचित हो सकता है लेकिन उसी शर्त पर जब कि वे गाइड्स अच्छी तरह अंग्रेजी या कोई दूसरी विदेशी भाषा बोल सकें और इस योग्य हों कि गाइड्स का काम कर सकें ।

लोक-सभा की सदस्यता के लिये इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारी

+

†*५४३. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री च० का० भट्टाचार्य :
सरदार अ० सि० सहगल :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कलकत्ता कार्यालय के एक अफसर ने आगामी सामान्य निर्वाचन में लोक-सभा के निर्वाचन के लिये खड़े होने की अनुमति प्राप्त करने की प्रार्थना की है ;

(ख) क्या अनुमति दे दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो किन आधारों पर अनुमति दी गई है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) कलकत्ता क्षेत्र में इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के एक यातायात अधिकारी ने विधान सभा का चुनाव लड़ने के लिये कारपोरेशन से अनुमति मांगी है ।

(ख) और (ग). यद्यपि कारपोरेशन ने पहले इस शर्त पर स्वीकृति दे दी थी कि निर्वाचित होने पर वह अधिकारी नौकरी से त्यागपत्र दे देंगे किन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत अनुशासन एवं अपील सम्बन्धी स्थायी आदेशों के उपबन्धों को दृष्टिगत करते हुए, पुनर्विचार करने पर, अब उक्त अधिकारी को सूचित किया गया है कि राज्य विधान मंडल के स्थान के लिये चुनाव लड़ने के पहले उन्हें नौकरी से त्यागपत्र देना चाहिये ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या अधिकारी से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है तथा क्या उन्होंने त्यागपत्र दिया है ? क्या उन्होंने दर्खास्त में भी यह भी लिखा है कि वह कम्यूनिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** मैं नहीं जानता कि वह किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे । किन्तु कारपोरेशन ने उनको सूचित कर दिया है कि यदि वह चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पहले नौकरी से त्यागपत्र दे दें ।

एक्सप्रेस डिलीवरी

†*५४४. **श्री प्र० गं० देव :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ११ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक व तार विभाग की 'एक्सप्रेस डिलीवरी'। प्रणाली को जारी रखने या हटाने के प्रश्न पर विचार किये जाने के बारे में क्या प्रगति हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या केवल इसी बात पर विचार किया जा रहा है कि इस प्रणाली को जारी रखा जाय या नहीं अथवा क्या इस प्रणाली में परिवर्तन एवं सुधार करने का भी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). एक्सप्रेस डिलीवरी प्रणाली समाप्त करने का प्रश्न नहीं है किन्तु उसमें परिवर्तन और सुधार के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है जैसा ११ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७२ में पहले ही बता दिया गया है।

(ग) एक्सप्रेस डिलीवरी प्रणाली में सुधार करने की दृष्टि से एक्सप्रेस डिलीवरी का काम दिल्ली, नई दिल्ली, पूना, हैदराबाद, सिकन्दराबाद, लनखऊ, इलाहाबाद, और मद्रास में प्रयोगात्मक आधार पर तारघरों से डाकघरों में स्थानान्तरित कर दिया गया है। एक्सप्रेस डिलीवरी वस्तुओं को थैलों में ले जाने और रखने के लिये अधिक शीघ्रताकारी व्यवस्था की गई है और इन्हें प्राप्त कारों को अविलम्ब पहुंचाने के लिये कदम उठाये गये हैं। इनके परिणाम अत्यन्त उत्साहवर्द्धक निकले हैं और यह परिवद्धित प्रक्रिया शनैः शनैः अन्य स्थानों में भी लागू कर दी जायेगी।

†**श्री प्र० गं० देव** : क्या सरकार ने भविष्य में एक्सप्रेस डिलीवरी चार्ज बढ़ाने का निर्णय कर लिया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : मुझे इस प्रकार के किसी निर्णय की जानकारी नहीं है। मेरा विचार है कि इस प्रकार कोई निर्णय नहीं किया गया है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : बजट भाषण में माननीय मंत्री ने यह संकेत दिया था कि एक्सप्रेस डिलीवरी के चार्ज बढ़ेंगे। किन्तु अब माननीय राज्य मंत्री कहते हैं कि उन्हें इस प्रकार के निर्णय की जानकारी नहीं है। क्या उन्होंने माननीय मंत्री का बजट भाषण पढ़ा है और क्या वह अब कुछ कह सकते हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : कुछ जानकारी यहां है। बोर्ड ने यह निर्णय किया है कि फिलहाल एक्सप्रेस डिलीवरी चार्ज में वृद्धि न की जाये।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : किन्तु आम चुनावों के बाद इसे कार्यान्वित किया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री भक्त दर्शन।

†**श्री राज बहादुर** : श्रीमान्, मैं इस आरोप का खंडन करना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने माननीय मंत्री से उत्तर देने के लिये नहीं कहा था। जब कोई माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मैं किसी अन्य सदस्य का नाम पुकार देता हूं तो इस स्थिति में प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाना चाहिये।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने बताया है कि यह नई व्यवस्था, यह नई सुविधा कुछ ही शहरों में की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसे और भी नगरों में चालू करने का विचार किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राज बहादुर : मैंने यह भी निवेदन किया है कि चूंकि इस नई सुविधा से जो कि प्रयोगात्मक रूप से चालू को गई थी, अच्छे और प्रोत्साहन देने वाले नतीजे निकले हैं, इसलिये इसको और भी बढ़ाया जाएगा, चालू किया जाएगा।

कांडला पत्तन में चोरियां

†*५४५. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांडला पत्तन के स्टोर से अभी हाल ही में लोहे और इस्पात की चोरी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). १२ अक्तूबर, १९६१ को लगभग ११ टन और १८ हंडरवेट वजन व ८,८३९ रुपये की लागत की इस्पात की छड़ों की चोरी के बाबत मालूम हुआ। पुलिस जांच कर रही है।

†**श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या चोरी का कुछ लोहा और इस्पात कांडला के एक स्टोर में पाया गया था ?

†**श्री राज बहादुर :** इस मामले की अभी विशेष जांच हो रही है और अभी इस विषय में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा।

भारत से बर्मा को मनीआर्डर सेवा

†*५४६. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से बर्मा को मनिआर्डर सेवायें चालू करने का क्या कारण है ;

(ख) क्या बर्मा से भारत के लिये भी इसी प्रकार की सुविधा मौजूद है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी परिसीमा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) भारतीय राष्ट्रजनों को थोड़ी राशि में भारत में रुपये भेजने में सहायता देने की दृष्टि से परस्पर सहयोग के आधार पर बर्मा के साथ मनीआर्डर सेवा पुनः प्रारम्भ कर दी गई।

(ख) जी हां ।

(ग) बर्मा से भारत प्रति व्यक्ति प्रति माह २० रुपये तक की राशि मनीआर्डर से भेजी जा सकती है।

†**श्री तंगामणि :** क्या वह नवीन सुविधा जो १-८-१९६१ से प्रारम्भ की गई है इसका आधार पुराना ही है अर्थात् इसमें निवास की अर्हता नहीं है अथवा क्या तीन वर्ष रहने जैसी कोई शर्त है ?

†**श्री राज बहादुर :** बर्मा सरकार ने दो प्रतिबन्ध और लगाये हैं और वह इस प्रकार हैं :

रुपया भेजने वाला पिछले तीन वर्ष में भारत गया हो और आश्रित व्यक्तियों के अस्तित्व के बारे में भारत के मजिस्ट्रेट का प्रमाणीकरण तीन महीने से अधिक पुराना न हो ।

---

†मूल अंग्रेजी म

यह प्रतिबन्ध लगाये गये हैं और इनमें उदारता कर युक्तियुक्त बनाये के लिये बातचीत हो रही है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या हमारे हाई कमीशन द्वारा बर्मा सरकार के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है कि पुरानी पद्धति ही जारी रखी जाये क्योंकि इन दो प्रतिबन्धों के फलस्वरूप कितने ही व्यक्ति मनीआर्डर प्राप्त नही कर पाते हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : मंत्रालय ने इस तीन वर्ष की अवधि को बढ़ाने के लिये अपने प्रयत्न जारी रखे हैं और यहां तक भारत के मजिस्ट्रेट का सर्टीफिकेट का प्रश्न है हमारे राजदूत ने बर्मी अधिकारियों से बातचीत की है। और वह हर बात के लिये सहमत हो गये हैं कि १-१-१९६० के पश्चात् दिये गये सब सर्टीफिकेट १९६१ में स्वीकार कर लिये जायेंगे ।

दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

†*५४७. **श्री बलराज मधोक** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को देखते हुये कि दिल्ली प्रशासन के सैंकड़ों कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों के लिये सरकार द्वारा बनायी गई बस्तियों में रह रहे हैं जहां केवल अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के जरिये ही चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध होती हैं । क्या दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को भी अंशदायी स्वास्थ्य सेवा की सुविधायें देने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो अंशदायी स्वास्थ्य सेवा की सुविधायें कब तक उन्हें दे दी जायेंगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

†**श्री बलराज मधोक** : क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के सैंकड़ों कर्मचारी उन कोलोनियों में रहते हैं जहां चिकित्सा सहायता के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अतिरिक्त अन्य व्यवस्था उपलब्ध नहीं है ?

†**श्री करमरकर** : मेरी जानकारी के अनुसार यह सही नहीं है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के अतिरिक्त और सुविधायें नहीं हैं । यदि इसमें कोई कठिनाई है तो इसका उत्तरदायित्व दिल्ली प्रशासन पर है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : उन्हें और क्या सुविधायें उपलब्ध हैं तथा क्या दवा पर खर्च राशि की पूर्ति का उपबन्ध उनके लिये है । दिल्ली प्रशासन कर्मचारियों के लिये और क्या सुविधायें उपलब्ध हैं ?

†**श्री करमरकर** : दिल्ली नगर निगम की अपनी डिस्पेंसरियां हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : हमारी जानकारी के अनुसार वहां कोई सुविधा नहीं है ।

†**श्री करमरकर** : माननीय सदस्य की जानकारी गलत है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कारखानों में वैगनों का निर्माण

†*५२८. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री ८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान क्षमता के आधार पर वर्ष १९६१-६२ में रेलवे के कारखानों द्वारा कितने ४ पहियों वाले वैगन बनाये जाने की आशा है ;

(ख) क्या इस बात की आशा है कि गैर-सरकारी निर्माताओं द्वारा किये गये उत्पादन में वर्ष १९६०-६१ में जो कमी रही थी वह वर्ष १९६१-६२ में पूरी हो जायेगी ;

(ग) वैगन-निर्माण कार्यक्रम में से खड़गपुर और जमालपुर के कारखानों को निकाल देने के क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष १९६१-६२ में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में कितने वैगन बनाये जाने की आशा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) १९६१-६२ (वैगन निर्माण वर्ष) में निम्न संख्या में वैगनों के उत्पादन की आशा है :—

किस्म	चार व्हील के रूप में संख्या
बाक्स वैगन	१९८०
चार व्हील वैगन . . .	१२१०
बी० जी० ब्रेकवान . . .	४०
एम० जी० ब्रेकवान . . .	५९
एम० जी० आयल टैंक वैगन . .	६२०
कुल . .	३०००

(ख) जी नहीं ।

(ग) खड़गपुर और जमालपुर वर्कशाप वैगन उत्पादन कार्यक्रम से बाहर नहीं है । आजकल वे एम० जी० आयल टैंक वैगन के लिये टैंक बैरल और दूसरे रेलवे वर्कशापों में वैगनों के निर्माण के लिये आवश्यक हिस्सों का निर्माण कर रहे हैं । खड़गपुर में १० बी० जी० और ७ एम० जी० गुड्स ब्रेकवान का निर्माण भी किया जा रहा है ।

जिन वर्कशापों में निर्माण क्षमता, श्रम और मशीनें आदि उपलब्ध हैं वहां वैगन निर्माण के आर्डर दिये जाते हैं ।

(घ) १९६१-६२ (वैगन निर्माण वर्ष)* में सरकारी और गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में वैगन निर्माण की संख्या निम्न प्रकार है :—

	४ व्हील के रूप में
सरकारी उद्योग क्षेत्र	लगभग ३०००
गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र	लगभग २३०००

*(वैगन निर्माण वर्ष जुलाई, १९६१ से जून, १९६२ तक है)

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में परिवहन सहकार समिति

†*५३२. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व परिवहन तथा संचार मंत्रालय द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के विचार से दिल्ली में एक परिवहन सहकारी समिति बनाने की एक योजना बनाई गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत दिल्ली में एक माल परिवहन सहकारी समिति स्थापित कर रजिस्टर्ड हो चुकी है। समिति के कुछ सदस्यों को सड़क परिवहन के कुछ पहलुओं की ट्रेनिंग दी गई है और भारी मोटर गाड़ियों को ड्राइव करने की ट्रेनिंग सब सदस्यों को देने की व्यवस्था विचाराधीन है। समिति के लिये १० ट्रक चैसीज का आर्डर दिया गया था इन में से पांच डिलीवर हो चुकी हैं। एक चैसी पर बाडी बन चुकी है और इसके लिये दिल्ली-लखनऊ मार्ग का परमिट प्राप्त कर लिया गया है । यह गाड़ी आजकल दिल्ली में चल रही है । दिसम्बर, १९६१ के प्रथम सप्ताह में दो और चैसीज पर बाड़ी बनकर तैयार हो जायेगी और शेष दो पर यह काम दिसम्बर, १९६१ के द्वितीय सप्ताह तक पूरा हो जायेगा ।

अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन सन्था

†*५३७. **श्री साधन गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) एयर इंडिया इंटरनेशनल ने अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन सन्था की सिडनी में हुई पिछली बैठक में एटलांटिक के पार के भाड़ों में कमी करने का प्रश्न उठाया था ;

(ख) क्या जेट विमानों के लिये अधिभार समाप्त करने का प्रश्न भी उठाया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). जी नहीं । सिडनी में अक्टूबर, १९६१ में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसियेशन की मीटिंग केवल वार्षिक जनरल मीटिंग थी जिसमें नीति सम्बन्धी मामलों पर चर्चा से सकती थी । विमान के किरायों का निर्धारण इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसियेशन ट्रैफिक कांफ्रेंस में ही किया जाता है । सिडनी की वार्षिक जनरल मीटिंग में एयर इंडिया इंटरनेशनल प्रतिनिधि ने सामान्यतया विश्वव्यापी किरायों में और विशेष रूप से उत्तर अटलांटिक किरायों में कमी के विषय की ओर अपने भाषण में चर्चा की थी ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी म

कोलम्बो में इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के वाइकाउन्ट का दुर्घटनाग्रस्त होना

†*५४८. { श्री तंगामणि :
श्री हेम बरुआ :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १५ नवम्बर, १९६१ को लंका में रत्मलामा (कोलम्बो) हवाई-अड्डे पर इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन का चार इंजन वाला वाइकाउन्ट नीचे उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ;

(ग) क्या ३९ यात्रियों में से या ५ विमान चालकों में से किसी को चोट लगी ;

(घ) क्या यह सच है कि मौसम खराब था और विमान चालक ने नीचे उतर कर दोबारा उड़ान की और वह फिर नीचे उतरा ; और

(ङ) क्या दुर्घटना जांच पड़ताल अधिकारियों की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) से (ङ). यह सच है कि इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन विस्काउण्ट विमान वी० टी० डी० आई० एच० मद्रास होकर बम्बई से कोलम्बो पर अनुसूचित यात्री सेवा चलाते समय, १५ नवम्बर, १९६१ को श्रीलंका में रतमालना (कोलम्बो) विमान अड्डे पर दुर्घटना ग्रस्त हुआ। किसी भी यात्री अथवा चालक को चोट नहीं पहुंची। इस दुर्घटना की जांच श्रीलंका अधिकारियों की ओर से की जा रही है और असैनिक उड्डयन विभाग के एक अधिकारी भी इस जांच कार्य से संबद्ध हैं।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की शीतकालीन उड़ान समय सूची में परिवर्तन

†*५४९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन की शीतकालीन उड़ान समयसूची में १८ नवम्बर, १९६१ से कुछ परिवर्तन किये गये हैं जिसमें कुछ सेवायें बन्द कर दी गयी हैं और कुछ अन्य सेवाओं की बारंबारता कम कर दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो समयसूची में परिवर्तन करने के क्या कारण थे ;

(ग) क्या पहली समयसूची के शीघ्र ही पुनः लागू किये जाने की कोई संभावना है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) कुछ समय के लिए विमानों की कमी पड़ जाना जो एक वाइकाउन्टट विमान की १५ नवम्बर, १९६१ को कोलम्बो में हुई दुर्घटना के कारण और बढ़ गई थी।

(ग) और (घ). ४-१२-१९६१ से कुछ अतिरिक्त सेवायें चालू की गई हैं। परन्तु सेवाओं को मांग के अनुसार बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

†मूल अंग्रेजी में

नई दिल्ली–पेरिस रेल-सम्पर्क

*५५०. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली से पेरिस तक एक रेल लाइन बनाने के लिये योजना बनाई जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो कौन कौन से देश इस योजना में शामिल हुए हैं ; और

(ग) इस योजना का विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) इस मंत्रालय को इस तरह के किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता ।

बम्बई-आगरा सड़क

†*५५१. **श्री यादव नारायण जाधव :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने स्थानों पर बम्बई-आगरा सड़क का मार्ग परिवर्तन करने का सरकार का विचार है और इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि यह सड़क मालेगांव (जिला नासिक), जो एक बना बसा हुआ शहर है, में मोड़ी जाने वाली है ;

(ग) यदि हां, तो यह कौन से मोल पर मोड़ी जायेगी और फिर पुरानी सड़क से कहां पर मिलाई जायेगी ; और

(घ) सड़क मोड़ने का यह काम कब शुरू होगा ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३२]**

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) और (घ). उत्पन्न नहीं होते ।

आदरा जंकशन पर लूट

†*५५२. **श्री बि० दासगुप्त :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३० अक्तूबर, १९६१ को ३१६ डाउन रेलगाड़ी के कुछ यात्री दक्षिणपूर्वी रेलवे के आदरा जंकशन पर रेलवे भोजन विभाग में जबर्दस्ती घुस गये और उन्होंने सरकारी रेलवे पुलिस तथा डिविजनल कमर्यिशल सुपरिंटेंडेंट की उपस्थिति में खाने पीने के सामान को लूटा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ मंत्रिगण जिनमें पश्चिम बंगाल सरकार के पुलिस मंत्री भी थे, उसी गाड़ी से यात्रा कर रहे थे और यह उनके सामने की गयी ;

(ग) क्या आदरा, दक्षिण-पूर्व रेलवे, से सभी सम्बन्धित को एक तार भेजा गया था और रेलवे मंत्री को इस आशय की कोई शिकायत मिली है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** (क) से (घ). आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

ट्रांसमीटरों की स्थापना

†*५५३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ११ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ५७ ट्रांसमीटरों की स्थापना के लिये पूरे प्रबन्ध करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). प्रश्न का उत्तर, सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा किसी बाद की तारीख को दिया जाएगा ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड

†*५५४. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ३१ अगस्त १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड में जहाज़ों के निर्माण के लिये सरकार ने कितने प्रतिशत आर्थिक सहायता दी है :

(ख) अब तक कुल कितनी आर्थिक सहायता दी गई है ;

(ग) भारत में बनाये गये जहाज़ों की लागत में विदेशी मुद्रा का अंश औसतन कितना रहता है ; और

(घ) रूरकेला में निर्मित्त इस्पात प्लेटों के ऊंचे मूल्यों और अपर्याप्त संभरण का हिन्दुस्तान शिपयार्ड के जहाज़ों की कीमतों पर कितना प्रभाव पड़ता है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क). जहाज़ों के निर्माण की लागत का २६ प्रतिशत ।

(ख) ३१-३-१९६१ तक ६,३५,११,४००० रुपए ।

(ग) निर्माण की लागत का ४३ प्रतिशत ।

(घ) रूरकेला की इस्पात प्लेटों की लागत आयातित प्लेटों से 'मितसुबिशी' टाइप के प्रति जहाज़ पर ८ लाख रुपए अधिक पड़ती है ।

वाणिज्यिक विपणन दायित्व

†*५५५. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरीका, आस्ट्रेलिया तथा कनाड़ा सरकार के साथ वाणिज्यिक विपणन दायित्वों को कम करने सम्बन्धी बातचीत का क्या नतीजा निकला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : हमारे वाणिज्यिक विपणन दायित्वों में कमी कराने के प्रयत्न अभी सफल नहीं हुए हैं।

आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियां

***५५६. श्री भक्त दर्शन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों के निर्माण को वैधानिक नियंत्रण के अन्तर्गत लाने के जिस सुझाव पर विचार किया जा रहा था, उसके बारे में क्या निर्णय किया गया है; और

(ख) इस बारे में इतनी देरी होने का क्या कारण है?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) अभी तक कोई अन्तिम निर्णय करना सम्भव नहीं हुआ है?

(ख) इस सुझाव का विस्तृत परीक्षण करने पर कतिपय व्यावहारिक अड़चनें प्रकाश में आई हैं और पहले उनका हल ढूंढ़ने का प्रयास किया जा रहा है।

कोचीन में जहाज बनाने का कारखाना

†***५५७. श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोचीन में स्थापित होने वाले जहाज बनाने के कारखाने के लिये सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था पूरी कर ली है;

(ख) यदि नहीं तो इस व्यवस्था को पूरी करने में क्या कठिनाई है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो व्यवस्था की मदें क्या हैं?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) चूंकि वार्ता अभी जारी है इसलिए अभी इस संबंध में कोई सूचना देना संभव नहीं है।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

सांगली के निकट विमान दुर्घटना

†***५५८.** { **श्री प्र० गं० देव :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ४ अक्तूबर, १९६१ को सांगली के निकट दो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गये थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) हां, श्रीमान्।

(ख) दुर्घटनाओं की जांच की जा रही है।

हुगली नदी के तल में रेत जमा हो जाना

†***५५९. श्री बर्मन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष तल में रेत जमा हो जाने से हुगली नदी की दशा और भी ज्यादा खराब हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो जहाज रानी पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ;

(ग) रेत को प्रभावोत्पादक रीति से हटाने के लिये फर्रक्का बांध के निर्माण से कितनी मात्रा में शीर्ष–जल (हैडवाटर) की आवश्यकता होगी; और

(घ) फर्रका बांध से कब तक इतना शीर्ष–जल (हैडवाटर) प्राप्त हो जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (घ). विवरण सभा–पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां। हुगली नदी के मुहाने में बालारी बार में इस वर्ष के दौरान रेत बहुत जमा हो जाने से जहाजों के ड्राफ्टों में कटौती करना आवश्यक हो गया है। हुगली नदी को नौगम्य धारा की अन्य रेत की दीवारों में कोई विशेष खराबी नहीं आई है, नूरपुर में फल्टा प्वाइंट योजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप होने वाली अस्थायी कठिनाइयों को छोड़–कर। कलकत्ता के पत्तन आयुक्त इन रेत की दीवारों पर गहन तलकर्षण द्वारा पर्याप्त गहराई कायम रखने में सफल रहे हैं।

(ख) पत्तन में आने और वहां से जाने वाले जहाजों को आँवण्टित ड्राफ्टों को वर्ष के दौरान बालारी बार में रेत भर जाने और डायमण्ड हार्बर पर वास्तविक उच्च जलस्तर के कुछ अवसरों पर पूर्वापेक्षित स्तर से एक फीट से अधिक गिर जाने के कारण कमी करनी पड़ी थी। बालारी बार में सितम्बर, १९६१ में पानी की गहराई ४'–६" रह गई थी। इस पर पत्तन आयुक्तों ने नौतारण का वैकल्पिक मार्ग—रंगाफल्ला नहर—खोल दिया। इस नगर को ११ सितम्बर, १९६१ से दिन और रात दोनों समयों के नौतारण के काम में लाया जा रहा है। बालारी बार को हल्के ड्राफ्ट के जहाजों के लिए खुला रखा गया था परन्तु उसे १५ अक्टूबर, १९६१ को नौतारण के लिए बन्द कर देना पड़ा था। अब पत्तन में प्रवेश करने वाले और पत्तन छोड़ने वाले समस्त जहाज रंगफल्ला नहर का प्रयोग कर रहे हैं। चूंकि यह नहर विश्वासनीय नहीं है इसलिए पत्तन आयुक्तों ने बालारी बार पर अधिक अनुकूल मार्ग पर एक नई नहर बनाने की योजना बनाई है। इस कार्य में बड़े पैमाने पर ठेके पर तलकर्षण कार्य होगा। जिसमें कलकत्ता के पत्तन आयुक्त भी अपना योग प्रदान करेंगे। कलकत्ता के पत्तन आयुक्तों के तलकर्षकों ने इस नई नहर का कार्य प्रारंभ कर दिया है और आशा है कि ठेकेदार के तलकर्षक भी शीघ्र ही कार्य प्रारंभ कर सकेंगे।

(ग) ४०,००० क्यूजेक तक फीडर नहर से और नियंत्रित संभरण प्रत्यक्ष शीर्ष से।

(घ) लगभग ८ वर्षों के समय में जब तक कि फर्रक्का बांध का निर्माण–कार्य समाप्त होने की आशा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली की शटल सेवा का विस्तार

*५६०. **श्री बलराज मधोक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मोती बाग में रहने वाले कर्मचारियों की यह पुरानी मांग है कि विनयनगर तक चलने वाली शटल गाड़ियों को मोती बाग में स्थित जैदी मार्केट तक बढा दिया जाये; और

(ख) इस सिलसिले में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) और (ख). सरोजनी नगर शटल गाड़ियों को मोती बाग के जैदी मार्केट तक चलाने की मांग की जाती रही है। इस सुझाव की जांच की गयी है जिससे मालूम हुआ है कि सवारी गाड़ियों को मोती बाग में इस जगह तक चलाना सम्भव नहीं है क्योंकि शांतिपथ ऊपरी पुल से पश्चिम की ओर की रेलवे लाइन पत्थर की खान से सम्बन्धित यातायात के लिए है।

धनुषकोडि और तलइमन्नार के बीच नाव सेवा

†*५६१. **श्री संगामणि** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि धनुषकोडि तलइमन्नार नाव सेवा को शीघ्र बन्द कर दिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या कोई अभ्यावेदन मिले हैं जिनमें पिछड़े रामनाद जिले के महत्व को दृष्टि में रखते हुए इस प्रस्ताव का विरोध किया गया है?

रेल उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). चूंकि धनुषकोडि और तलइमन्नार के बीच नावसेवा घाटे पर चल रही है और चूंकि समुद्र धनुषकोडि के तट को काट रहा है इसलिए नाव सेवा की रेलवे आस्तियों को पूर्वी नौपरिवहन निगम को, जो पूर्णतः सरकारी स्वामित्व का उपक्रम है, अभी धनुषकोडि और तलइमन्नार के बीच और बाद में त्यूतीकोरिन और कोलम्बो के बीच सेवा की व्यवस्था करने के लिए हस्तान्तरित करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। परन्तु सरकार द्वारा इस मामले में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) हां, श्रीमान्।

महाराष्ट्र में अकाल की स्थिति

†*५६२. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच कि महाराष्ट्र राज्य के कुछ जिलों में अकाल की स्थिति है;

(ख) क्या राज्य ने अकाल की स्थिति वाले तालुकों तथा जिलों की रिपोर्ट की है;

(ग) राज्य ने स्थिति को सुधारने के लिये क्या सहायता मांगी है और इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

(ग) कोई नहीं।

जहाजों से कोयले का परिवहन

†*५६३. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री अरविंद घोषाल :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री मुरारका :
श्री न० म० देब :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कलकत्ते में दक्षिण तथा पश्चिम भारत के बन्दरगाहों को प्रतिवर्ष २० लाख टन कोयला भेजने के लिये कितने जहाजों की आवश्यकता है;

(ख) इस कार्य में इस समय कितने जहाज लगे हुए हैं;

(ग) जहाजों की कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा उन पर कितना अतिरिक्त व्यय होगा; और

(घ) अब तक निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले कितना कोयला जहाजों में से भेजा गया है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) ४५ से ५० जहाजों के बीच लदाई और उतराई के पत्तनों पर जहाजों के चक्कर के अनुसार।

(ख) इंडियन कोस्टल कान्फ्रेंस द्वारा दिए गए ३४ जहाज जिनमें से कुछ चावल के काम में भी लाए जाते हैं।

(ग) भारत के नौवहन निगम ने कोयला ढोने के लिए ३ विदेशी जहाज मंगाऐ हैं। शीघ्र ही कुछ और जहाज मंगाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त समुद्रपार व्यापार के जहाज भी तब तक सेवा में कायम रखे जा रहे हैं जब तक संभव हो सके। नौवहन समवाय भी व्यापार के लिए कुछ जहाज प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस संबंध में नौवहन समवायों द्वारा किए गए व्यय का सही अनुमान लगाना कठिन है।

(घ) कलकत्ता से १ मई, १९६१ से १५ नवम्बर, १९६१ तक ८०४,०४८ टन कोयला जहाजों से भेजा गया है।

कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र

†*५६४. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री खीमजी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला बन्दरगाह के एक भाग को निर्बाध व्यापार क्षेत्र घोषित करने की दृष्टि से कांडला पत्तन का व्योरेवार अध्ययन करने के लिये नियुक्त विशेष अधिकारी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रीलय मे राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते।

भारत में दूसरा टेलीफोन कारखाना

*५६५. श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० चं० माझी :
श्री नेकराम नेगी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दामानी :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री कोडियान :
श्री अगाड़ी :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०४४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में टेलीफोन निर्माण का एक और कारखाना स्थापित करने के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : यह मामला अभी तक विचाराधीन है।

बिजली के इंजिन

†*५६६. श्री प्र० गं० देव :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में ही चित्तरंजन में बिजली के इंजन के निर्माण पर कितनी रकम व्यय की गई थी ; और

(ख) १९६१ में कितने इंजन बन जाने की आशा है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) अभी तक लगभग ३४ लाख रुपये।

(ख) बड़ी लाइन के बिजली के १५०० वोल्ट डी० सी० के दो इंजन।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत-लंका विमान सेवा

†*५६७. **श्री तंगामणि** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की सेवा को त्रिचिनापल्ली, मदुरै, त्रिवेन्द्रम् के रास्ते लंका तक बढ़ाने के बारे में लंका सरकार के साथ बातचीत कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) इस समय इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा एयर सीलोन की लंका और भारत के बीच कितनी सेवायें चालू हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री महीउद्दीन)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) **इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन** : प्रति सप्ताह ७ वाइकाउन्ट विमानों से ।

एयर सीलोन : प्रति सप्ताह १० डी० सी० ३ विमानों से ।

गुलमर्ग में शीत ऋतु का खेलकूद केन्द्र

†१०८२. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुलमर्ग में एक स्केटिंग रिंक बनाकर उसका एक शीत ऋतु के खेलकूद केन्द्र के रूप में विकास करने के प्रस्ताव के संबंध में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इस योजना के लिये कोई केन्द्रीय सहायता दी गई है और यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) उसके कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

पर्यटन के विकास की तीसरी पंचवर्षीय योजना में गुलमर्ग (काश्मीर) में २०.०० लाख रुपये की अनुमानित लागत से शीत ऋतु के खेलकूदों की विकास की एक योजना सम्मिलित है । व्यय प्रत्यक्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाना है । जाड़े के खेलकूदों के विकास में खेलकूद के शौकीनों को गुलमर्ग से अलपठार ले जाने के लिये रज्जुपथों की स्थापना की योजना भी है । योजना का अणु शक्ति विभाग के साथ समन्वय किया जा रहा है जिसका वैज्ञानिकों और उपकरण के वहन के लिये गुलमर्ग से अफेखाट तक एक रज्जुपथ बनाने का प्रस्ताव है । उस विभाग ने उस क्षेत्र का प्रारम्भ में चेक इंजीनियरों के दल द्वारा सर्वेक्षण कराया था जिसने रज्जुपथ के लिये किसी मार्ग का सुझाव दिया था । पर्यटन विभाग के अनुरोध पर आस्ट्रिया के एक शीत ऋतु के खेलकूदों के विशेषज्ञों ने दिसम्बर, १९६० में उस क्षेत्र का निरीक्षण किया और उसने रज्जुपथ के मार्ग में कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया । अणुशक्ति विभाग ने सितम्बर-अक्टूबर,

†मूल अंग्रेजी में

१९६१ में परियोजना के लिये प्रविधिक आवश्यकताओं का ब्यौरा तैयार करने के लिये एक फ्रांसीसी परामर्शदाता इंजीनियर की सेवायें प्राप्त कीं। इस इंजीनियरिंग परामर्शदाता का प्रतिवेदन प्रतीक्षित है। परामर्शदाता इंजीनियर का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर शीत ऋतु के खेल कूदों के विकास के अन्य पहलुओं की, जैसेकि प्रैक्टिस स्काई लिफ्ट और स्केटिंग रिंक की स्थापना, गुलमर्ग में एक होटल और स्काई स्कूल आदि खोलना, जांच उसके अनुसार की जा सकेगी।

बटाला स्टेशन में दर्ज की गई शिकायतें

†१०८३. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के बटाला स्टेशन पर वर्ष १९६०-६१ के दौरान कितनी और किस प्रकार की शिकायतें दर्ज कराई गईं ; और

(ख) उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) बटाला स्टेशन की शिकायत पुस्तक में १ अप्रल, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ तक की अवधि में ३ शिकायतें दर्ज की गई थीं।

शिकायतों की संख्या और उनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :

शिकायतों की प्रकृति	संख्या
(१) अशिष्टता	१
(२) यांत्रिक दोष जैसे, पंखों अथवा बिजली का ठीक काम न करना	१
(३) विविध शिकायतें	१
योग	३

(ख) कोई भी शिकायत सिद्ध नहीं हुई।

उत्तर रेलवे पर चोरियां

†१०८४. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में अप्रैल, १९६१ से अक्टूबर, १९६१ तक चोरियों और सम्पत्ति की क्षति के कितने मामले हुये ; और

(ख) वर्ष १९५९-६० की उस अवधि के मामलों की तुलना में वे कैसे हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

उत्तर रेलवे में अप्रल, १९६१ से अक्टूबर, १९६१ तक बुक किये गये माल की चोरियों की संख्या				उत्तर रेलवे में अप्रैल, १९६१ से अक्टूबर, १९६१ तक बुक किये गये माल की चोरियों की संख्या		
	संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि	वसूल की गई राशि	संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि	वसूल की गई राशि
		रुपये	रुपये		रुपये	रुपये
चोरियां	१६६	१,२२,५२१	३१,६६२	२२१	१,७९,१३९	६४,१२६
छोटी चोरियां	७३	३,००३	९५१	८६	२,२८९	१,३४१

पठानकोट और बटाला स्टेशनों का नव-निर्माण

†१०८५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे पर पठानकोट और बटाला स्टेशनों के नव-निर्माण के बारे में अब तक क्या प्रगति की गई है ;

(ख) उपरोक्त स्टेशनों पर दी जाने वाली सुविधाओं का क्या स्वरूप और ब्योरा है ; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) पठानकोट और बटाला रेलवे स्टेशनों के नव निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

दिल्ली में सड़कें

†१०८६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली में कितने मील लम्बी सड़कें बनाई गईं, और उन पर कितना धन व्यय किया गया ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली में सड़कों के निर्माण पर १५.१२ लाख रुपये खर्च किये गये । इस अवधि में लगभग ११ मील लम्बी सड़कें बनायी गयीं । इसके अतिरिक्त द्वितीय योजना के अन्त में कुछ सड़कों पर काम हो रहा था ।

स्टेशनों का नव-निर्माण

†१०८७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब उत्तर रेलवे के कुछ स्टेशनों का नव-निर्माण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो स्टेशनों के क्या नाम हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या उनके नव-निर्माण के लिये स्टेशन पर कार्य के नियम बना लिये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां।

(ख) हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली किशनगंज, मोदीनगर, गुलधर, मुजफ्फरनगर, मेरठ शहर, बौराला, अम्बाला छावनी, सोनीपत, धूरी, रिवाड़ी, हनुमानगढ़, रतनगढ़, हिसार, हरिद्वार, बरेली, चन्दौसी, हरदुआगंज, सीतापुर शहर, अजगैन, सफदरगंज, शाहगंज, मोहवाल, मालीपुर, अकबरपुर, चिलबिला, जंघई, फैजाबाद, जौनपुर लखनऊ, ममदडी, मारवाडबलिया, खुनखुना, सुजानगढ़, लाडणू, खाटू, मारवाड छापरी, गोटन, बनार, जोगीमगरा, राई का बाग, हस्वन्त, आलावास, बासनी, जालोर, मारवाड, भीनमाल, पीपाडरोड, लूणी जंक्शन, विन्ध्याचल, मिर्जापुर, मंडारोड, सूबेदारगंज, जूही, मुक्खनपुर, कौरारा, टूंडला और अलीगढ़।

(ग) ये नियम बनाये गये हैं नव-निर्मित यार्ड को यातायात के खोलने से पूर्व इनको क्रियान्वित किया जायेगा।

रेलवे डाक्टरों के लिये क्वार्टर

†**१०८८. श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे पर उन रेलवे डाक्टरों की क्या संख्या है जिनको रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित क्वार्टर दिये गये हैं।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : १८१।

विमानों द्वारा यात्रा करने वाले यात्री

†**१०८९. श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो कि :

(क) वर्ष १९६० में दमदम, सांताक्रुज और मीनाकबकम हवाई अड्डों पर यात्रियों की क्या संख्या रही, और

(ख) इन हवाई अड्डों पर कितने टन डाक और सामान उठाया गया ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ३३]**

मध्य प्रदेश में परिवार नियोजन

†**१०९०. श्री पांगरकर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में, वर्ष-वार, खोले गये परिवार नियोजन केन्द्रों की क्या संख्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में मध्य प्रदेश में २४१ परिवार नियोजन केन्द्र खोले गये जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है ?

वर्ष	परिवार नियोजन केन्द्रों की संख्या
१९५८–५९	६७
१९५९–६०	७५
१९६०–६१	९९
कुल	२४१

†मूल अंग्रेजी में

महाराष्ट्र में चिकित्सा और स्वास्थ्य योजनायें

†१०९१. **श्री पांगरकर** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंच वर्षीय योजना के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य को विभिन्न चिकित्सा और स्वास्थ्य योजनाओं पर किये गये आवंटन का क्या स्वरूप है ;

(ख) वर्ष १९६१–६२ के लिये, योजना-वार, कितना धन आवंटित किया गया गया है; और

(ग) प्रत्येक योजना के लिये अब तक कितना धन दिया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) महाराष्ट्र राज्य की विभिन्न चिकित्सा और स्वास्थ्य योजनाओं के लिये राज्य की तृतीय पंचवर्षीय योजना में किये गये उपबन्ध बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिय परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३४]**

(ख) और (ग). केन्द्रीय सहायता देने के बारे में वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, योजना-वार धन राशि का आवंटन नहीं किया जाता परन्तु योजनाओं के दल अथवा श्रेणियों के लिये प्रत्येक वर्ष के अन्त में धन मंजूर किया जाता है। तथापि, किसी वित्तीय वर्ष के लिये आवंटित कुल केन्द्रीय सहायता की तीन-चौथाई राशि राज्य सरकार को वर्ष के दौरान नौ समान किस्तों में एक मुश्त मार्गोपाय अग्रिम धन दिया जाता है। वर्ष १९६१–६२ के लिये महाराष्ट्र सरकार को केन्द्रीय सहायता का आवंटन निम्न प्रकार है : —

(रुपये लाखों में)

	ऋण	अनुदान	कुल
केन्द्रीय सहायता–प्राप्त योजनायें	११५.००	१६४.००	२७९.००
केन्द्रीय पोषित योजनायें	—	१५.१८	१५.१८
कुल	११५.००	१७९.१८	२९४.१८

महाराष्ट्र में ग्राम्य जल-संभरण योजनायें

†१०९२. **श्री पांगरकर** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में ग्राम्य जल-संभरण योजनाओं के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में कोई उपबन्ध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). जी, हां। महाराष्ट्र की तृतीय पंच-वर्षीय योजना में निम्नलिखित योजनाओं के लिये १६३ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है :

(रुपये लाखों में)

१. प्रादेशिक ग्राम्य जल-संभरण योजना .	१८.००
२. ग्राम्य कूप जल-संभरण योजना .	७१.००
३. ग्राम्य पंचायत जल-संभरण और जल-निस्सारण योजनायें	७४.००

इसके अतिरिक्त, तृतीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और स्थानीय विकास कार्य कार्यक्रम के अधीन भी ग्राम्य जल संभरण योजनायें के लिये उपबन्ध किया गया है ।

शिमला हिल से चकराता तक सड़क

†१०९३. **श्री चुनी लाल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-तिब्बत सीमा पर उत्तराखंड डिवीजन में एक मोटर चलाने योग्य सड़क बना कर पंजाब में शिमला हिल स्टेशन को सीधे देहरादून जिले में चकराता छावनी स्टेशन के साथ मिलाया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(ग) सड़क की लागत और उपयोगिता क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है जिस से शिमला और चकराता के बीच सीधे सड़क सम्पर्क के लिये उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड जिले में मोटर चलाने योग्य सड़क बनाई जायेगी।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

काश्मीर में कालाकोट में तापीय बिजलीघर

†१०९४ **श्री प्र० गं० देव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर में कालाकोट में एक तापीय बिजली घर, स्थापित किया जाने वाला है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कुल कितना धन मंजूर किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां।

(ख) इस योजना के लिये तृतीय योजना में १०० लाख पये की व्यवस्था की गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी के कारखाने

†१०९५. **श्री शि० ला० सक्सेना :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ३१ अक्तूबर, १९६१ को निम्नलिखित कारणों से देश में प्रत्येक चीनी कारखाने पर कितनी रकम बकाया है ;

(१) गन्ने के मूल्य की अदत्त बकाया ;

(२) सहकारी समिति के कमीशन की अदत्त बकाया;

(३) अदत्त गन्ना मूल्य पर ब्याज की अदत्त बकाया;

(४) कर की अदत्त बकाया ;

(५) आय-कर की अदत्त बकाया ; और

(६) मजूरी और अन्य श्रमिक देयों की अदत्त बकाया ; और

(ख) इन बकाया राशियों की वसूली के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जायेंगे और कब तक यह आशा की जाती है कि इनका पूरा भुगतान कर दिया जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) (१) एक विवरण संलग्न है जिस में ३१-१०-१९६१ को गन्ने के मूल्य की अदत्त बकाया के बारे में बताया गया है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३५]**

(क) (२) से (६) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जैसे ही चीनी के स्टाक की बिक्री की जाती है, गन्ने के मूल्य की बकाया का भुगतान किया जाता है ।

रेल गाड़ियों में यात्रियों की हत्या

†१०९६. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जुलाई, से ३१ अक्तूबर, १९६१ तक डकैतों ने चलती गाड़ी में कितने यात्रियों की हत्या की तथा कितने घायल किए ; और

(ख) पुलिस ने इसके बारे में क्या जांच की है, तथा इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) और (ख). आवश्यक जानकारी इकट्ठा की जा रही है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेलगाड़ियों में डकैतियां

†१०९७. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० जून, १९६१ को समाप्त होने वाले छः महीनों में (रेलवे-वार) चलती गाड़ियों में कितनी डकैतियां पड़ीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितने व्यक्ति हताहत हुए तथा कितने मूल्य की सम्पत्ति (रेलवे-वार) लूट ली गई; और

(ग) अदालतों द्वारा कितने व्यक्ति रोके गये, गिरफ्तार हुए तथा कितने व्यक्तियों को सजा दी गई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) से (ग). आवश्यक जानकारी इकट्ठा की जा रही है तथा मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राजपुरा में ऊपरी पुल

†**१०९८. श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजपुरा के ऊपरी पुल के पुनः निर्माण के प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) संभवतया माननीय सदस्य राजपुरा की जी० टी० रोड की वर्तमान लैवल क्रासिंग के स्थान पर ऊपरी पुल का उल्लेख कर रहे हैं यदि हां, तो स्थिति नीचे बताई जाती है :—

राज्य सरकार ने दूसरी योजना में इस योजना को शामिल किया था परन्तु बाद में उन्होंने ही इसको तीसरी योजना के लिये लम्बित कर दिया था। ज्यूंही पंजाब सरकार विशिष्ट वर्ष में काम के अपने भाग के धन खर्च करने की स्वीकृति दे देगी तभी योजना को आरम्भ कर दिया जायेगा।

परन्तु यह भी बताया जा सकता है कि राजपुरा यार्ड के अन्त में लुधियाना में सड़क पर ऊपरी पुल बनाया जा चुका है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पंजाब में चीनी के कारखानों के मालिक

†**१०९९. श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के चीनी कारखानों के मालिकों द्वारा १९६०–६१ में कमाया गया लाभ १९५९–६० के लाभ से अधिक है ; और

(ख) इन वर्षों में अलग अलग कितना लाभ हुआ था ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). जानकारी उपलब्ध नहीं है। कारखानों में अलग अलग लेखा वर्ष है जो ३१ मार्च से ३१ अक्तूबर तक का होता है। समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा २१०, जिसका हाल में ही संशोधन किया गया है, में लेखा वर्ष के समाप्ति के बाद संतुलन पत्र बनाने के लिये छः महीने का समय देने की व्यवस्था है तथा कभी कभी समवायों के रजिस्ट्रार समय को बढ़ा भी देते हैं।

---

†मूल अंग्रजी में

होशियारपुर और दसुआ के बीच ट्रंक टलीफोन की व्यवस्था

†११००. **श्री दलजीत सिंह** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के होशियारपुर तथा दसुआ के बीच सीधी ट्रंक टेलीफोन व्यवस्था नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां ।

(ख) इन स्थानों के बीच यातायात कम होन के कारण सीधी व्यवस्था बनाना ठीक नहीं समझा गया। मुर्खात्थान और जालन्धर के द्वारा ही दिन प्रतिदिन के 'कालें' होती रहेंगी।

रेलवे लाइन का टूट जाना

११०१. **श्री राधा मोहन सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर के अन्तिम सप्ताह में बकुलहा और सुरेमनपुर स्टेशनों के बीच छपरा-वाराणसी लाइन टूट गई थी और उस लाइन पर कई दिन तक गाड़ियां नहीं चलीं ;

(ख) यदि हां, तो लाइन टूटने का क्या कारण था, क्या गाड़ियां साधारण रूप से चल रही हैं और क्या रेलवे लाइन की मरम्मत स्थायी या अस्थायी रूप से कर दी गई है ; और

(ग) मरम्मत पर कितना व्यय हुआ और स्थायी मरम्मत पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) जी हां । लाइन टूट जाने के कारण २६–१०–१९६१ को रात के १२ बजे से २८–१०–१९६१ को रात के १.१५ बजे तक सीधी गाड़ियों का आना जाना बन्द कर दिया गया था ।

(ख) और (ग). गांव वालों ने रेलवे का पुश्ता काट दिया था । जिसकी वजह से लाइन टूट गयी । ३६,००० रु० की अनुमानित लागत से अस्थायी रूप से लाइन की मरम्मत कर दी गयी है और अब गाड़ियां सामान्य रूप से चल रही हैं । लाइन की स्थायी मरम्मत पर लगभग १८,००० रु० और खर्च का अनुमान है ।

रेलवे की जमीन

११०२. **श्री राधा मोहन सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाराणसी–छपरा लाइन पर बकुलहा और सुरेमनपुर स्टेशनों के बीच नई और पुरानी रेलवे लाइनों के बीच कितने एकड़ कृषि योग्य भूमि पड़ी हुई है ;

(ख) क्या जल निस्सारण का प्रबन्ध न होने के कारण इस भूमि में काश्त नहीं की जाती है ; और

(ग) उस क्षेत्र से जल निस्सारण के लिये और इस भमि को कृषि योग्य बनाने के लिये रेलवे प्रशासन ने क्या योजना बनाई है और इस पर कितनी लागत का अनुमान है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) लगभग १५० एकड़ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). जी नहीं। बरसात में जमीन का केवल कुछ हिस्सा पानी में डूब जाता है और जब बरसाती पानी सूख जाता है तो उस जमीन पर खेती की जाती है। फिर भी स्थायी रूप से छः फुट की एक पुलिया बनाने का विचार है जिसमें एक फाटक लगाया जायेगा जिसे उठाया और गिराया जा सकता है। इस काम की अनुमानित लागत १८,००० रुपये है।

बटाला स्टेशन

†११०३ **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के बटाला स्टेशन के पहले तथा तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय बहुत छोटे हैं तथा वहां पर अन्य यात्री सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में कुछ सुधार करने का क्या कोई प्रस्ताव है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). जी नहीं। इस समय एक पहला तथा दूसरे दर्जे का तथा एक तीसरे दर्जे का प्रतीक्षालय है। इनको पर्याप्त समझा गया है। परन्तु तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्लेट फार्म पर सायबान तथा प्लेटफार्म पर और ऊंचे दर्जे में लैटरीन बनाने का प्रस्ताव है। 'रिटायरिंग रूम' की व्यवस्था करने पर भी विचार किया जा रहा है।

मथुरा रोड, दिल्ली के अतिरिक्त दूसरी सड़क

†११०४. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुरानी तथा नई दिल्ली को मिलाने वाली मथुरा रोड के अतिरिक्त दूसरी सड़क बनाने के प्रस्ताव के संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: दिल्ली प्रशासन के परामर्श से हार्डिंग ब्रिज को दुगना करके वर्तमान पुल के नीचे की सड़क के समानान्तर सड़क बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया है। परन्तु अन्य प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं जैसे (१) पुराने किले के निकट मथुरा रोड के बीच एक स्थायी सड़क तथा राष्ट्रीय राजपथ संख्या २ उपसड़क और (२) जहां पर स्कूल लेन रेलवे लाइन को काटती है वहां पर ऊपरी पुल। इन अन्य प्रस्तावों से पुरानी तथा नई दिल्ली का यातायात हो सकेगा और इसलिये हार्डिंग ब्रिज को दुगना बढ़ाने को आस्थगित कर दिया गया है।

खाद्यान्नों के मूल्यों में कमी

†११०५. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अक्तूबर, १९६१ से खाद्यान्नों के मूल्य कितने कम हो गये हैं ; और

(ख) विभिन्न स्थानों पर सरकार के भांडारों में कितना गल्ला है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) खाद्यान्नों के (आधार १९५२-५३=१००) थोक के मूल्यों का देशनांक सितम्बर, १९६१ को समाप्त होने वाले सप्ताह में १०२.७ था जो १८ नवम्बर, १९६१ को समाप्त होने वाले सप्ताह में १०२.९ हो गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) केन्द्र सरकार के पास १२-११-१९६१ को २३.७८ लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न थे। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों के पास इस तिथि को लगभग ४.३४ लाख मीट्रिक टन का भांडार था।

बारंगल स्टेशन

†११०६. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंच वर्षीय योजना में बारंगल स्टेशन के विकास के लिये कोई योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसके अलग अलग कार्यों पर कितनी रकम व्यय की गई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दामोदर घाटी निगम का विद्युत् विभाग

†११०७. **श्री मुहम्मद इलियास**: क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम ने हाल में ही अपने विद्युत् विभाग में वरिष्ठ इंजीनियर के सेवा-निवृत होने के कारण उच्च स्तरीय परिवर्तन किये थे ; यदि हां, तो तो उक्त इंजीनियर कब सेवा-निवृत हुआ था ; और

(ख) क्या उपरोक्त परिवर्तन सलाहकार बोर्ड के परामर्श से किये गये थे ; यदि हां, तो यह परिवर्तन किन परिस्थितियों में हुए हैं ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां। जब १९६२ के मध्य में चीफ इलैक्ट्रिकल इंजीनियर सेवा-निवृत होंगे? उस समय की स्थिति की ठीक करने के लिये दामोदर घाटी निगम ने कुछ परिवर्तन किये हैं।

(ख) जी नहीं। सलाहकार बोर्ड की सलाह टैक्नीकल मामलों में ली जाती है। परिवर्तन प्रशासनिक सुविधा के लिये किये गये हैं ?

स्नातकोत्तर चिकित्सा अध्ययन संबंधी प्रतिवेदन

†११०८. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :
श्री तंगामणि :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्नातकोत्तर चिकित्सा अध्ययन के प्रश्न पर विचार करने के लिये डा० ए० लक्ष्मणस्वामी मुदालियर के सभापतित्व में नियुक्त समिति ने क्या अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) डा० ए० लक्ष्मणस्वामी मुदालियर के सभापतित्व में नियुक्त स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा योजना समिति के निर्देश पद निम्न हैं :—

(१) स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा विकास समिति (मोर समिति) के प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने के बाद से चिकित्सा सहायता तथा जनस्वास्थ्य का निर्धारण अथवा मूल्यांकन)

(२) प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना स्वास्थ्य परियोजनाओं का पुनरीक्षण

(३) देश में स्वास्थ्य विकास की भविष्य की योजना के बारे में सिफारिश देना।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अग्रिम परियोजनायें

†११०९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ८ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिये अग्रिम परियोजनाओं के बारे में जर्मन कृषि शिष्टमंडल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० बें० कृष्णप्पा)** : (क) जी हां।

(ख) शिष्टमंडल ने सिफारिश की है कि भारतीय स्थिति में जितना संभव है उतना ग्राम्य जनता को जर्मनी के आधुनिक कृषि अनुसंधान के अनुभव बताने तथा ज्ञान देने के लिये अग्रिम तौर पर हिमाचल प्रदेश के मण्डी ज़िले में जर्मन फैडरल रिपब्लिक का एक कृषि सहायता दल स्थापित किया जाये।

(ग) शिष्टमंडल की सिफारिशों के अनुसार जर्मन फैडरल रिपब्लिक की सरकार से एक समझौते का प्रारूप मिला है। भारत सरकार उस पर विचार कर रही है।

हस्तिनापुर में चीनी का कारखाना

†१११०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २४ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हस्तिनापुर में चीनी के कारखाने की स्थापना में क्या प्रगति यदि कोई हो, हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : कोई प्रगति नहीं हुई है।

आयुर्वेदिक औषधि संहिता

†१११९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २४ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के लिये आयुर्वेदिक औषधि संहिता बनाने में अग्रेतर क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : मामला अभी विचाराधीन है।

दामोदर घाटी निगम अधिनियम

†**१११२. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १४ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दामोदर घाटी निगम अधिनियम के प्रारूप संशोधनों पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा।

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) प्रस्तावित संशोधनों पर दामोदर घाटी निगम और संबंधित राज्यों के परामर्श से अभी भी विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उड़ीसा में जल संभरण योजनायें

†**१११३. श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में राज्य की जल संभरण योजनाओं की क्रियान्विति के लिये उड़ीसा को कोई सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो क्रमशः कितनी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). जी हां। राष्ट्रीय जल संभरण योजना तथा सफाई कार्यक्रम (ग्राम्य) के अधीन उड़ीसा सरकार को १९६०-६१ वर्ष के लिये ग्राम्य जल संभरण योजनाओं के लिये ७.७१ लाख रुपये का अनुदान दिया गया था। १९६१-६२ वर्ष के लिये केन्द्रीय सहायता निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फरवरी-मार्च, १९६२ में स्वीकृत होगी।

केन्द्र में सड़क मंडल

१११४. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ११ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७३ के उत्तर सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र में एक सड़क मण्डल (रोड बोर्ड) स्थापित करने के जिस सुझाव पर विचार किया जा रहा था उसके बारे में क्या निश्चय किया गया है ; और

(ख) उसके कब तक स्थापित हो जाने की आशा है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). जैसा कि उल्लिखित मौखिक प्रश्न संख्या ३७३ के उत्तर में बताया गया है इस प्रस्ताव के अन्तर्गत विभिन्न अधिकारियों से जिनमें प्रदेश सरकारें भी शामिल हैं, परामर्श किया जायगा। अतः इस विषय में निर्णय करने में कुछ समय लगेगा। फिर भी यह विषय सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

शाहदरा, दिल्ली में मानसिक चिकित्सालय

११२५. श्री भक्त दर्शन :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या स्वास्थ्य मंत्री २९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि शाहदरा (दिल्ली) में मानसिक चिकित्सालय की स्थापना में क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : प्रस्तावित अस्पताल भवन के कुछ भागों के विस्तृत प्लान पूरे हो चुके हैं और उन्हें केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग को उनके विस्तृत प्राक्कलन (डिटेल्ड एस्टिमेट्स) तैयार करने के लिये दे दिया गया है। आशा है कि शेष भवन से सम्बन्धित प्लान भी दिसम्बर, १९६१ तक दे दिये जायेंगे।

बर्मा से चावल

†१११६. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा से मिलने वाला चावल बर्मा सरकार के अनुरोध पर अब अगले वर्ष मिलेगा; और

(ख) यदि हां, तो अभी कितना चावल मिलना है तथा इसके अगले वर्ष मिलने के क्या कारण हैं ;

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). बर्मा में असमय वर्षा के कारण उपयुक्त किस्म का चावल प्राप्य नहीं था। हमने बर्मा सरकार के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है कि इस वर्ष मिलने वाले चावल का कुछ भाग १९६२ की फसल से दे दिया जाय। २ लाख टन का ठेका किया गया था जिस में से अब तक लगभग १०५ हजार टन चावल जहाज द्वारा आया है। संभव है इस वर्ष कुछ और चावल आ जाये।

तूतीकोरिन बन्दरगाह

†१११७. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री नंजप्प :
श्री कोडियान :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तूतीकोरिन बन्दरगाह के विकास में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : तूतीकोरिन बन्दरगाह में चट्टान का स्तर पाने की जांच की जा रही है जिस से बन्दरगाह ऐसे स्थान पर बनाया जा सके जहां पर कम से कम चट्टानें तोड़नी पड़ें, । इन भू छिद्रणों के परिणामों का पता लगने पर योजना बनाई जायगी। और डिजायन तथा प्राक्कलन तैयार किये जायेंगे। जांच में लगभग छः महीने लग जायगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना

†१११८. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति तथा अन्य केन्द्रीय पण्य द्रव्य समितियों के कर्मचारियों को इन समितियों में आरम्भ से ही केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी माना जाता है ;

(ख) क्या इन समितियों के कर्मचारियों को अन्य केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान बिना किन्हीं संशोधनों के पहले वेतन आयोग के लाभ दिये गए थे ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन पण्य द्रव्य समितियों के तीसरी तथा चौथी श्रणियों के कर्मचारियों को दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भी सभी लाभ दिए गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) से (घ). केन्द्रीय पण्य द्रव्य समितियां (भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति समेत) जो विशिष्ट संहिताओं के अधीन अथवा सरकारी संकल्पों द्वारा गठित होती ह ; का दिन प्रतिदिन के प्रशासन उन के नियमों तथा विनियमों के अनुसार होता है क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन स्वायत्तशासी संस्थाओं के रूप में होता है । केवल अधिनियमों/सरकारी संकल्पों/नियमों में उपबंधित केन्द्र सरकार का प्रशासनिक तथा वित्तीय नियंत्रण इन पर होता है । इसलिए इन समितियों के कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी नहीं होते हैं ।

पहले वेतन आयोग ने इन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के बारे में कुछ नहीं कहा था । परन्तु फिर भी पण्य द्रव्य समिति के विभिन्न पदों के लिए वेतन-क्रम इन समितियों के परामर्श से आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने स्वीकार कर दिए हैं । समितियों के कर्मचारियों को महंगाई तथा अन्य भत्ते पुनरीक्षित दरों पर दिए गए थे । दूसरे वेतन आयोग ने भी पण्य द्रव्य समितियों जैसी अर्द्ध स्वायत्तशासी संस्थाओं, के कर्मचारियों के वेतन आदि पर विचार नहीं किया था। परन्तु पण्य समितियों के (तीसरी तथा चौथी श्रेणियों समेत) विभिन्न पदों के वेतन क्रम दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के कर्मचारियों को दिए गए वेतन-क्रमों के अनुसार ही पुनरीक्षित कर दिए गए हैं। समितियों के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन-क्रम १-७-१९५९ से ही दिए गए हैं । इसी तिथि से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भी वेतन-क्रम दिए गए हैं । केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिए गए अन्य लाभ भी पण्य द्रव्य समितियों को दिए गए हैं ।

नई दिल्ली नगरपालिका

†१११९. **श्री बलराज मधोक** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका ने कुछ संघ मंत्रालयों पर आरोप लगाया है कि वह नई दिल्ली नगरपालिका से किए गए वायदों से फिर गये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह आरोप किन मंत्रालयों के विरुद्ध लगाये गये हैं तथा उन्होंने क्या वायदे किए थे ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

डाक तथा तार विभाग की आय

†**११२०. श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, से ३० सितम्बर, १९६१ की अवधि में निम्नलिखित शीर्षों के अधीन डाक तथा तार विभाग की कुल लगभग आय क्या है तथा पहले वर्ष की इसी अवधि के आंकड़े क्या हैं ?

(१) पोस्टेज स्टाम्पों समेत पोस्टल स्टेशनरी की बिक्री ;
(२) तार ;
(३) रजिस्टर्ड तथा इन्श्योर्ड डाक ;
(४) मनीआर्डर ;
(५) रेडियो लाइसेन्स फीस; और

(ख) बढ़ोत्तरी अथवा घटोत्तरी के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) (१)

१-४-६० से ३०-९-६० ; . . १५,८९ लाख रुपये
१-४-६१ से ३०-९-६१; . . . १७,३३ लाख रुपये

(२) तथा (३) उपरोक्त अवधि में इन शीर्षों के अधीन आय बताना संभव नहीं है क्योंकि तार तथा स्टाम्पों का राजस्व नकद आता है और रजिस्टर्ड तथा इन्श्योर्ड डाक की आय स्टाम्पों में होती है । इसलिए यह मद (१) में शामिल हो जाती है ।

(४) १-४-६० से ३०-९-६१; . . . २,३३ लाख रुपये
१-४-६१ से ३०-९-६१; . . . २,६३ लाख रुपये

(५) १-४-६० से ३०-९-६०; . . . ९.४२ लाख रुपये
१-४-६१ से ३०-९-६१; . . १३.५९ लाख रुपये

(ख) देश का व्यापार तथा उद्योग बढ़ने के फलस्वरूप (१) तथा (४) के अधीन आय बढ़ गई है । रेडियो की अधिक बिजली बिक्री के कारण मद (५) के अधीन आय बढ़ गई है ।

सैक्रीन

११२१. श्री विभूति मिश्र : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में बहुतेरी मिठाइयों और ठंडे पेय बनाने में चीनी के बदले "सैक्रीन" का इस्तेमाल होता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि "सैक्रीन" स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) मिठाइयों के तैयार करने में चीनी के बदले सैक्रीन के प्रयोग के बारे में सरकार के पास कोई शिकायत नहीं आई है। किन्तु यह बताया गया है कि एरेटेड वाटर में मिठास देने के लिये या तो केवल इसका या फिर चीनी के साथ मिला कर इसका प्रयोग होता है ;

(ख) यदि एक आदमी प्रतिदिन ५ ग्रेन तक सैक्रीन खाये तो यह हानिकारक नहीं है ।

(ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम १९५५ के अनुसार सैक्रीन मिश्रित खाद्यान पर उपरोक्त नियमों के ४७वें नियम में निर्धारित एक ऐसा लेबल लगा हुआ होना चाहिये जो कि उसे सैक्रीन-मिश्रित घोषित करे ।

चीफ कंजरवेटर आफ फोरेस्ट

†११२२. { **श्री म० ला० द्विवेदी** :
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्देमान द्वीप समूह के जंगल विभाग में पिछले सात-आठ महीनों से चीफ कन्जरवेटर आफ फोरेस्ट्स का स्थान रिक्त पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक भरे जाने की आशा है ; और

(ग) इन द्वीपों में आधुनिक ढंग से वन विभाग को गठित करने और आय बढ़ाने की दिशा में तीसरी योजना में किये जाने वाले कार्यों का क्या ब्यौरा है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) और (ख). वन के मुख्य संधारक, अन्देमान के पद को खाली नहीं रखा गया है।

(ग) अन्देमान वन विभाग के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में निम्न कार्यों के लिये उपबन्ध है :—

(१) सामग्री का क्रय जिसमें छः ट्रैक्टरें और गौण सामग्री, तीन टोइंग बोट्स के लिये तीन मेराइन डेजिल इंजनें और एक रिंग बोट के लिये एक मेराइन इंजिन और एक समुद्र में जाने वाला लांच शामिल है ।

(२) वन विभाग के लिये नावें बनाने के लिये प्रबन्ध में सुधार ।

(३) उद्योगिक पेड़ों को उगाना—२२५० एकड़ों में माचिस की लकड़ी और ३७५० एकड़ में टीक की लकड़ी ।

(४) ६०० एकड़ में मलाया की केन के पौधे लगाना ।

(५) वनवर्धन अनुसंधान ।

(६) कृषि कार्य जिसमें अन्देमान समूह द्वीपों में प्रति वर्ष २१० एकड़ भूमि में टीक, पडोक पियनमा और बेंग वृक्षों का कृत्रिम पुनर्जनन शामिल है ।

(७) प्रभागों में वन-कर्मचारियों की सुविधा के लिये स्थायी विश्रामगृहों का बनाना।

(८) वनपालों और वन-रक्षकों के लिये एक प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना।

(९) द्वीपों में वनों के लिये ब्यौरे वाला भंडार, नक्शे बनाना और कार्यकारी योजना का संशोधन।

(१०) रोस द्वीपों में एक शिकार मृगवन की स्थापना।

पहली दो योजनायें विभाग के निस्सारण क्षमता को सुधारने के लिये बनायी गई हैं, जो कि अतिरिक्त राजस्व दिलायेंगी। इनके बाद की अगली चार मदें द्वीपों में इमारती लकड़ी के संसाधनों के विकास का कार्य करेंगी और इस प्रकार भविष्य में अधिक राजस्व प्राप्त होगा।' नवीं मद से विभाग में भंडार अवस्था और वन संसाधनों के वितरण से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध होगी और हमेशा के लिये बाकायदा निरन्तर उत्पत्ति को बनाये रखने के विचार से ये जानकारी सुस्थित अवस्था में समुपयोजन करने में मदद करेगी। मद संख्या (७) और (८) विभाग के कार्य में सुचारुता और कार्यदक्षता प्रदान करेंगी। मद संख्या (१०) द्वीपों में वन्य पशुओं के सुरक्षा के उपबन्ध के अतिरिक्त, एक मनोरंजन केन्द्र का काम करेगी और दर्शकों को भी आकर्षित करेगी।

न॰ दिल्ली नगरपालिका

११२३. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका कमेटी ने सरकारी बस्तियों में, सड़कों पर बजरी बिछाने का काम तब तक के लिये बन्द कर दिया है, जब तक सरकार हाउस टैक्स व अन्य सेवाओं के संबंध में उसकी बकाया रकम को चुकता नहीं कर देती ;

(ख) यदि हां, तो कमेटी का कितना रुपया सरकार ने अभी तक नहीं दिया है ; और

(ग) इस देरी का क्या कारण है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) जी नहीं। नई दिल्ली नगरपालिका पर सरकारी बस्तियों के बजरी बिछे रास्तों को साफ करने की जिम्मेदारी है न कि बजरी बिछाने की।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

कटनी-शहडोल सेक्शन में दुर्घटना

११२४. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछली १० जुलाई को कटनी-शहडोल सेक्शन में दुर्घटना की जांच कराई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) दुर्घटना के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां ।]

(ख) विभागीय जांच समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि दुर्घटना का यह कारण था कि मालगाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को बहुत तेज रफ्तार से चला रहा था ।

(ग) दुर्घटना के लिये जिम्मेदार कर्मचारी के विरुद्ध उपयुक्त कारवाई की जा रही है ।

पशुओं में पांव और मुंह का रोग

११२५. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पशुओं में पांव और मुंह का रोग रोकने के लिये विभिन्न राज्यों को सरकार ने इस वर्ष कितनी राशि दी है ;

(ख) क्या चालू वर्ष में इस रोग के बारे में कुछ विशेष गवेषणा की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या कोई प्रयोग सफल हुआ है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) पांव और मुंह के रोग संबंधी अनुसंधान के कार्य पर भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्था में प्रगति हो रही है। पांव और मुंह के रोग पर आजकल के मौजूदा तरीकों से नियंत्रण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इस कारण इस कार्य के वास्ते भारत सरकार कोई अनुदान नहीं दे रही है ।

(ख) भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्था में निम्न अनुसंधान कार्य की प्रगति हो रही है :—

(१) पांव और मुंह के रोग के कारण के स्ट्रेन्स का जीव विज्ञानीय अध्ययन ।
(२) भारतीय क्षेत्र स्ट्रेन्स का टाईपिंग ।
(३) इस रोग के नियंत्रण के लिये एक उपयुक्त वैक्सीन को निकालने के विचार से विकसित होने वाले अंडों, गीनिया सुअर और रेबिट एम्ब्रयोस पर वायरस का धारण ।
(४) तुलनात्मक गुण का अध्ययन करना (१) क्रिसटल वाइलेट (२) एल्युमिना गोल और (३) वाटर आइल एडजुवेंट वैक्सीन ।

एक उपयुक्त वक्सीन के विकास के संबंध में भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्था में खाद्य और कृषि संगठन का एक विशेषज्ञ कार्य कर रहा है। उसका किया हुआ कार्य अभी प्रारम्भिक अवस्था में है ।

(ग) नई वैक्सीन के संबंध में कुछ प्रारम्भिक कार्य किया गया है, लेकिन किसी अन्तिम निर्णय पर पहुंचने के लिये अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है ।

एशियाई रेलवे कांफ्रेंस

†**११२६. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई रेलवे कांफ्रेंस की बैठक नई दिल्ली में नवम्बर, १९६१ के मध्य में हुई थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो बैठक में क्या क्या मुख्य विचार तथा सिफारिशें की गईं ; और

(ग) सरकार ने उन पर यदि कोई निश्चय किया है, तो क्या निश्चय किया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) तेरहवीं एशियाई रेलवे कांफ्रेंस, नई दिल्ली में १३ से १५ नवम्बर, १९६१ तक हुई थी और इसका अन्तिम अधिवेशन कलकत्ता में २२ नवम्बर, १९६१ को हुआ था।

(ख) और (ग) कांफ्रेंस ने निम्नलिखित बातों पर चर्चा की :—

(१) विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था में रेलों का विकास ।

(२) परिवहन नीति तथा समन्वय ।

(३) इंजन, डिब्बों आदि का मानकीकरण तथा उनका स्थानीय निर्माण ।

भाग लेने वाले १५ देशों में से प्रत्येक देश के प्रतिनिधियों ने उपरोक्त विषयों पर विचार विनिमय किया परन्तु कोई औपचारिक सिफारिश नहीं की गई ।

स्कूल जाने वाले बच्चों को वर्दियों का मुफ्त दिया जाना

†**११२७. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २०० रु० के कम मासिक वेतन पाने वाले रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को, जो प्राइमरी स्कूल जाते हैं, मुफ्त वर्दी देने की एक योजना शुरू की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इससे रेलवे कमचारियों के कितने बच्चों को लाभ होगा ;

(ग) योजना पर प्रति वर्ष कितना व्यय होगा; और

(घ) एक वर्ष में प्रत्येक बच्चे को कितनी वर्दियां दी जायेंगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) हां, श्रीमान् । अब वेतन-सीमा २२५ रु० कर दी गई है ।

(ख) लगभग ४०,००० प्रति वर्ष, परन्तु प्रति वर्ष संख्या के भिन्न रहने की संभावना है ।

(ग) लगभग ९·५ लाख रु० वार्षिक परन्तु संभव है कि यह राशि प्रति वर्ष भिन्न रहे ।

(घ) दो वर्ष में एक बार तीन सूती वर्दियां और ठंडे इलाकों में पूरी आस्तीन का स्वेटर प्रत्येक बच्चे को दिया जायेगा ।

पर्यटक पथप्रदर्शक (टूरिस्ट गाइड्स) के रूप में सरकारी कर्मचारी

†**११२८. श्री झूलन सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी सेवा में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने पथ प्रदशक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (गाइड ट्रेनिंग कोर्स) का प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जो पर्यटक-पथ प्रदर्शक (टूरिस्ट गाइड) के रूप में काम करते हैं और इस प्रकार अपने वेतन के अतिरिक्त धनोपार्जन करते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इन अधिकारियों को अपनी यह आय सरकारी कोष में जमा करनी पड़ती है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों की क्या संख्या है, उनके स्थायी पद क्या हैं और उन्होंने अपना प्रशिक्षण समाप्त के बाद सरकारी कोष में कितना धन जमा किया है; और

(घ) क्या यह सच है कि अब सरकारी कर्मचारियों को पथप्रदशक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (गाइड ट्रेनिंग कोर्स) में प्रवेश पाने की अनुमति नहीं दी जाती ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) हां।

(ख) सरकारी नियमों के अनुसार, हां।

(ग) ऐसे अधिकारियों की संख्या और उनके पदों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न किया जाता है। उनके स्थायी पदों और ऐसे पथप्रदर्शकों द्वारा सरकारी कोष में जमा की गई राशि के बारे में तत्काल जानकारी उपलब्ध नहीं है।

विवरण

क्लर्क	७
मेकेनिक्स . .	३
टेलीफोन विभाग के कर्मचारी .	२
सेक्शन आफिसर, प्रशिक्षण में (केन्द्रीय सरकार) .	१
टेक्निकल असिस्टेन्ट्स	२
निरीक्षक, असैनिक संभरण	१
लेखापरीक्षक, महालेखापाल, राजस्थान	१
इकोनामिक इन्वेस्टीगेटर . .	१
जयपुर के टूरिस्ट बंगले का वेयर टेकर .	१
स्टोर-कीपर, इक्विपमेन्ट विभाग, ए० एफ० बम्बई	१
उप सहायक निदेशक, भारतीय मलेरिया संस्था, दिल्ली	१
प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालय मद्रास में काम कर रहा है . . .	१
गैरीज़न इंजीनीयर, मद्रास के कार्यालय में काम कर रहा है . . .	१
योग	२४

(घ) हां। इस बारे में एक वर्ष पहिले आदेश दिये गये थे।

†मूल अंग्रेजी में

सड़क दुर्घटनायें

†११२९. **श्री झूलन सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले दो वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ी है या कम हुई है; और

(ख) उन्हें न्यूनतम बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी राज्य सरकारों/प्रशासनों से एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

डाक्टरों का प्रशिक्षण

†११३०. **श्री झूलन सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन ने देश में अल्प-कालीन प्रशिक्षित डाक्टर प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव रखा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में भारतीय चिकित्सा परिषद् का परामर्श लिया गया है; और

(ग) योजना की रूपरेखा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) से (ग). ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी पूरा करने के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने अक्टूबर, १९६० में हुई अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पर विचार किया था जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा देने के लिये उपयुक्त चिकित्सा तैयार करने की दृष्टि से लाइसेन्स प्राप्त चिकित्सक (एल० एम० पी०) पाठ्यक्रम को पुनः आरम्भ करने का उल्लेख था। बैठक में कोई निश्चय नहीं किया था और मामला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, केवल मैसूर सरकार ने शिमोगा और बीजापुर में चिकित्सा स्कूल आरम्भ करना स्वीकार किया है। भारतीय चिकित्सा परिषद् को स्कूल खोलने की आवश्यकता नहीं है ।

बनस्पति घी के कारखाने

११३१. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बनस्पति घी के किन-किन कारखानों के नमूने विहित विशिष्ट विवरण के अनुरूप नहीं निकले; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और उसका क्या परिणाम निकला ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). जिन कारखानों के कुछ नमूने १९६० में विहित विवरण के अनुरूप नहीं निकले, उनके नाम और उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही निम्न रूप से है :—

	नाम और स्थिति	की गई कार्यवाही
१.	गवर्नमेंट हाइड्रोजनेशन फैक्ट्री, कालीकट (केरला)	चेतावनी दी गई ।

†मूल अंग्रेजी में

नाम और स्थिति	की गई कार्यवाही
२. मेसर्ज़ तुंगभद्रा इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, करनूल (आन्ध्र प्रदेश)	चेतावदी दी गई ।
३. मैसर्ज़ अमृत वनस्पति कं०, लिमिटेड गाज़ियाबाद (उ० प्र०)	अभियोग चलाया जा रहा है ।
४. मैसर्ज़ रोहतास इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, डालमिया नगर (बिहार)	अभियोग चलाया जा रहा है ।
५. मैसर्ज़ स्वैका वनस्पति प्रौडक्ट्स लिमिटेड, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)	अभियोग चलाया जा रहा है ।
६. मैसर्ज़ वेजिटेबल आयल इन्डस्ट्रीज़, दावांगिरी (मैसूर)	अभियोग चलाया जा रहा है ।

सिंचाई और विद्युत् परियोजनाय

†११३२. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कोई नीति निश्चित की गई है कि प्रत्येक बड़ी और मध्यम पैमाने की सिंचाई और विद्युत् परियोजना पर होने वाला अनावर्तक और आवर्तक प्रशासी व्यय कुल लागत के कुछ प्रतिशत या उनकी आय से अधिक नहीं होना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिशत निर्धारित किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रशासी व्यय को न्यूनतम बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रत्येक परियोजना के लिये उपबन्धित आवर्तक और अनावर्तक प्रशासी व्यय की योजना स्वीकार करते समय गहन परीक्षा होती है और बाद में भी विभिन्न परियोजनाओं से प्राप्त अनुभव को ध्यान में रख कर अधिकतम मितव्ययता करने के लिये निरन्तर पुनरीक्षण होता रहता है ।

प्लास्टिक के शहद के छत्ते[1]

†११३३. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २४ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहद का उत्पादन शीघ्र बढ़ाने के लिए देश में प्लास्टिक के बने शहद के छत्तों का प्रयोग करने की संभावना की जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो यह अनुभव कहां तक सफल रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Plastic Honey Combs.

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग और मधुपालन प्रयोगशाला (खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड), महाबलेश्वर को प्लास्टिक के बने शहद के छत्तों के बारे में बताया गया था। मार्च, १९६२ से आरम्भ होने वाली आगामी ऋतु में प्रयोग करने के लिये वे देश में प्लास्टिक के शहद के छत्ते बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

कांडला और झुण्ड के बीच रेलवे लाइन

†११३४. **श्री खोमजी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड काण्डला और झुण्ड के बीच बड़ी लाइन बनाने के लिये अपने निश्चय पर पुनः विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी)** (क) और (ख). वर्तमान यातायात और निकट भविष्य में आशातीत यातायात के लिए विद्यमान छोटी रेलवे लाइन की क्षमता पर्याप्त है। फिर भी, भावी आवश्यकताओं का मामला रेलवे बोर्ड और परिवहन मंत्रालय के विचाराधीन है।

यातायात कर्मचारियों के लिये इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन का प्रशिक्षण

†११३५. **श्री बसुमतारी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर लाइन्स कारपोरेशन नये यातायात कर्मचारियों को निश्चित प्रशिक्षण देता है ;

(ख) १९५५ से अब तक वर्षानुसार कितने कर्मचारियों को यातायात का प्रशिक्षण दिया गया है ;

(ग) क्या इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने एक यातायात नियम-पुस्तिका प्रकाशित की है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**प्रतिनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) हां, श्रीमान। नये कर्मचारियों को दो/तीन सप्ताह तक प्रारम्भिक अनुदेश दिये जाते हैं। फिर उन्हें "कार्य–संबंधी" प्रशिक्षण के लिए अनुभवी साथियों के साथ रख दिया जाता है।

(ख) यातायात प्रशिक्षण योजना १९५९ से आरम्भ की गई थी। १९५९, १९६० और १९६१ में तीन क्षेत्रों में प्रशिक्षित किये गये कर्मचारियों की संख्या निम्न है :

	१९५९	१९६०	१९६१	योग
बम्बई क्षेत्र	५८	८३	४४	१८५
कलकत्ता क्षेत्र	१५३	१२१	८७	३६१
दिल्ली क्षेत्र	९	९	१२	३०
	२२०	२१३	१०३	५७६

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). कारपोरेशन ने १९५७ में अपने केन्द्रों द्वारा प्रयोग किये जाने के लिए एक साइक्लोस्टाइल्ड यातायात नियम पुस्तिका जारी की थी। संशोधन, जानकारी और स्पष्टीकरण करने वाले अतिरिक्त परिचालित पत्र भी कारपोरेशन ने जारी किये हैं। आज तक नियम पुस्तिका का पुनरीक्षण हो रहा है । क्योंकि पुस्तिका में कारपोरेशन के कर्मचारियों के विस्तृत अनुदेश ही है, इसलिए उसकी प्रति सभा पटल पर रखने का विचार नहीं है ।

राज्यों में पानी का रुक जाना

†११३६. **श्री खीमजी :** क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में पानी कहां कहां रुक जाता है; और

(ख) उन्हें कृषि योग्य बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

असम में भूकम्प

११३७. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३० सितम्बर, १९६१ को ४ बजे सायंकाल सिलीगुड़ी (असम) में भूकम्प का धक्का लगा था ;

(ख) यदि हां तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) उससे कितनी क्षति का, यदि कोई हुई हो तो, अन्दाजा है ?

असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) और (ख). ३० सितम्बर, १९६१ को इंडियन स्टैण्डर्ड टाइम के मुताबिक सुबह ४ बज कर ७ मिनट पर नेपाल तिब्बत की सरहद के नजदीक २८० उत्तर लैटीच्यूट और ८७० पूरब लांगीच्यूड के एपी-सेन्टर पर कुछ थोड़ी तेजी के साथ एक जलजला आया। दिन के करीब उसी वक्त पश्चिमी बंगाल के सिलीगुड़ी पर भी उसकी कंपकंपी महसूस की गई ।

(ग) जमीन की कंपकंपी की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ ।

अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा[1]

†११३८. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में भारत का जापान से अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा सम्बन्ध स्थापित हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या व्यय हुआ ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) हां, ३ अक्टूबर, १९६१ से ।

(ख) बम्बई से जापान के लिए विद्यमान टेलीप्रिन्टर सर्किट के साथ ११,००० रु० की और मशीन लगा कर जापान से अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा स्थापित की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]International Telex Service

अलीगढ़ में यात्रियों पर आक्रमण

†११३९. **{श्री प्र० गं० देव :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३ अक्टूबर, १९६१ को अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर ड्राइवर और यात्रियों पर आक्रमण किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें कोई प्रतिकर दिया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) अभी पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है ।

टेलीफोन जिला अधिकारियों के पास मोटर साइकिल

†११४०. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेली जिला दिल्ली के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दी गई मोटर साइकिलों की मरम्मत, रख रखाव और पी० ओ० एल० पर १९५९–६१ में कितना वार्षिक व्यय हुआ; और

(ख) इन मोटर साइकिलों का निजी प्रयोग किये जाने के लिये इन अधिकारियों तथा कर्मचारियों से यदि कोई राशि ली गई, तो कितनी राशि ली गई ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) वार्षिक व्यय १९५९-६० में ८,६६१ रु० और १९६०-६१ में १०,३८७ रु० २७ मोटर साइकिलों पर किया गया ।

(ख) जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के अपने क्षेत्र में बहुत घूमना पड़ता है उन को यात्रा-भत्ता के स्थान पर मोटर साइकिलें दी जाती हैं । उन के क्षेत्राधिकार में यात्रा के लिये उन से कुछ नहीं लिया गया है ।

भवन निर्माण मजदूरों की मजूरी की दर

†११४१. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: क्या **रेलवे** मंत्री ६ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३४९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल केन्द्रों पर रेलवे उन मजदूरों को मजूरी की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर भी नहीं दे रही हैं जो इमारतों के निर्माण, सड़कों के निर्माण, पत्थर तोड़ने, आदि में लगे हुए हैं ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार के संस्थानों द्वारा रखे गये पश्चिमी बंगाल के ठेकेदार १ सितम्बर, १९६१ के कलकत्ता गजट में प्रकाशित हाल में बढ़ी दर पर मजदूरों को मजूरी क्यों नहीं दे रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के संस्थान और उन की ओर से काम करने वाले ठेकेदारों पर वे दर लागू होती हैं जो केन्द्रीय सरकार निश्चित करती है । राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित दरें लागू नहीं होतीं ।

उड़ीसा में सूखा

†**११४२. श्री बें० चं० मलिक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि उड़ीसा में गंजम जिले के बड़े बड़े क्षेत्र हाल में सूखा पड़ने से प्रभावित हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा सरकार से कोई रिपोर्ट मिली है ; और

(ग) प्रभावित क्षेत्रों में क्या सहायता दी गई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : (क) से (ग). राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रखी जायेगी ।

एक मजिस्टेट द्वारा डी० टी० एस० सैलून का प्रयोग

†**११४३. श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के फतेहगढ़ के डी० टी० एस० के सैलून कार का अगस्त, ६११९ में कानपुर-फर्रुखाबाद के मध्य में किसी रेलवे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सैलून को किन नियमों के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट को दिया गया था ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच पड़ताल की जा रही है और उस का क्या परिणाम निकला ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग) जनवरी, १९६१ से अगस्त, १९६१ के बीच कुछ मौकों पर रेलवे मजिस्ट्रेट, फतहगढ़ को उन की प्रार्थना पर निरीक्षण डिब्बा, जब कभी उपलब्ध हुआ, दिया गया था । निरीक्षण डिब्बे का दिया जाना अब बन्द कर दिया गया है ।

रेलवे द्वारा चीनी की ढुलाई

†**११४४. श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि चीनी का कन्ट्रोल उठाने के पश्चात्, चीनी की खुदरा कीमतें बहुत बढ़ गई हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे की ओर से चीनी की ढुलाई में कन्ट्रोल के पहले जो सुविधायें मिलती थीं वे अब उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ग) यदि हां, तो चीनी उद्योग में स्टोर की कठिनाइयां पार करने और बाजार में इस की खुदरा कीमत कम करने के लिये रेलवे द्वारा इस की ढुलाई सम्बन्धी सुविधाओं के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) रेलवे लाइन में दरारें उत्पन्न होने के फलस्वरूप ढुलाई स्थिति कठिन हो गई थी और कलकत्ता में चीनी के भाव में कुछ अस्थायी वृद्धि हो गई थी इस के अतिरिक्त प्रमुख बाजारों में कंट्रोल समाप्त होने के बाद कीमतें में वृद्धि नहीं हुई ।

(ख) और (ग). कंट्रोल के दौरान चीनी की ढुलाई श्रेणी (ग) के अधीन प्राथमिकता में रखी गई थी । कन्ट्रोल समाप्त होने पर उक्त श्रेणी में चीनी की ढुलाई के लिये आवश्यक जानकारी सप्लाई करने के लिये फैक्टरियों को कुछ समय लगा । अतः रेलवे बोर्ड ने सब रेलों को यह अनुदेश दे दिया कि इस बीच चीनी को प्राथमिकता की ढुलाई श्रेणी में सम्मिलित कर लिया जाये । नवम्बर १९६१ के दूसरे पखवाड़े में चीनी की ढुलाई श्रेणी 'ग' के अन्तर्गत, फैक्टरियों से प्राप्त वैगनों की आवश्यकता के आधार पर, प्रारम्भ किया जा रहा है ।

रक्त चाप‡

†११४५. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिक सन्तान वाले व्यक्तियों में तेज रक्त चाप का रोग प्रायः नगण्य है ; और

(ख) क्या २० अक्टूबर, १९६१ के 'हिन्दुस्तान टाइम्स में आक्सफोर्ड के चिकित्सा प्रोफेसर सर जार्ज पिकरिंग द्वारा किये गये वैज्ञानिक विश्लेषण के प्रकाशन के आधार पर कोई अध्ययन किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) भारत सरकार को जानकारी नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

बर्मा को मनीआर्डर सेवा

†११४६. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा को मनी आर्डर सेवा पुनः आरम्भ कर दी गई है ; और

(ख) अभी तक कितने रुपये बर्मा भेजे गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) बर्मा को मनी आर्डर सेवा पुनः [प्रारम्भ होने के समय से ३१-१०-६१ तक ४६ रुपये ।

मैसूर राज्य में चीनी के कारखाने

†११४७. **श्री अगाड़ी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य के रायचूर जिले में गंगावटी में चीनी का कारखाना प्रारम्भ करने के लिये लाइसेंस किस तारीख को दिया गया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

‡Blood Pressure

(ख) यह फैक्टरी कब तक स्थापित हो जायेगी ;

(ग) क्या यह सच है कि लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति ने कारखाने के निर्माण के लिये अभी कोई कार्यवाही नहीं की है और वह इस की स्थापना के लिये इच्छुक नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (घ). २३ जून, १९६० को ड्राफ्ट लाइसेंस जारी किया गया था किन्तु ४ अक्टूबर, १९६१ को उसे रद्द कर दिया गया क्योंकि कारखाने की स्थापना के लिये उन्होंने कोई प्रभावक कार्य नहीं किये ।

डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये आवास

†**११४८. श्री मान** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १८ से २० वर्ष से अधिक नौकरी वाले डाक तथा तार कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटित नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में ऐसे डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों की कितनी संख्या है ; और

(ग) सरकार इन कर्मचारियों को इन से ज्येष्ठ कर्मचारियों की प्राथमिकता में, जिन्हें दिल्ली में ठहरने के आधार पर सरकारी आवास आवंटित किया जाता है, सरकारी आवास देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ग). दिल्ली स्थित डाक तथा तार कर्मचारियों को उन की दिल्ली अवधि के आधार पर डाक तथा तार क्वार्टर संग्रह में से आवास दिया जाता है अतः विभाग के १८ वर्ष की सर्विस वाले कर्मचारी जो दिल्ली में काम कर रहे हैं, वह डाक तथा तार क्वार्टर को पाने के लिये यथेष्ट बारी तक नहीं पहुंचे हैं ।

(ख) ४१२ ।

डाकखानों और रेलवे मेल सर्विस के इंस्पेक्टर

†**११४९. श्री माने** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग की डाकखानों के इंसपेक्टर और रेलवे मेल सर्विस के इंसपेक्टर की १९५५, १९५६, १९५७, १९५८, १९६० और १९६१ की परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कितने स्थान रक्षित किये गये थे;

(ख) इन परीक्षाओं में कितने रिजर्व स्थानों को अनरिजर्व माना गया था; और

(ग) इन श्रेणियों में रिजर्व कोटा पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). एक विवरण संलिहित है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ३६]** ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १९६१ की परीक्षाओं के परिणाम अभी तैयार नहीं हैं। १९५५ से १९६० तक ९१२ उम्मीदवार चुने गये थे इन में से १०२ अनुसूचित जातियों से और १० अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बद्ध थे। अनुसूचित जातियों में स्थानों की पूर्ति में कमी नगण्य है, इंसपेक्टर श्रेणी में इनकी भरती के सिलसिले में विदेशी कदम उठाने के लिये औचित्य नहीं है। इस में कोई सन्देह नहीं कि अनुसूचित आदिम जातियों के सफल उम्मीदवारों की संख्या अधिक नहीं है परन्तु किसी भी प्रकार के व्यावहारिक कदम इस अवस्था को समुन्नत नहीं करेंगे क्योंकि पर्याप्त संख्या में यह उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे।

दामोदर और महानदी नदियों के लिये बाढ़ चेतावनी केन्द्र

†११५०. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन् १९५८ में दिल्ली में स्थापित बाढ़ चेतावनी केन्द्र पानी की वृद्धि के बारे में सही भविष्यवाणी और चेतावनी भेज रहे हैं; और

(ख) क्या दामोदर और महानदी नदियों में इसी प्रकार के बाढ़ केन्द्र स्थापित किये जायेंगे ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां, ± ०.५ फीट की निर्धारित अवधि के अन्तर्गत। १९६१ की बाढ़ ऋतु में ५५ में से ८ भविष्यवाणियां निर्धारित स्तर से दूर थीं।

(ख) दामोदर नदी के लिये पंचेट जलाशय पर बाढ़ चेतावनी व्यवस्था कर दी गई है और महानदी के लिये हीराकुड और कटक में इसी प्रकार की व्यवस्था उड़ीसा सरकार के विचाराधीन है।

ऊहूल जल विद्युत् योजना

†११५१. **श्री हेम राज** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊहूल जल विद्युत योजना के विस्तार के लिये केन्द्रीय सरकार को पंजाब सरकार से कोई योजना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी अतिरिक्त बिजली पैदा होगी;

(ग) क्या यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब का मिला जुला उपक्रम है अथवा केवल पंजाब का ही है; और

(घ) इसकी लागत कितनी होगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) इस का उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख) ४०,००० किलोवाट।

(ग) यह मिला जुला उपक्रम नहीं है। योजना पंजाब सरकार से सम्बद्ध है।

(घ) ४७.२२८ लाख रुपये। अनुमानित लागत।

---

†मूल अंग्रेजी में

कामनवेल्थ इंस्टीट्यूट आफ बायोलोजिकल कन्ट्रोल, बंगलौर

†११५२. **श्रीमती ममूना सुल्तान :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी कृषि विभाग ने इस वर्ष अगस्त में बंगलौर स्थित कामनवेल्थ इंस्टीट्यूट आफ़ बायोलोजिकल कन्ट्रोल के लिये तीन अनुदान स्वीकार किये हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी-कितनी रकम है;

(ग) किन विशिष्ट प्रयोजनों के लिये और अनुदान दिया गया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) जी हां । अनुदान दस्तावेजों पर जुलाई, १९६१ में हस्ताक्षर किये गये थे ।

(ख) (१) २,७१,६३६ रुपये

(२) २,७२,५८५ रुपये

(३) १,३१,९६२ रुपये

कुल ६,७६,१८३ रुपये

(ग) निम्न तीन कृषि अनुसन्धान योजनायें क्रियान्वित करने के लिये :—

(१) भारत में गन्ने के कीड़ों का सर्वेक्षण

(२) धान के कीड़ों के प्राकृतिक शत्रुओं का सर्वेक्षण

(३) 'जिप्सी' कीड़ों का सर्वेक्षण

अपर इंडिया एक्सप्रेस में यात्रियों को चोटें

†११५३. **श्री कुन्हन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १० अक्तूबर, १९६१ को जमालपुर के निकट अपर इण्डिया एक्सप्रेस के कई कम्पार्टमेंट में यात्रियों को चोटें आईं;

(ख) क्या यह सच है कि एक मोड़पर सिगनल गिरने से इन मुसाफिरों को चोटें आईं और गाड़ी के लगभग सभी कम्पार्टमेंट उस से टकरा गये; और

(ग) यदि हां, तो इस घटना का क्या ब्यौरा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी हां, छः व्यक्तियों को चोटें पहुंची थीं जिन में दो रेलवे कर्मचारी हैं ।

(ख) और (ग). जब १३ अप अपर इण्डिया एक्सप्रेस रतनपुर स्टेशन से गुजर रही थी तो कुछ यात्री फुटबोर्ड पर खड़े हुए थे या गाड़ी के डिब्बों के दरवाजों या खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे वे डाउन मेन लाइन स्टार्टर सिगनल के लेडर सिगनल से टकरा कर घायल हो गये । यह सिगनल इस के पहले रतनपुर से गुजरने वाली एक स्पेशल खाली गाड़ी के बेकार वैगन के खुले दरवाजे से टकराने के फलस्वरूप खराब हो गया था । यद्यपि लेडर को स्टेशन स्टाफ ने मार्ग से दूर लेडर को मजबूती से बांध दिया था, किन्तु अस्थायी जोड़ ढीला हो गया था ।

†मूल अंग्रेजी में

कोई गिरा हुआ सिगनल पोस्ट नहीं था और सम्बन्धित लेडर किसी कम्पार्टमेंट से नहीं टकराया ।

भारत और पाकिस्तान में पूर्वी नदियों के जल का वितरण

†११५४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १७ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत और पाकिस्तान में पूर्वी नदियों के जल वितरण सम्बन्धी वार्ता की नवीनतम स्थिति क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : इस दिशा में और प्रगति नहीं हुई है । परस्पर हित के और आंकड़ों के विनिमय के लिये भारत और पाकिस्तान के जल संसाधन विशेषज्ञों की अगली मीटिंग शीघ्र होने की आशा है ।

कथुआ-जम्मू रेल सम्पर्क

†११५५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री १७ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कथुआ और जम्मू के बीच रेल सम्पर्क स्थापित करने के बारे में अन्तिम निर्णय की क्या प्रगति है; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय का क्या स्वरूप है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है ।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में नई रेलवे लाइनों के निर्माण सम्बन्धी रेलवे कार्यक्रम में यह सम्मिलित नहीं है ।

ऊह्ल जल-विद्युत् परियोजना और व्यास-सतलज सम्पर्क परियोजना

†११५६. **श्री हेम राज** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ऊह्ल जल-विद्युत् परियोजना और व्यास-सतलज सम्पर्क की तीसरी यूनिट स्थापित करने के लिये सरकार की भूमि अधिग्रहण समिति के कार्य की प्रगति और निर्णय बताने की कृपा करेंगे ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : ऊह्ल जल-विद्युत् परियोजना और व्यास सतलज सम्पर्क की तीसरी यूनिट के निर्माण के लिये हिमाचल प्रदेश में भूमि अधिग्रहण करने में उत्पन्न कठिनाइयां अथवा भविष्य में इनकी संभावनाओं पर विचार करने और समय-समय पर उचित निर्णय करने के लिये समिति स्थापित की गई थी । अब तक समिति की तीन बैठकें हो चुकी हैं । हिमाचल प्रदेश में भूमि अधिग्रहण करने के लिये प्रस्तावों की जांच करने के लिये प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है । पंजाब सरकार को आवश्यक अधिकांश जमीन उपलब्ध कराने के लिये हिमाचल प्रदेश प्रशासन सहमत हो गया है और शेष जमीन के लिये वैकल्पिक प्रस्तावों की जांच की जा रही है । प्रशासन इस आशय के भी सामान्य अनुदेश जारी कर रहा है कि राजस्व विभाग के कर्मचारी पंजाब अधिकारियों की पूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करें ।

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय रेलवे के ला इंसपेक्टरों के वेतन क्रम

†११५७. **श्री सुबिमल घोष** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों के ला इंसपेक्टरों को द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन क्रम में वेतन मिल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो यह वेतन उन्हें कौन सी तारीख से मिल रहा है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या रेलवे लॉ इंसपेक्टरों के वेतन क्रम के बारे में सिफारिशें कार्यान्वित करने का विचार रखती है ; और

(ङ) यदि हां, तो यह कब तक लागू होने की आशा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें०वें० रामस्वामी)** : (क) से (ङ).जगन्नाथ दास वेतन आयोग ने रेलवे कानून सम्बन्धी कर्मचारियों के लिये कोई निर्दिष्ट वेतन क्रम की सिफारिश नहीं की है ।

उपरोक्त कर्मचारियों के लिये निम्न अधिकृत वेतनक्रम नियत किये गये हैं :

निर्धारित वेतन क्रम	अधिकृत वेतन क्रम
रुपये	रुपये
३६०—५००	४५०—५७५
३००—४००	३७०—४७५
२६०—३५०	३३५—४२५
२००—३००	२५०—३८०
१५०—२२५	२०५—२८०

यह वेतन क्रम १ जुलाई, १९५९ से लागू हैं ।

ग्राम सहकारी समितियां और पंचायतें

†११५८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने ग्राम्य सहकारी समितियां और पंचायतों के बीच सम्बन्ध के प्रश्न की जांच के लिये कार्यकारी दल का निर्माण किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यकारी दल के अध्ययन के मुख्य क्षेत्र क्या क्या हैं ;

(ग) इस दल के सदस्यों के क्या नाम हैं ; और

(घ) यथार्थ कृषक अथवा ग्राम निवासियो की कितनी संख्या इसमें है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति)** : (क) जी हां । जुलाई, १९६१ में एक कार्यकारी दल का निर्माण किया गया था । इसने अक्टूबर, १९६१ में रिपोर्ट प्रस्तुत की है ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस कार्यकारी दल के निर्देश पद यह थे :—

(१) पंचायती राज्य के कार्य एवं कुछ चुने हुए राज्यों में सहकारी समितियों पर उसके प्रभाव और सम्बन्ध का अध्ययन ।

(२) ऐसे उपायों का सुझाव देना जिनसे सहकारी समितियां और पंचायतें अपने अपने कार्य बिना संघर्ष कर एक दूसरे को सशक्त बनायें ;

(३) पंचायतों और सहकारी समितियों के बीच उत्तरदायित्व का सीमा निर्धारण, और

(४) दोनों प्रकार की संस्थाओं में समन्वय स्थापित करने के लिये ठोस उपायों का सुझाव ।

(ग) (१) श्री एस० डी० मिश्र, संसदीय सचिव, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय । चेयरमेन

(२) श्री चिन्तामणि पाणिग्रही, संसद् सदस्य, उड़ीसा . सदस्य

(३) श्री एच० सी० माथुर संसद् सदस्य, राजस्थान . . सदस्य

(४) श्री एस० एम० जोशी, सदस्य विधान सभा, महाराष्ट्र . सदस्य

(५) श्री पी० केशव राव, प्रेसीडेंट, आंध्र प्रदेश स्टेट को-आपरेटिव यूनियन सदस्य

(६) श्री ए० प्रकाश, पंचायत कमिश्नर, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय । सदस्य

(७) श्री रामसिंह, ज्वाइंट डेवलेपमेंट कमिश्नर, राजस्थान . सदस्य

(८) श्री ए० सी० बंदोपाध्याय रजिस्ट्रार आफ कोआपरेटिव सोसाइटीज़, उड़ीसा सदस्य

(९) श्री जी० डी० गोस्वामी ज्वाइंट सेक्रेटरी सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय सदस्य-सचिव

(घ) एक भी नहीं । अपनी यात्रा के दौरान कार्यकारी दल ने ग्रामवासियों से भेंट की है ।

सिलेरु में त्रिदलीय सम्मेलन

†११५९. **श्री प्र० गं० देव :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच सिलेरु विवाद हल करने के लिये त्रिदलीय सम्मेलन बुलाने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो दोनों सरकारों में क्या मतभेद है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) यह निर्णय किया गया है कि केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग और योजना आयोग के प्रतिनिधि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के टेक्नीकल अधिकारियों से यथासंभव शीघ्र मिलें और टेक्नीकल एवं वित्तीय विचारों के आधार पर सर्वसम्मत निर्णय करें ।

(ख) दोनों राज्य सरकारों में मुख्य मतभेद बांध का स्थान निर्धारित करने के बारे में है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

माता टीला बांध

†११६०. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माता टीला बांध के निर्माण पर केन्द्र और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा कितनी रकम खर्च की गई है ;

(ख) इस परियोजना पर कितनी रकम खर्च होने की संभावना है ; और

(ग) क्या बिजली घर का अभी तक निर्माण नहीं किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) माताटीला बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक इस परियोजना पर राज्य सरकार लगभग १२ करोड़ रुपये खर्च करेगी।

(ख) इस परियोजना की पुनरीक्षित कुल लागत लगभग २०.२२ करोड़ रुपये बताई जाती है।

(ग) जनरेटिंग प्लांट और उपकरण के लिये आर्डर दे दिये गये हैं और १९६३-६४ में तीन जनरेटिंग यूनिट चालू होने की आशा है।

त्रिपुरा में भूमिहीन कृषक

†११६१. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में ऐसे भूमिहीन कृषकों की कितनी संख्या है जिन्हें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भूमि दी गई है ; और

(ख) तृतीय पंच वर्षीय योजना में कितने ऐसे व्यक्तियों को भूमि देने की आशा है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर शीघ्र ही लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थायें

†११६२. **श्री कालिका सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की विभिन्न आयुर्वेदिक संस्थाओं को १९५५-५६ से लेकर १९६१-६२ तक प्रत्येक वर्ष कितना अनुदान दिया गया ; और

(ख) सरकार आयुर्वेदिक तथा एलोपैथिक संस्थाओं के अनुसन्धान और कार्य का परस्पर समन्वय किस प्रकार करेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की आयुर्वेदिक संस्थाओं को दिया गया अनुदान इस प्रकार है :—

१९५५-६६	
१. आयुर्वेदिक कालेज, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस	१,१००,००० रुपये
२. झांसी आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, झांसी . .	१५,००० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

१९५७–५८

१. आयुर्वेदिक कालेज, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस . . .	४५,००० रुपये
२. ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार	१२,००० रुपये
३. गवर्नमेन्ट आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ .	१,७२,८०० रुपये

१९५९–६०

१. आयुर्वेदिक कालेज, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	९०,००० रुपये

१९६०–६१

१. पारद अनुसन्धान कार्यालय, कनखल, हरिद्वार	५,००० रुपये
२. आयुर्वेदिक कालेज, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस	२२,५०० रुपये

१९६१–६२

१. आयुर्वेदिक कालेज, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस .	२८,२७८ रुपये

(१९५६–५७ और १९५८–५९ में कोई अनुदान नहीं दिया गया। १९५८–५९ के बाद से सरकारी संस्थाओं को देय अनुदानों की राशि राज्य सरकारों को दी गई कुल राशि में शामिल कर ही जाती है।)

(ख) आयुर्वेदिक संस्थाओं का अनुसन्धान कार्य अभी प्रारंभिक अवस्था में है और उनके कार्य का एलोपैथिक संस्थाओं के अनुसन्धान कार्य से समन्वय का प्रश्न फिलहाल उत्पन्न नहीं होता।

खाद्य पदार्थों में मिलावट

†११६३. **श्री कालिका सिंह :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूध, घी, मक्खन, खाने के तेल, आटा, शहद, आइस्क्रीम और खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने के कुछ आसान तरीकों को लोकप्रिय बनाने के लिये कोई योजना बनाई है ;

(ख) खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, १९५४ की धारा २३ के अन्तर्गत सरकारी विश्लेषक या निदेशक द्वारा उपरोक्त प्रत्येक वस्तु की मिलावट के विश्लेषण और मिलावट का पता लगाने के लिये क्या तरीका अपनाया जाता है ; और

(ग) आम जनता को मिलावट वाले खाद्य पदार्थ खाने के खतरों से बचाने के लिये सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय किये गये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सरकारी विश्लेषक या निदेशक द्वारा मिलावट और मिलावट का पता लगाने के लिये जो उपाय काम में लाय जाते हैं वे "मैथड्स आफ एनालिसीस आव दि एशोसियेशन आफ आफिशियल एग्रीकल्चरल कैमिस्टस" नामक प्रकाशन में दिये गये हैं।

(ग) खाद्य अपमिश्रण रोक नियम, १९५५ में विभिन्न खाद्य पदार्थों की परिभाषा और उनकी किस्म के स्तर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थों में जहरीली धातुओं और डामर के रंगों का प्रयोग निषिद्ध है।

मलीपुर और बिलवई के बीच स्टेशन

†११६४. **श्री कालिका सिंह :** क्या रेलवे मंत्री १० सितम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलीपुर और बिलवई के बीच एक क्रासिंग हाल्ट या स्टेशन बनाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह योजना क्या है ; और

(ग) यह स्टेशन कब तक बना दिया जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) और (ख) मलीपुर और बिलवई स्टेशनों के बीच एक हाल्ट बनाने का निश्चय किया गया है। यह हाल्ट यथा समय एक क्रासिंग स्टेशन बना दिया जायेगा जहां यात्रियों को टिकट बेचने की व्यवस्था रहेगी।

(ग) यह हाल्ट मार्च, १९६२ तक खुल जायेगा ऐसी आशा है।

उत्तर प्रदेश में नई लाइनें

†११६५. **श्री कालिका सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अब नई लाइनों की सिफारिश पूर्ववर्तिता सहित की है ;

(ख) नई लाइनों का ब्योरा देने में इतना अधिक विलम्ब क्यों हुआ ; और

(ग) दूसरी पंच वर्षीय योजना के लिये जिन लाइनों की सिफारिश की गई थी उनके निर्माण पर विचार करने के लिये क्या कदम उठाये गये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) जी, नहीं।

(ख) इस मंत्रालय को ज्ञात नहीं है।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये जिन लाइनों की सिफारिश की गयी थी उनके नाम देने वाला एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३७]** इनमें से अकबर पुर—टांडा लाइन (१० मील) का पुनर्निर्माण और बलिया—एटा लाइन (३६ मील), जिसका एक हिस्सा एटा—जलेसर लाइन (२४ मील) है, का निर्माण दूसरी योजना में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूसरी योजना के लिये जिन अन्य लाइनों के पुनर्निर्माण या निर्माण की शिफारिश की गयी थी उनमें से कोई भी लाइन रेलवे के तीसरी पंचवर्षीय योजना के निर्माण कार्यक्रम में शामिल नहीं की गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

बीना–कोटा लाइन पर स्टेशन

†११६६. **पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सागर जिले के खुरई तहसील के लोग बीना–कोटा लाइन पर गेट नम्बर ८ पर सेमर खेड़ी नामक स्टेशन बनाने के लिये सरकार अनुरोध करते रहे हैं ;

(ख) क्या वह सच है कि रेल गाड़ियां वहा पिछले २५ वर्षों से रुकती रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाने वाली है ?

†**रेलवे उप मंत्री (श्री सैं० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). सेमरखड़ी में एक हाल्ट पहले ही है। इस हाल्ट को फ्लैग स्टेशन बनाने के सम्बन्ध में प्रार्थनायें प्राप्त हुई हैं। इस स्थान में १९६२–६३ में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करके एक क्रासिंग स्टेशन बनाने का इरादा है।

टीके के सीरम*

†११६७. **श्री बलराज मधोक** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चेचक के टीके के अतिरिक्त इस समय किस प्रकार के टीके की सीरम का प्रयोग किया जा रहा है और कितने लोगों को बी० सी० जी०, डिपथेरिया, पोलियो साल्क वैक्सीन या सेलिन वैक्सीन का टीका जबरदस्ती लगाया गया है ;

(ख) ये टीके लगाने से क्या परिणाम प्राप्त हुय हैं ;

(ग) इन टीकों के फलस्वरूप कितने आदमी मरे या बीमार हुये ;

(घ) यदि इसका कोई रिकार्ड नहीं रखा गया तो इसका क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या यह सच है कि पोलियों की बीमारी चेचक का टीका लगाने के फलस्वरूप होती है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) इस समय चेचक के टीके के अतिरिक्त निम्नलिखित टीकों और सीरम का प्रयोग हो रहा है :—

(१) डिपथीरिया सीरम (इलाज के लिये)
(२) डिपथीरिया टाक्साइड (रोगरोधक)
(३) एन्टी-टिटैनिक सीरम (इलाज के लिये)
(४) एन्टी-टिटैनस टाक्साइड (रोगरोधक)
(५) हूपिंग कफ (पर्टुसिन) वैक्सीन (इलाज और रोग रोधक)
(६) पोलियो (साल्क) वैक्सीन (रोग रोधक)
(७) पोलियो ओरल वैक्सीन (सबिन) (रोगरोधक)
(८) बी० सी० जी० वैक्सीन (रोगरोधक)
(९) कालरा वैक्सीन (रोगरोधक)
(१०) टी० ए० बी० वैक्सीन (रोगरोधक (टाइफाइड और एन्टरिक ग्रुप फीवर्ज के लिये)
(११) एन्टी–रेबिक वैवसीन (रोगरोधक)

---

†मूल अंग्रेजी में
*Vaccination Serums.

(१२) एन्टी–रेबिक सीरम (इलाज के लिय)

(१३) गैमाग्लोबुलीन (छोटीमाता) (रोगरोधक)

(१४) इन्फ्लुऐंजा वैक्सीन (रोगरोधक)

(१५) प्लेग वैक्सीन (रोगरोधक)

(१६) आटो वैक्सीन, (रोगरोधक और इलाज) (सर्दी और सेप्टिक थ्रोट के लिये)

(१७) कानसेनट्रेटेड एन्टी-वेनम सीरम

(२) उपरोक्त टीके जबरदस्ती नहीं लगाये जाते। संक्रामक रोग अधिनियम, १८९७ के अन्तर्गत टीका अनिवार्य रूप से लगाने के लिये आपातकालीन विनियम बनाये जा सकते हैं। आम तौर पर कालरा, गैस्ट्रो–एन्टेराइटिस और प्लेग ये रोग इन विनियमों के अन्तर्गत आते हैं।

(ख) टीका लगाने से सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त हुये हैं और जिनको टीका लगा है उनका रोग से निवारण हुआ है ।

(ग) टीका लगाने से बीमार होने या मरने की घटनायें नगण्य हैं। टीका लगने से यदि कोई और गड़बड़ी हो जाती है तो उसका कारण टीका नहीं वरन् सेप्सिस आदि अन्य कारण हैं।

(घ) जब टीके लगाये जाते हैं तो राज्य के स्वास्थ्य अधिकारी सामान्यतः रिकार्ड रखते हैं।

(ङ) जी, नहीं ।

दिल्ली में चेचक के टीके

†११६८. **श्री बलराज मधोक :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चेचक उन्मूलन अग्रिम कार्यक्रम शुरू किये जाने के बाद से दिल्ली में अब तक कितने लोगों को, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं ; चेचक के टीके लगाये जा चुके हैं ;

(ख) आयु-समूह के अनुसार टीका लगने या पुनः टीका लगने के बाद कितने लोग विभिन्न बीमारियों से, जिनमें फोमियो और एनसीफेलाइटिस शामिल हैं, पीड़ित हुये या मर गये ;

(ग) क्या यह सच है टीका लगाने से चेचक की बीमारी न होगी यह आवश्यक नहीं है और टीका लगने के बाद भी लोगों को चेचक की बीमारी हो सकती है या उनकी मृत्यु हो सकती है ;

(घ) यह कहां तक सच है कि टीका निम्नलिखित रोगों का कारण है:—एनसीफलाइटिस, आन्त्रपुच्छदाह, पोलियो, डिपथेरिया, हूपिंग कफ, सोरियेसिस, एनलार्ज्ड टान्सिल्स, इन्फ्लेमेटरी फीवर्स, अन्धाब और कोई अन्य रोग ; और

(ङ) क्या यह सच है कि दिल्ली में लोगों को हाल में लगाये गये टीके के बाद चेचक की बीमारी फैलने का संकट उत्पन्न हुआ है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर):** (क) १८-११-६१ के सप्ताह के अन्त तक दिल्ली में जिन लोगों और बच्चों को टीका लगाया गया है उनकी संख्या इस प्रकार है :—

प्रारंभिक टीका	पुनः लगाया गया टीका	कुल योग
१,२४,७०७	२०,४१,४१९	२१,६६,१२६

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दिल्ली में टीका लगाने अथवा पुनः टीका लगाने के फलस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) जी, नहीं । यह प्रमाणित तथ्य है कि टीका समय पर लगवाने से चेचक के आक्रमण की संभावना नहीं रह जाती ।

(घ) टीका लगवाने के फलस्वरूप यह रोग नहीं होते ।

(ङ) मौसम को ध्यान में रखते हुए जिन लोगों ने अब तक टीका नहीं लगवाया है उन्हें चेचक की बीमारी होने की प्रबल संभावना है । किन्तु दिल्ली में इस बीमारी के फैलने का विशेष खतरा नहीं है ।

यमुना की बाढ़

†११६९. **श्री बलराज मधोक** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुना में बार-बार आने वाली बाढ़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नदी के दोनों तरफ स्थित बान्धों को मजबूत करने और यमुना नदी के पात्र को गहरा करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ; और

(ख) क्या यमुना के पात्र को गहरा करने के लिये एक ड्रेजर खरीदने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उप मंत्री (श्री हाथी)** : (क) नदी के दोनों तरफ स्थित बन्धों को बाढ़ की उच्चतम सीमा से अधिक ऊंचा करने और उन्हें मजबूत करने का कार्य पूरा कर लिया गया है ; यमुना के पात्र को गहरा करने के लिये ड्रेजर खरीदने का कोई विचार नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

स्मृति–टिकट

११७०. **श्री बलराज मधोक** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों में किन-किन महापुरुषों के नाम पर डाक-टिकट जारी किये गये हैं ;

(ख) क्या कुछ और महापुरुषों के नाम से टिकट जारी करने की भी योजना है ;

(ग) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि बहुत से लोगों ने यह मांग की है कि ऋषि वाल्मीकि के नाम पर भी टिकट जारी किये जायें ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचनायुक्त विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

(ख) जी हां ।

(ग) एक सूची बनाई जा रही है । इस बीच निम्नलिखित महापुरुषों की स्मृति में विशेष डाक-टिकट जारी करने का निश्चय किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पण्डित मदन मोहन मालवीय	दिसम्बर, १९६१
श्रीमती भीकाजी कामा स्वामी दयानन्द सरस्वती गणेश शंकर विद्यार्थी डा० (श्रीमती) एनी बीसेंट श्रीनिवास रामानुजन	१९६२
स्वामी विवेकानन्द	जनवरी, १९६३

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

पिछले दस वर्षों (१९५१—१९६१) में जिन महापुरुषों की स्मृति में विशेष डाक-टिकट जारी किये गये हैं, उन के नाम :—

(१) संतों और कवियों की डाक-टिकट माला जिस में कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, मिर्ज़ा ग़ालिब और रवीन्द्रनाथ ठाकुर शामिल किये गये (१९५२) ।

(२) महात्मा बुद्ध—१९५६

(३) बालगंगाधर तिलक—१९५६

(४) झांसी की रानी—१९५७

(५) डा० डी० के० कर्वे—१९५८

(६) श्री विपिनचन्द्र पाल—१९५८

(७) आचार्य जगदीशचन्द्र बसु—१९५८

(८) सर जमशेदजी जेजीभाय—१९५९

(९) तिरुवल्लूवर—१९६०

(१०) सुब्रह्मण्य भारती—१९६०

(११) डा० एम० विश्वेश्वरैया—१९६०

(१२) संत त्यागराज—१९६१

(१३) श्री शिवाजी महाराज—१९६१

(१४) पं० मोतीलाल नेहरू—१९६१

(१५) डा० रवीन्द्र नाथ ठाकुर —१९६१

(१६) आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय—१९६१

(१७) पं० विष्णुनारायण भातखण्डे—१९६१

दिल्ली में रेलवे फाटक

११७१. श्री बलराज मधोक : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने रेलवे फाटकों पर नई तरह के यंत्रचालित द्वार लगाये गये हैं ; और

(ख) पटेल-मार्ग के रेलवे फाटक पर इस प्रकार का यन्त्रचालित द्वार न लगाने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) दिल्ली क्षेत्र में पांच समपारों पर नये ढंग के यांत्रिक फाटक—लिफ्टिंग बैयरियर—लगाये गये हैं ।

(ख) पटेल-मार्ग समपार पर यांत्रिक फाटक—लिफ्टिंग बैरियर—पहले से लगा हुआ है ।

पंजाब में उद्यानविद्या[1] का विकास

†**११७२. श्री हेम राज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार को १९५६ से १९६० तक उद्यान विद्या के विकास के लिये कितना धन दिया गया तथा उस में से कितना धन पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों के लिये था ; और

(ख) दीसरी पंचवर्षीय योजना में इसी कार्य के लिये पंजाब **सरकार** को कितना धन दिया जाने वाला है और उस में से कितना धन पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों के लिये होगा ।

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजाब सरकार को उद्यान-विद्या के विकासार्थ १९५६-५७ से ले कर १९६०-६१ तक दिये गये धन का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	दिया गया कुल धन रु०	स्तम्भ १ में दी गई राशि में से पहाड़ी क्षेत्रों में खर्च की गई राशि
(१) ऋण . .	३८,४५,२४५	पहाड़ी क्षेत्रों के लिये विशिष्टतया कोई धन अलग से नहीं रखा गया था किन्तु पंजाब सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों में ४,०४,७७५ रुपये ऋण के तौर पर दिये ।
(२) अनुदान . .	२,२६,८०६	पहाड़ी क्षेत्रों में ५३,८५६ रुपये खर्च किये गये । बचा हुआ १,७२,९५० रुपया पूरे राज्य के, जिस में पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं, कर्मचारियों आदि पर खर्च किया गया ।

(ख) वर्तमान प्रक्रिया के अधीन राज्यों को आर्थिक सहायता योजनावार नहीं वरन् विकास की मुख्य मदों के सम्बन्ध में दी जाती हैं जैसे कृषि उत्पादन (जिस में फल उत्पादन का विकास शामिल है) कृषि उत्पादन के लिये प्रदत्त केन्द्रीय सहायता का कोई भाग पहाड़ी क्षेत्रों के लिये अलग से नहीं रखा जाता ।

गाड़ियों का देर से चलना

†**११७३. श्री बलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे पर दिल्ली और अमृतसर के बीच गाड़ियां अक्सर देर से चलती हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Horticulture.

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का इरादा रखती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) दिल्ली-अमृतसर के बीच नवम्बर, १९६१ के कुछ दिनों को छोड़ कर गाड़ियां आम तौर पर समय पर चली हैं ।

(ख) इन गाड़ियों के आने-जाने पर निगरानी रखी जा रही है और उनके कार्य में सुधार करने हेतु सभी संभव प्रयास किये जा रहे है ।

ज्वाइंट स्टीमर कम्पनीज

†**११७४. श्रीमती रेणुका राय** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम तक काम करने वाली ज्वाइंट स्टीमर कम्पनीज के लिये एक बड़ी संख्या में पाकिस्तानी कर्मचारियों द्वारा १ जनवरी, १९६२ से त्यागपत्र दे कर चले जाने का संकट उत्पन्न हो गया है ; और

(ख) ज्वाइंट स्टीमर कम्पनीज में कुल कितने भारतीय तथा अन्य देशों के कर्मचारी हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) कलकत्ता मैरीनर्ज फ्लीट कमेटी ने, जो ज्वाइंट स्टीमर कम्पनीज में प्रमाणित मतदाता कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है, १८ अगस्त, १९६१ को यह संकल्प पारित किया कि यदि उनकी मांगें पूरी न की गयीं तो वे सामूहिक रूप से १ अक्तूबर, १९६१ से स्तीफा दे देंगे । बाद में एक और संकल्प पारित करके यह तिथि १ जनवरी, १९६२ तक बढ़ा दी गयी है । ज्वाइंट स्टीमर कम्पनीज को इक्के दुक्के कर्मचारी का का स्तीफा नहीं प्राप्त हुआ है ।

(ख) भारतीय कर्मचारी	८४२४
ब्रिटिश कर्मचारी	४३
पाकिस्तानी कर्मचारी . . .	६१९८

चीनी के उत्पादन में कमी

†**११७५. श्री अगाड़ी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चीनी कारखानों को और विशेषकर मैसूर राज्य के बेलारी जिले में कोआपरेटिव शूगर फैक्टरी, काम्पली, इण्डिया शुगर्ज एण्ड रिफाइनरीज लिमिटेड, होस्पेट और मैसूर राज्य के रायचूर जिले में सालारजंग शुगर मिल्ज लिमिटेड मुनीराबाद को आदेश दे दिये हैं कि वे १९६१–६२ के गन्ना पेराई के मौसम में चीनी का उत्पादन १० प्रतिशत कम करें;

(ख) यदि हां, तो यह आदेश किस तारीख को दिया गया;

(ग) क्या किसानों को खड़ी फसल खपाने के सम्बन्ध में कोई वैकल्पिक सुझाव दिया गया है ;

(घ) क्या मैसूर राज्य के बेलारी जिले के शुगरकेन ग्रोअर्ज एसोसियेशन, होस्पेट से गन्ने की खड़ी फसल के बारे में इस आदेश को लागू न करने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). जी, हां। काम्पली होस्पेट और मुनीराबाद की फैक्टरियों का १९६१-६२ के उत्पादन का कोटा १५-११-१९६१ को निर्धारित किया गया है। काम्पली और मुनीराबाद फैक्टरियों का कोटा अस्थायी तौर पर निर्धारित किया गया है।

(ग) १९६१-६२ का उत्पादन विनियमित करने की घोषणा २७-९-१९६१ को की गई थी ताकि उत्पादकों के पास कोई फालतू गन्ना हो तो वे उसे काम में लाने की व्यवस्था कर लें।

(घ) जी हां।

(ङ) इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का ध्यान चीनी (उत्पादन का विनियमन) अध्यादेश/विधेयक, १९६१ पर विचार के सम्बन्ध में खाद्य तथा कृषि मन्त्री द्वारा लोक-सभा में २७ और २८ नवम्बर, १९६१ को दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया जाता है।

यात्रा अभिकर्ताओं (ट्रेवल एजन्ट्स) पर बकाया राशि

†**११७६. श्री प्र० गं० देव** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत भर में कई यात्रा अभिकर्ताओं (ट्रेवल एजेण्ट्स) पर बड़ी रकम बकाया है; और

(ख) यदि हां, तो बकाया रकम का क्या ब्यौरा है और प्रत्येक मामले में उसको वसूल करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं। ३०-९-१९६१ को यात्रा अभिकर्ताओं (ट्रेवल एजेण्ट्स) पर बकाया रकम यात्रा अभिकर्ताओं के एक महीने के 'ट्रांजेक्शन्स' से कम है और जो यात्रा अभिकर्ताओं की रेलवे के पास जमानत की राशि में आ जाता है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

यात्रा अभिकर्ता (ट्रेवल एजेन्ट्स)

†**११७७. श्री प्र० गं० देव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, १९६१ तक सरकार ने कितने नये यात्रा एजेण्टों को मान्यता दी; और

(ख) किन शर्तों पर ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) पर्यटन विभाग ने वर्ष १९५९ तक २४ यात्रा एजेण्टों को मान्यता दी है। इन यात्रा अभिकर्ताओं की एक सूची संलग्न है :

पर्यटन विभाग द्वारा प्रमाणीकृत यात्रा एजन्सियों और उनकी शाखाओं के नाम

१. एयरफ्रेट प्रायवेट लिमिटेड, बम्बई, अहमदाबाद।

२. अमेरिकन एक्सप्रेस कम्पनी, इन्क बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली।

†मूल अंग्रेजी में

३. एशियाटिक ट्रेवल सर्विस, बम्बई ।

४. भारत ट्रेवल सर्विस, मद्रास, बंगलौर ।

५. बामर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता, बम्बई ।

६. कोक्स एण्ड किंग्स (एजेण्ट्स) लिमिटेड, बम्बई, दिल्ली ।

७. एवरेट ट्रेवल सर्विस, कलकत्ता ।

८. हैरीसन एण्ड क्रासफील्ड्स, कोचीन ।

९. लायर एण्ड सन लिमिटेड, दिल्ली ।

१०. एन० जमनादास एण्ड कम्पनी, बम्बई ।

११. जमनालाल एण्ड सन लिमिटेड, (हिन्द मूसाफिर एजेन्सी), बम्बई ।

१२. ज़ीना एण्ड कम्पनी, बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली ।

१३. ली एण्ड म्योरहेड (इण्डिया) लिमिटेड, बम्बई ।

१४. मर्करी ट्रेवल्स (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली ।

१५. नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक लिमिटेड, बम्बई ।

१६. नेशनल ट्रेवल एजेन्सी, कलकत्ता ।

१७. ओरियन्ट एक्सप्रेस कम्पनी, दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता ।

१८. जो रघूनाथ मल बैंक लिमिटेड, हैदराबाद ।

१९. राम मोहन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, मद्रास ।

२०. साहा एण्ड राय ट्रेवल्स लिमिटेड, दिल्ली ।

२१. सीता वर्ल्ड ट्रेवल इन्क, दिल्ली ।

२२. थोमस कुक एण्ड सन लिमिटेड, बम्बई, बंगलौर और मद्रास ।

२३. ट्रेड विन्ग्स लिमिटेड, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद और पूना ।

२४. वेन्सीमल बासरमल एण्ड ब्रादर्स, बम्बई ।

(ख) यात्रा अभिकर्ताओं को मान्यता देने का तरीका वर्ष १९५१ में रेलवे बोर्ड के साथ साथ आरम्भ किया गया था। तथापि, इस वर्ष से रेलवे बोर्ड के परामर्श से यह निर्णय किया गया है कि मान्यता सीधे पर्यटन विभाग द्वारा प्रदान की जाये और रेलवे मान्यता रेलवे बोर्ड द्वारा उन मान्यता प्राप्त एजेन्सियों में से दी जाये जो उनसे ऐसा करने को कहें। यात्रा अभिकरणों (एजेंसियों) से पर्यटन विभाग की मान्यता के लिये अक्तूबर १९६१ में एक प्रेस नोट जारी करके आवेदन-पत्र मांगे गये थे। नयी रेलवे एजेन्सियों को मान्यता देने के नियम संलग्न हैं। **[परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३८]**। प्राप्त आवेदन-पत्र अभी परीक्षणाधीन हैं।

तूतीकोरिन–कोलम्बो नौवहन सेवा

†११७८. **श्री तगामणि** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी नौवहन निगम द्वारा एक नयी तूतीकोरिन-कोलम्बो सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव है ;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो किस तिथि से; और

(ग) इस सेवा के लिये कितने जहाज चलाये जायेंगे ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) जैसे ही निगम को कोई उपयुक्त जहाज मिल जायेगा।

(ग) एक।

कलकत्ता-गोहाटी-मोहनबाडी फोकर फ्रेन्डशिप विमान सेवा

†११७९. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १८ नवम्बर, १९६१ से कलकत्ता-गोहाटी-मोहनबाडी मार्ग से फोकर फ्रेंडशिप २७ विमान हटा लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†प्रतिरक्षा उड्डयन उपमंत्री (श्री मोहीउद्दीन) : (क) जी, हां। १८ नवम्बर, १९६१ से कलकत्ता-गोहाटी-मोहनबाडी सेवा पर फोकर फ्रेंडशिप २७ विमान के स्थान पर डकोटा विमान चल रहा है।

(ख) यह परिवर्तन विमानों की कमी के कारण १८ नवम्बर, १९६१ से आपातकालीन सेवा चलाने के कारण किया गया।

त्रिपुरा में बन रक्षित क्षेत्र

†११८०. **श्री दशरथ देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में नये घोषित वन रक्षित क्षेत्रों में कितने परिवार आये हैं ;

(ख) रक्षित क्षेत्र में खेती वाली कितनी भूमि आयी है; और

(ग) उन भूमियों को, जिन्हें अपने नये घोषित वन रक्षित क्षेत्र में, जहां वे झूम खेती करते थे, झूम खेती नहीं करने दिया जाता है, तत्काल सहायता देने के लिये क्या कार्यकारी कदम उठाये जा रहे हैं ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जावेगी।

त्रिपुरा में बेदखली के नोटिस

†११८१. **श्री दशरथ देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में अब तक खास भूमि के निवासियों को त्रिपुरा भू-राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम, १९६० की धारा १५ के अधीन कितने नोटिस दिये गये हैं; और

(ख) कितने मामलों में बेदखली की गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि उप मंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

कलकत्ता–अगरताला विमान किराया

†११८२. { **श्री दशरथ देव :**
श्री बांगशी ठाकुर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरताला से कलकत्ता तक विमान किराये में **वृद्धि के विरुद्ध** सरकार को कोई अभ्यावेदन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है;

(ग) इस क्षेत्र में अक्सर विमान के किराये में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष १९५२ में अगरताला से कलकत्ता तक का क्या यात्री-किराया था और अब फोकर फ्रेन्डशिप की क्या दर है; और

(ङ) हाल ही में कलकत्ता-अगरताला के बीच यात्री किराया ५२ रुपये से बढ़ा कर ६७ रुपये करने के क्या कारण हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) से (ङ). संचालन की लागत में सब ओर से वृद्धि और मजूरी में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, इण्डियन एयरलाईन्स कारपोरेशन को इस आधार पर यात्री किराया बढ़ाने की अनुमति दी गयी कि वे विमान परिवहन परिषद् द्वारा सिफारिश किये गये टेपर डिजाइन, अर्थात् वाइकाउन्ट और फोकर के मामले में १० प्रतिशत और डकोटा के मामले में ५ प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे । तथापि, असम, मनीपुर और त्रिपुरा के क्षेत्रों में डकोटा मार्गों के बारे में यह निर्णय किया गया था कि उस में कोई वृद्धि न की जाये । पुनरीक्षित किराये असम-मनीपुर और त्रिपुरा के अलावा वाइकाउन्ट मार्गों के बारे में १ सितम्बर, १९६१ से, रात्रि विमान डाक सेवाओं के मामले में १ अक्तूबर, १९६१ से और फोकर और डकोटा सेवाओं के मामले में १६ अक्तूबर, १९६१ से लागू किये गये । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि डकोटा की अपेक्षा फोकर तेज उड़ते हैं और यात्रा में अधिक आरामदायक हैं, फोकर सेवा के किराये कलकत्ता और अगरताला के बीच ५२ रुपये से ६७ रुपये किये गये । इस सेक्टर में १९५२ में डकोटा का किराया ४९ रुपये था ।

लुधियाना-चंडीगढ़ लाइन

†११८३. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लुधियाना-चंडीगढ़ रेलवे लाइन के लिये प्रस्ताव पर विचार कर लिया है और उस को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). यह प्रस्ताव तृतीय पंचवर्षीय योजना में रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है।

महाराष्ट्र में तापीय विद्युत् केन्द्र

†**११८४. श्री यादव नारायण जाधव** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार महाराष्ट्र राज्य में नासिक में अथवा कल्याण में एक तापीय विद्युत् केन्द्र बनाने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस विद्युत् केन्द्र की कितनी क्षमता होगी;

(ग) इस विद्युत् केन्द्र की अनुमानित लागत क्या है;

(घ) यह बिजली किस कार्य में इस्तेमाल की जायेगी; और

(ङ) निर्माण-कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ङ). अभी ऐसी कोई योजना महाराष्ट्र राज्य की तीसरी योजना में शामिल नहीं की गयी है। तथापि, यह समझा जाता है कि इस बारे में एक प्रस्ताव पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

टेलीग्राफ और पोस्ट मास्टरों द्वारा अतिरिक्त समय के भत्ते का दावा

†**११८५. श्री प्र० ना० सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सर्किल के कुछ टेलीग्राफ मास्टरों ने अतिरिक्त समय के भत्ते का दावा किया है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में कितनी रकम का दावा किया गया और उनको भुगताई नहीं किया गया;

(ग) क्या यह भी सच है कि फतेहपुर के पोस्ट मास्टर का अतिरिक्त समय के भत्ते का दावा १९५२-५३ से लम्बित है;

(घ) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) कथित दावा कब तक निपटा दिया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी हां, सप्ताह के दिनों में अतिरिक्त समय काम करने के लिये।

(घ) इस बारे में आदेशों के अनुसार सब-पोस्ट मास्टरों को केवल रविवारों, सप्ताह के छुट्टी वाले दिनों और तार की छुट्टी वाले दिनों के लिए अतिरिक्त समय का भत्ता मिलता है। उन्हें सप्ताह

---

†मूल अंग्रेजी में

के दिनों में काम करने का अतिरिक्त समय का भत्ता नहीं दिया जाता। इस प्रश्न की जांच की जा रही है कि क्या सब-पोस्ट मास्टरों को सप्ताह के दिनों में किये गये काम के लिये अतिरिक्त समय का भत्ता दिया जा सकता है और इस बारे में किये गये निर्णय को ध्यान में रखते हुए फतेहपुर के सब-पोस्ट-मास्टर के मामले की जांच की जायेगी।

(ङ) उपरोक्त भाग (घ) में निर्देशित मामले को यथा सम्भव शीघ्र अन्तिम रूप देने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

राजस्थान सर्किल के पोस्टमास्टरों की मुअत्तिली और बहाली

†११८६. **श्री प्र० ना० सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सर्किल में उन पोस्टमास्टरों की क्या संख्या है जिन्हें पिछले सात वर्षों में सेवा से मुअत्तिल किया गया और न्यायालय द्वारा बरी किये जाने के बाद उन्हें फिर बहाल किया गया;

(ख) उन पोस्टमास्टरों की क्या संख्या है जिन्होंने अपने बचाव में किये गये न्यायालय व्यय के लिये दावा किया;

(ग) क्या किसी पोस्टमास्टर को कोई थोड़ा सा भुगतान किया गया है;

(घ) यदि हां, तो केवल थोड़ा भुगतान करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) बाकी भुगतान कब किया जावेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) तीन।

(ख) दो।

(ग) एक मामले में १२६७ रुपये का भुगतान किया गया जब कि पदाधिकारी ने ४००८/७/६ का दावा किया गया था। दूसरे मामले में १५० रुपये के दावे की जांच की जा रही है।

(घ) वापस किये जाने वाली राशि की कुल रकम का प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक

†११८७. **श्री शि० ना० रमोल :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व सिरमूर बैंक, जो अब हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में मिल गया है, के कर्मचारियों को उपदान, बैंक के निदेशक मंडल द्वारा काफ़ी समय पूर्व मंजूर अभी तक नहीं दिया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस असामान्य विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†सामुदयिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (डा० ब० सू० मूर्ति) (क) और (ख). जैसा ६-९-१९६१ के प्रश्न संख्या ३६१९-घ के उत्तर में बताया गया है, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के प्रबन्धक मण्डल ने यह निर्णय किया है कि सिरमूर बैंक के एक कर्मचारी को, जो सेवा-निवृत्त हो गया है, उपदान का भुगतान किया जाये। कुछ कानूनी कठिनाइयों के कारण अभी तक वास्तविक भुगतान नहीं किया गया है। यह आशा की जाती है कि यथा समय इस मामले को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

भारत-ब्रिटेन विमान करार

†११८८. श्री दी० चं० शर्मा : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ब्रिटेन में एक नया विमान करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ?

†प्रतिरक्षा उद्योग उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पुलिनों[1] का विकास और स्मारकों को सुन्दर बनाना

†११८९. श्री दी० चं० शर्मा : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ८ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३४३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के पुलिनों का विकास करने और स्मारकों के आस पास के क्षेत्र को सुन्दर बनाने के लिये क्या प्रगति की गयी है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिस में पुलिनों के विकास करने और स्मारकों के आस पास के स्थानों को सुन्दर बनाने के लिये तृतीय योजना-काल के लिये केन्द्रीय सरकार के पर्यटन की योजना में शामिल योजनाओं दी गयी हैं और उन के क्रियान्वयन के बारे में वर्तमान स्थिति बतायी गयी है। **[देखिय परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३९]**

पूर्वोत्तर रेलवे में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती

†११९०. श्री राम शंकरलाल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे चतुर्थ श्रेणी पदों के लिये बस्ती जिले के व्यक्तियों की भर्ती कर रही है;

(ख) क्या यह भर्ती अब रोक दी गयी है और बस्ती एक्सचेंज को छोड़ कर अब केवल गोरखपुर और गोंडा के एक्सचेंजों को इन्डेंट भेजे गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Beaches

†**रेलवे उपमंत्री (श्री स० वें० रामस्वामी)**: (क) जब कभी आवश्यक होता है, बस्ती के काम दिलाऊ दफ्तर से भी भर्ती की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दोर्णाकल जंक्शन पर विकास-कार्य

†**११९१. श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल के दौरान आंध्र प्रदेश में दोर्णाकल जंक्शन पर पूरे किये गये विकास कार्यों का क्या ब्यौरा है; और

(ख) व्यय का क्या ब्योरा है और पूरे किये गये कार्यों के पृथक आंकड़े क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में दोर्णाकल पूरे किये गये कार्य और उन पर किया गया व्यय निम्न प्रकार है :

	रु०
१. मुख्य और बीच के प्लेटफार्मों को ढकना	८४,०००
२. दो मूत्रालय ब्लाक	५,०००
३. पैदल ऊपरी पुल का विस्तार	८६,०००
४. ४ अतिरिक्त मार्शलिंग लाइनें और सहायक लाइनों को बढ़ाना	२,९९,०००

काजीपेट जंक्शन

†**११९२. श्री इ० मधुसूदन राव**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में काजीपेट जंकशन पर विकास-कार्यों में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उन पर कुल कितना व्यय हुआ और उसके पृथक पृथक आंकड़े क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित लागत पर निम्नलिखित कार्य पूरे किये गये :

१. तृतीय श्रेणी के प्रतीक्षालय का विस्तार और विद्युतीकरण—१,०२,००० रुपये

२. लोक शेड फेज १ का नव-निर्माण ६,६८,५३२ रुपये

स्थगन प्रस्ताव

जामा मस्जिद क्षेत्र में बम विस्फोट

अध्यक्ष महोदय : कई माननीय सदस्यों ने एक ही विषय से सम्बन्धित स्थगन-प्रस्तावों की सूचना दी है। श्री मोहन स्वरूप के स्थगन-प्रस्ताव में उसे इस प्रकार रखा गया है कि रविवार, ३ दिसम्बर, १९६१ को दिल्ली के जामा मस्जिद क्षेत्र में के मटियामहल बाजार में एक भीषण बम-

†मूल अंग्रेजी में

विस्फोट हुआ, जिसके फलस्वरूप एक व्यक्ति मोहम्मद दाजद की वहीं तत्काल मृत्यु हो गई और तीन व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए हैं और पुलिस घटना-स्थल से एक फर्लांग दूरी पर तैनात होते हुए भी उसके कारण का पता नहीं चला सकी है।

इसी विषय पर अन्य स्थगन-प्रस्तावों की भी सूचना दी गई है।

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत): अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि जो इस तरह के विस्फोट दिल्ली में होते हैं उनकी एक लाइन सी बन गई है, और यह विस्फोट जो हुआ है वह इस वर्ष में २३वां विस्फोट है। यह उस वक्त हुआ है जब कि वहां पर एक पुलिस हैड कांस्टेबल मौके पर मौजूद था। साथ ही एक पुलिस चौकी भी एक फर्लांग, के फासले पर मौजूद है। इस बात से और भी इसकी सीरियसनैस बढ़ जाती है कि पुलिस मौके पर मौजूद हो, चौकी एक फर्लांग के फासले पर मौजूद हो फिर भी इस तरह के इन्सिडेंट्स हों। दिल्ली में जो इस किस्म के वाकयात हैं वह गवर्नमेंट को बदनाम करन वाली चीज है, गवर्नमेंट के चेहरे पर एक बदनामी का दाग है। मैं चाहता हूं कि इसकी अच्छी तरह से एन्क्वायरी हो और आइन्दा के लिये गवर्नमेंट एश्योरेन्स दे कि ऐसी चीज नहीं होने पायेगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि वह किसी चीज का एश्योरेन्स नहीं दे सकते हैं, लेकिन इस किस्म का एश्योरेन्स तो होना ही चाहिये। दिल्ली में, जो कि इस देश की राजधानी हो, इस तरह के वाकयात हों और उनकी कोई एक्वायरी न हो, यह ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं, आपके द्वारा, कि सरकार कोई सख्त स्टेप ले ताकि इस किस्म को चीजें न हो सकें।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): क्या पुलिस को मालूम था कि विस्फोट होने वाला है? मुसलमानों में इससे बड़ी बेचैनी है।

†**अध्यक्ष महोदय**: इस प्रकार हर मामले में अल्पसंख्यक समुदाय का प्रश्न उठाना ग़लत है। चाहे अल्पसंख्यक समुदाय हो, या बहुसंख्यक किसी के भी जीवन को खतरे में नहीं पड़ने दिया जायेगा। इसलिये यह सोचना ग़लत है कि अल्पसंख्यक समुदाय का बार बार उल्लेख करने से उसे कोई लाभ पहुंचेगा।

†**श्री बलराज मधोक** (नई दिल्ली): इसी क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक विस्फोट हो चुके हैं। प्रधान मंत्री की कार पर भी एक बम फका गया था। मामला बड़ा गम्भीर है। उसके कारणों का पता चलना चाहिये।

†**श्री प्र० गं० देव** (अंगुलि): वह पटाखा था, या बम? लोगों में बड़ी घबराहट फैली हुई है।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै): क्या सरकार इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिये उचित कदम उठायेगी?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: घटना बड़ी खेदजनक है। परन्तु पिछले दो तीन साल से पुलिस उसके बारे में बड़ी सतर्क रही है। यह ठीक है कि उस क्षेत्र में पहले भी ऐसी घटनायें हो चुकी हैं। परन्तु इससे पहले अन्तिम बार जनवरी, १९५९ में ऐसी घटना हुई थी। इससे सिद्ध होता है कि इस बीच में पुलिस काफी सतर्क रही है। इस घटना विशेष के सम्बन्ध में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। दिल्ली के अधिकारियों ने मुझे बताया है कि इस घटना का कों

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

साम्प्रदायिक रंग नहीं है। परन्तु मैं उसे पूरे विश्वास के साथ नहीं मान सकता। अभी उसकी जांच चल रही है, इसलिये उसके सम्बन्ध में अभी कोई वक्तव्य देना ठीक नहीं होगा। इसलिये स्थगन-प्रस्ताव की अनुमति देना उचित नहीं है।

†श्री ब्रज राज सिंह (फिरोजाबाद) : क्या इसमें किसी विदेशी शक्ति के हाथ का पता चला है ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : माननीय सदस्य का अनुमान सही नहीं है।

†अध्यक्ष महोदय : जांच हो रही है। हमें उस के नतीजे की राह देखनी चाहिये। मैं इस स्थगन-प्रस्ताव को अनुमति नहीं देता।

लन्दन हवाई अड्डे पर भारतीयों को उतरने की अनुमति देने से तथाकथित इन्कार

†अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन स्वरूप ने एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है कि लन्दन हवाइ अड्डे पर ११ उत्तर भारतीयों को उतरने की अनुमति ने मिलने के कारण उनको २ दिसम्बर, १९६१ को लन्दन से बम्बट्ट लौटना पड़ा।

क्या रंगभेद के कारण उनको अनुमति नहीं मिली थी ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य-मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : जहां तक मुझे मालूम है उनके पास जाली पारपत्र थे, जो भारत द्वारा जारी नहीं किये गये थे। वे पारपत्र उन्होंने टैंगानिका या अन्य किसी देश से लिये थे। जाली पारपत्र होने के कारण ही, इंगलैंड सरकार ने उनको अनुमति नहीं दी थी और उनको वापस आना पड़ा। यहां पहुंचने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

†श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : अब जाली पारपत्र बहुत चलने लगे हैं। क्या उनको यहां गिरफ्तार किया जायेगा ?

†श्री जवाहर लाल नेहरू : जहां तक हमें मालूम है, वे भारतीय हैं। दूसरी चीज यह कि उनके पारपत्रों की जालसाजी भारत में नहीं की गई थी। शायद उनको गिरफ्तार किया जा चुका है।

†अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य के बाद, मैं इसे अनुमति देने की आवश्यकता नहीं समझता।

चौद्वार में उड़ीसा टैक्सटाइल मिल्स का बन्द होना

†अध्यक्ष महोदय : श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ने एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें कहा गया है कि उड़ीसा के चौद्वार में उड़ीसा टैक्सटाइल मिल्स् बन्द होने के फलस्वरूप जो पांच हजार मजदूर बेरोजगार हुए हैं, उस पर चर्चा करना अविलम्बनीय है।

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (पुरी) : वह मिल दो महीने से बन्द पड़ी है। उससे पांच हजार मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। श्रम विभाग उसे सुलझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मिल के मालिक उड़ीसा के मुख्य मंत्री हैं, इसलिये कोई फैसला नहीं हो पा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : अभी कुछ ही मिनट पहले मुझे इसकी सूचना मिली है। लगता है कि उस मिल के कर्मचारियों ने काम-बन्दी की हड़ताल की थी। समझौते के दौरान साढ़े तीन महीने के बोनस की मांग पर विचार किया गया था, परन्तु उससे सन्तुष्ट न होने के कारण झगड़ा चलता ही रहा। समय के अभाव के कारण, मैं उसके बारे में अधिक जानकारी इकट्ठी नहीं कर पाया हूं। यह मामला वैसे राज्य का विषय है। कर्मचारियों ने मालिकों के चाहने पर भी मिल को चलने नहीं दिया। । मुझे इतनी ही जानकारी है। यदि संगत हो तो मैं अधिक जानकारी इकट्ठी कर सकता हूं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना वे मिल को बन्द नहीं कर सकते।

†**श्री नन्दा** : तालेबन्दी के लिये अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मिल बन्द करना दूसरी चीज है। मेरा ख्याल है कि यह मिल बन्दी का मामला नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक स्थानीय मामला है। मैं इस स्थगन-प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

ब्रिटेन का राष्ट्रमंडल आप्रवास विधेयक

†**श्री नौशेर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : नियम १९७ के अन्तर्गत, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह उसके विषय में एक वक्तव्य दें :—

ब्रिटेन का राष्ट्रमंडल आप्रवास विधेयक और भारत तथा राष्ट्रमंडलीय सम्बन्धों पर उसका सम्भावित प्रभाव।

†**विदेश-कार्य उप-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : सभा को विदित है कि ब्रिटिश सरकार ने २ नवम्बर, १९६१ को अपने यहां की संसद् में आप्रवास और निर्वासन (राष्ट्रमंडलीय नागरिकता) विधेयक पेश किया था, जिसका उद्देश्य इंगलैण्ड में राष्ट्रमंडल के नागरिकों के प्रवेश को सीमित करना है। अभी तक उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने हमें इसकी सूचना एक स्मरण-पत्र के द्वारा ४ अक्टूबर, १९६१ को दी थी। उसमें बताया गया था कि उत्प्रवास अधिकारी इंगलैण्ड में राष्ट्रमंडल के नागरिकों के प्रवेश और उनके ठहरने के काल को सीमित कर सकेंगे। रोजगार की तलाश में इंगलैण्ड जाने वालों को ब्रिटिश अधिकारियों से रोजगार के लिये पर्चियां लेनी पड़ेंगी। न्यायालय से दण्ड पाये हुये लोगों को निर्वासित भी किया जा सकेगा।

भारत सरकार ने उस पर विचार करके अपने विचार एक स्मरण-पत्र के द्वारा २८ अक्तूबर, १९६१ को ब्रिटिश सरकार के पास भेज दिये थे। हमने इस बात पर जोर दिया था कि पहले से कोई परामर्श किये बिना भारत से इंगलैण्ड जाने वाले लोगों पर ऐसे प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं होगा। ऐसे प्रतिबन्धों से राष्ट्रमंडल के विभिन्न सदस्यों के बीच विभेद होगा और रंगभेद की नीति को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे प्रतिबन्धों के फलस्वरूप तो इंगलैण्ड में राष्ट्रमंडल के सदस्य-देशों के नागरिकों को उतनी भी सुविधायें नहीं मिलेंगी जितनी कि गैर-राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिकों को मिलती हैं। हमारे उच्च आयुक्त ने इस मामले पर ब्रिटिश गृह-कार्य सचिव से चर्चा की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती लक्ष्मी मेनन]

सभा को मालूम है कि भारत सरकार स्वयं नहीं चाहती कि अपढ़ लोग इंगलैंड में या किसी भी दूसरे देश में रोजगार की तलाश में जायें। हमने स्वयं ऐसे लोगों को पारपत्र देने के मामले में काफी प्रतिबन्ध लगा दिया है। स्वयं ब्रिटिश सरकार ने कुछ ऐसे लोगों को अनुमति दे दी है कि जिनके पारपत्र हमने मंजूर नहीं किये थे।

ब्रिटिश सरकार ने हमें आवशासन दिया है कि वे प्रतिबन्ध रंगभेद के आधारपर लागू नहीं किये जायेंगे। आशा है कि वह आश्वासन पूरा किया जायेगा। हम देखेंगे कि अंतिम रूप में वह अधिनियम किस शक्ल में लागू किया जाता है और उत्प्रवास अधिकारियों को किस प्रकार के अनुदेश दिये जाते हैं। लगता यह है कि जो भी प्रतिबन्ध किया जा रहा है वह काफी पेचीदा और असुविधाजनक होगा। राष्ट्रमंडल के नागरिकों को इंगलैंड पहुंचते समय यही आशंका होगी कि पता नहीं उनको प्रवेश की अनुमति मिलेगी या नहीं और वहां कितने दिन ठहरने दिया जायेगा।

अभी तक इंगलैंड से भारत आने वाले लोगों के प्रवेश और रोजगार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अब वहां नई पद्धति लागू होने पर, भारत सरकार को इस पद्धति पर भी पुनः विचार करना पड़ेगा।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : इस विधेयक के साथ लाखों अश्वेत जातियों का भविष्य जुड़ा हुआ है। अतः हमें आत्म प्रतिष्ठा तथा आत्मसम्मान को देखते हुये इस मामले में कड़ा रुख अख्त्यार करना चाहिये। मैं प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अभी हाल ब्रिटेन से गुजरते समय क्या इस मामले की चर्चा वहां के प्रधान मंत्री से की थी, तथा सरकार इस मामले में अग्रेतर, क्या करने का विचार कर रही है ?

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : क्या इस मामले में ब्रिटेन की सरकार ने भारत सरकार से किसी प्रकार का परामर्श नहीं लिया।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : हमें इसकी जानकारी अक्तूबर में प्राप्त हुई। हमने तत्काल उन्हें अपना मत भेज दिया था।

जहां तक श्री नाथ पाई के प्रश्न का सम्बन्ध है लन्दन से गुजरते समय मैंने इस सम्बन्ध में ब्रिटेन के प्रधान मंत्री से कोई बातचीत नहीं की थी।

इस सम्बन्ध में स्थायी उच्चायुक्त के न रहने से कोई बाधा नहीं हुई थी। यह मामला स्थानापन्न उच्चायुक्त द्वारा लिया गया।

†**श्री नाथ पाई** : उपमंत्री ने कहा है कि हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं। अभी भी ब्रिटेन के पासपोर्ट से कोई भी व्यक्ति बिना किसी विरोध के भारत आ सकता है। अब इस सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे विचार से विसा प्राप्त करने की प्रथा अधिक सुविधापूर्ण है। अतः सामान्य प्रथा को रखना ही उचित है। इसका यह अर्थ है कि राष्ट्रमंडल के एक देश के नागरिक का दूसरे देश में बिना विसा के जाना संभव नहीं होगा।

प्रत्येक देश को यह अधिकार है कि वह कुछ आप्रवासी नियम बनाये। हमारी आपत्ति यह है कि वे नियम जाति विभेद पर आधारित न हों।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य)**: भारत वर्ष श्वेतों का सब से बड़ा देश है। इस लिये मेरे विचार से भारत को कोई ऐसा कदम उठाना चाहिये जिससे कि इस विधेयक के विरुद्ध जिससे कि अश्वेतों के बारे में भेद भाव किया जा रहा है अपनी आवाज उठायें।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: इस विधेयक से न केवल भारत को अपितु उससे भी अधिक वेस्टेंडीज को हानि पहुंचेगी।

निःसंदेह हम ऐसी प्रत्येक बात का विरोध करते रहेंगे जिससे कि जाति विभेद होता हो। वस्तुतः हम नहीं जानते कि इसे किस प्रकार क्रियान्वित किया जायेगा। निःसंदेह हमें जातिगत भेदभाव के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० व० रामस्वामी)** : मैं श्री करमरकर की ओर से खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम १९५४ की धारा २३ की उप धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ४ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३४० में प्रकाशित खाद्य अपमिश्रणरोक (तीसरा संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३३९२/६१]

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** : श्रीमान् मैं उन विधेयकों का एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं, जिन्हें संसद् के सदनों ने चालू सत्र में पारित किया था और जिन पर, राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति दे दी है।

(१) भारतीय मान संस्था (प्रमाणन चिन्ह) संशोधन विधेयक १९६१

(२) विदेशी पंचाट (मान्यता देना और लागू करना) विधेयक, १९६१

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

छब्बीसवां प्रतिवेदन

†**श्री मूलचन्द दुबे** (फर्रुखाबाद) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का छब्बीसवां प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं।

इसके साथ मैं उन सदस्यों के नामों की एक सूची भी सभा पटल पर रखता हूं जो चौदहवें सत्र में १५ दिन या इससे अधिक समय तक लगातार सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहे।

---

†मूल अंग्रेजी में

विनियोग रेलवे संख्या ४ विधेयक जारी

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में, रेलवे सम्बन्धी व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से और राशियों के भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में रेलवे सम्बन्धी व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियां के भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

विश्वभारती संशोधन विधेयक

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विश्वभारती अधिनियम १९५१ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विश्वभारती अधिनियम १९५१ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने कीं अनुमाति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति

सड़सठवां प्रतिवेदन

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति का सड़सठवां प्रतिवेदन जो २ दिसम्बर १९६१ को सभा में उपस्थापित किया गया था सहमत है।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति की सड़सठवें प्रतिवेदन से जो २ दिसम्बर, १९६१ को सभा में उपस्थित किया गया था, सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

चीनियों द्वारा अतिक्रमण के बारे में चर्चा

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : सभा को ज्ञात है कि कुछ समय पूर्व हमने सभा के पुस्तकालय में एक एटलस रखी थी। उसमें पूर्वोत्तर सीमांत अंकित था। इसमें सैनिक चौकियां दिखाई गई हैं। इसमें कराकोरम दर्रे के निकट दौलत बेग ओल्दी इत्यादि भी चिह्नित हैं। जो स्थान चिह्नित नहीं हैं वे सब उन पत्रों में दिये गये हैं जिनकी प्रतिलिपियां सदस्यों को दे दी गयी हैं।

इस सम्बन्ध में एक कठिनाई यह है कि यदि हम उन स्थानों को चिह्नित करें जो कि हमारे पास हैं तो मामला गोपनीय नहीं रह सकता है। यह केवल इस कारण किया जाता है कि इससे विपक्ष वालों को कोई जानकारी नहीं मिलने पाये। अन्य सारी जानकारी नक्शे या हमारे पत्र व्यवहार में दी गयी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वस्तुतः सदस्य यह जानना चाहते हैं कि उनके अतिक्रमण के आरम्भ होने के पश्चात् से उनकी प्रगति किस प्रकार रही है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जहां तक पिछले अतिक्रमणों का सम्बन्ध है उनके सम्बन्ध में सभा में चर्चा हो चुकी है। अतः मैंने पिछले १८ महीनों के अतिक्रमण का ही पिछली बार सभा में जिक्र किया था। मैंने सभा को यह बताया था कि हमारी जानकारी के अनुसार उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय सीमान्त पर तीन चौकियां कायम की हैं। और दूसरी कराकोरम दर्रे के निकट है जो कि निश्चय से १९५५ की सीमान्त रेखा से परे हैं। यह महत्वपूर्ण बात है। मैंने दौलतबेग अल्दी का भी जिक्र किया था। यहां पर हमारी चौकी है। हमारा विश्वास है कि यह तीनों चौकियां पिछले ग्रीष्म में कायम की गयीं। ये चौकियां धीरे धीरे बनाई जाती हैं ऐसा नहीं होता है कि यह एकदम कायम हो जायें। इनका पता हमारे हवाई निरीक्षण दल द्वारा अपनी जांच उड़ान के समय लगा। हमारा विचार है कि इनको पिछली गर्मियों में कायम किया गया। हमें इनका पता पिछले सितम्बर को लगा।

†**श्री गोरे** (पूना): क्या आप प्रधान मंत्री से यह अनुरोध करेंगे कि वे इन स्थानों को नक्शे में दिखायें?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: यदि माननीय सदस्य मेरे कमरे में आयें तो मैं उन्हें ये सभी स्थान नक्शे में दिखला सकता हूं। मेरे पास इन स्थानों के नक्शे मौजूद हैं।

†**श्री गोरे**: टाइम्स आफ इंडिया में एक नक्शा पहले ही प्रकाशित हो चुका है जिसमें चीनी सेनाओं का पश्चिम की ओर अतिक्रमण दिखाया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह नक्शा सही है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: मैंने टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित नक्शा देखा है उसमें जो भाग रंगा हुआ दिखाया गया है वह सही तथ्य पर आधारित नहीं है। इस बात को छोड़ कर वह नक्शा अन्य बातों में ठीक है। उसमें वे स्थान चिह्नित किये गये हैं तथा रंगा हुआ भाग सही नहीं है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद): २० नवम्बर को मैंने एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत नहीं किया गया। अतः यह चर्चा उस स्थगन प्रस्ताव पर की जानी चाहिये

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रजराज सिंह]

थी। क्योंकि इस मामले पर सरकार के लिये निन्दा प्रस्ताव रखा जा सकता है जब कि नियम संख्या १९३ के अधीन जिसके अधीन यह चर्चा की जा रही है हमें सरकार की निन्दा का अवसर नहीं मिलता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्थगन प्रस्ताव का अर्थ निन्दा प्रस्ताव से है। तथापि मामले के महत्व को देखते हुये मैंने इस पर चर्चा की अनुमति दे दी थी। मुझे यह बताया गया कि मेरे आदेश से स्थगन प्रस्ताव पर अस्वीकृति को बुलेटिन में शामिल कर दिया गया था। यदि इसे वादविवाद के अभिलेखों में शामिल नहीं किया गया तो इसे भूतलक्षी अवधि से शामिल किया जा सकता है।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, भारत पर चीन के नये आक्रमण और उस आक्रमण को रोकने में सरकार की विफलता से एक नयी और अत्यन्त गम्भीर परिस्थिति पैदा हो गई है। इन घोषणाओं के बावजूद कि यदि चीन आगे बढ़ा, तो उस का मुकाबला किया जायेगा, चीन ने एक भी गोली चलाये बिना, रक्त की एक भी बूंद बहाये बिना भारत की और अधिक जमीन पर कब्जा कर लिया है। यह जमीन कितनी है, यह विवाद का विषय बना हुआ है। प्रधान मंत्री जी यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि चीन ने किसी नये इलाके पर कब्जा कर लिया है। उस दिन उन्होंने कहा था—"कि भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने का कोई प्रश्न नहीं है लेकिन उनका यह कथन श्वेत-पत्र में दिये गये तथ्यों से मेल नहीं खाता। भारत सरकार द्वारा १० नवम्बर को चीन को जो नोट भेजा गया है, उस में यह बात साफ़ कही गई है—कि चीन की ओर सीमा में काफी सैनिक कार्यवाहियां हो रही हैं तथा भारत के कुछ क्षेत्र पर भी चीनियों ने अतिक्रमण कर लिया है"। यह "सम-मोर टेरोटरी" कौन सी है ? क्या "सम मोर टेरोटरी" से वही मतलब निकलता है, जो प्रधान मंत्री जी के इन शब्दों से निकलता है कि चीन ने किसी एक पायंट पर अपनी चौकी बना ली है और जिस पायंट पर चौकी बनाई गई है, उतनी ही जमीन चीन के कब्जे में है ? प्रधान मंत्री जी ने कहा था—कि चीनियों ने किसी क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया है केवल कराकोरम क्षेत्र में एक चौकी कायम कर दी है।

मुझे डर है कि प्रधान मंत्री जी के इस भाषण के आधार पर चीन कहीं १० नवम्बर के हमारे नोट को अस्वीकार न कर दे। इस से पहले भी इस सदन में और दूसरे सदन में प्रधान मंत्री जी तथा सुरक्षा मंत्री जी द्वारा ऐसी बातें कही जाती रही हैं, जिन्हें चीन ने आगे चलकर हमारे खिलाफ़ प्रयोग में लाया है।

इस श्वेतपत्र से यह प्रकट होता है कि चीन ने दो नई चौकियां बनाई हैं, एक दाम्बुगुरु में और दूसरी न्यागूज में। अभी प्रधान मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि ये चौकियां कहां हैं, यह कहना शायद मुश्किल है, यद्यपि आज का उन का कथन २८ नवम्बर के उन के कथन से थोड़ा भिन्न और अधिक स्पष्ट है। उस दिन उन्होंने जो कुछ कहा था, वह मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा था—कि यह निश्चय से नहीं कहा जा सकता है कि वे एक या डेढ़ मील इधर हैं या उधर।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस कार की बातें रोष पैदा करने वाली हैं। एक ओर तो भारत सरकार के ३१ अक्तूबर के नोट में इन चौकियों की स्थापना को चीन का आक्रमण बताया गया है और दूसरी ओर प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि चौकियां सीमा के इधर हैं या उधर हैं, यह स्पष्ट नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि

---

†मूल अंग्रेजी में

यह कहां तक ठीक है, लेकिन जानकार लोगों का कहना है कि अब हवाई-जहाज से तीस हजार फीट की ऊंचाई से ऐसी तस्वीरें ली जा सकती हैं, जिन से इस का पता लगाया जा सके कि धरती पर बैठा हुआ आदमी सिगार पी रहा है, या सिगरेट पी रहा है। क्या आप सीमा के सम्बन्ध में हमें यह भी दावे से नहीं कह सकते हैं कि चौकियां किधर बनी हैं? प्रधान मंत्री जी के मन में सन्देह क्यों पैदा होता है? ऐसी बातें क्यों कही जाती हैं जो चीन को सहायता दे सकती हैं। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारी इंटैलीजेंस सर्विस क्या कर रही है?

आचार्य कृपालानी (सीतामढ़ी) : है ही नहीं।

श्री वाजपेयी : कभी कभी मुझे शक होता है कि चीन को जो नोट भेजे जाते हैं उन नोटों को हमारे प्रधान मंत्री और सुरक्षा मंत्री पढ़ते भी हैं या नहीं पढ़ते हैं। उस दिन यहां लांगजू के बारे में कहा गया कि सैनिक दृष्टि से उसका कोई महत्व नहीं है। यह एक नई खोज थी। प्रधान मंत्री जी ने केवल इतना ही नहीं कहा कि उसका हमारे लिए कोई महत्व नहीं है उन्होंने चीनियों की तरफ से भी कह दिया कि चीन के लिए भी उसका कोई सैनिक दृष्टि से महत्व नहीं है। लेकिन लोक सभा से वह राज्य सभा में पहुंचे तो लांगजू किधर है इस बारे में उन के मन में सन्देह पैदा हो गया। यहां तो वह सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था, महत्वहीन बन गया था, लेकिन यहां से दो कदम पर राज्य सभा में जब वह गये तो उन्होंने क्या कह दिया उसका आशय यह है कि यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि लांगजू सीमा के इस ओर है कि उस ओर।

अभी तक हम ने जो भी विरोध पत्र भेजे हैं या श्वेत पत्र छापे हैं उनमें हर बार हम ने इस बात पर जोर दिया है कि लांगजू हमारे क्षेत्र में है और हम ने कभी भी यह नहीं कहा है कि वह सीमा पर है या सीमा से दो मील दूर लांगजू स्थित है। लांगजू भारत का है और भारतीय सीमा का क्षेत्र है, इस बात को हम बलपूर्वक कहते रहे हैं। मगर पता नहीं उस दिन राज्य सभा में प्रधान मंत्री जी ने ऐसा वक्तव्य कैसे दे दिया।

संसद् ने कुछ ही दिन पहले एक कानून बनाया है कि अगर भारत की सीमाओं के बारे में कोई सन्देह व्यक्त करे, उन्हें चुनौती दे तो यह एक दण्डनीय अपराध है। लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जी ही सीमा की असंदिग्धता के बारे में विश्वास नहीं रखते हैं और ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिन से सीमा कहां है, इस के बारे में सन्देह पैदा होता है, तो इस प्रकार के कानून बनाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े विनम्र शब्दों में प्रधान मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि लिखे हुए नोटों में और कहे हुए शब्दों में परस्पर विरोधी बातों को टालना हो तो इसका एक ही रास्ता है कि इस प्रकार के प्रश्नों पर तथा ऐसे गम्भीर मौकों पर जब देश की सुरक्षा संकट में है और हम अपनी सीमाओं के बारे में विचार करते हैं तो प्रधान मंत्री जी लिख कर अपना भाषण दिया करें। क्योंकि वह लिख कर नहीं लाते हैं इसलिए कभी कभी उत्तेजना में आ जाते हैं, इधर से भी उत्तेजना दी जाती है और उस उत्तेजना में ऐसी बातें कह दी जाती हैं जो चीन हमारे खिलाफ काम में लाता है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां तक चीनी आक्रमण का सवाल है, हमें परिस्थिति को छोटा करके नहीं दिखाना चाहिये। लेकिन अभी तक इसी बात की कोशिश की जाती रही है। १९५९

[श्री वाजपेयी]

से जब से चीनी आक्रमण का पहली बार रहस्योद्घाटन किया गया है, सरकार की ओर से नहीं, बल्कि समाचारपत्रों की ओर से, जिस के लिए वे बधाई के पात्र हैं, तथा विरोधी दलों द्वारा रखे गये स्थगन प्रस्तावों के रूप में जब यह तथ्य सामने आया कि चीन भारत के विशाल भू-भाग पर कब्जा जमा कर बैठा है तब से लेकर आज तक इस बात की कोशिश की जाती रही है कि चीनियों द्वारा उपस्थित किये गये संकट को कम कर के दिखाया जाये, तथ्यों को पूरा सामने न आने दिया जाये, उन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाये। मेरा निवेदन है कि शब्दों के किसी छल से या कानून की कलाबाजी से इस कटु सत्य को नहीं छिपाया जा सकता है कि चीन ने बहुत बड़े इलाके पर नया कब्जा किया है। १९५६ के नक्शे में जो क्षेत्र दिखाया गया था और १९६० के नक्शे में जिस नये क्षेत्र को दिखाया गया है दोनों के बीच का अन्तर दो हजार वर्ग मील का है। ३१ अक्तूबर के नोट में जिन अतिक्रमणों की घटनाओं का उल्लेख किया गया है उन से यह साफ है कि इस दो हजार वर्गमील में थोड़े से इलाके को छोड़ कर चीनों ने सारे इलाके पर नया कब्जा जमा लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आश्चर्य की बात यह है कि जब चीन नई चौकियां बना रहा था, सीमा का अतिक्रमण कर रहा था, तो कहीं भी भारत के फौजियों से उसकी मुठभेड़ नहीं हुई, कहीं भी भारत की फौजों ने चीन को आगे बढ़ने से नहीं रोका। मैं जानना चाहता हू कि इसका कारण क्या है? क्या इसका कारण यह है कि भारतीय फौजों को आदेश दिया गया है कि जब तक चीन गोली न चलाये तब तक तुम गोली मत चलाओ? इस बारे में सरकार को नीति स्पष्ट करनी चाहिये।

यह घोषणा की गई थी कि एक इंच भूमि भी चीन के कब्जे में नहीं जाने दी जायेगी। यदि एक क्षण के लिये यह मान भी लिया जाये कि चीन ने दो हजार वर्ग मील पर कब्जा नहीं किया है तो भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जितना भी उन्होंने अपनी नई चौकियां बनाई हैं वे कम से कम एक इंच से ज्यादा के इलाके में हैं। आखिर यह इलाका चीन के कब्जे में कैसे जाने दिया गया। हमारे सुरक्षा मंत्री इस के लिए एक नया स्पष्टीकरण दे सकते हैं। उन्होंने कहा भी है:—कि चीन सम्बन्धी नीति में भारत एक इंच पीछे नहीं हटेगा। क्या इसका मतलब यह है कि सीमा पर तो हम हजारों वर्ग मील पीछे जा सकते हैं लेकिन जहां तक चीन की नीति का सवाल है हम इस से एक इंच पीछे नहीं हटेंगे? मैं इस प्रकार के वक्तव्य का अर्थ नहीं समझ सका हूं। आखिर चीन के प्रति हमारी नीति क्या है? आक्रमण पर आक्रमण को सहते जाना, अपमान पर अपमान के घूंट को पीते जाना, अपनी भूमि भी गंवाना और अपने सम्मान से भी हाथ धोना, सैनिक कार्रवाई के जवाब में कागजी विरोधपत्र भेज देना और सब से बढ़ कर पंचशील की दुहाई देना, क्या यही हमारी नीति है?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं और बड़े दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि जहां तक चीन का सम्बन्ध है, पंचशील मर गया, ये पांच व्हाइट पेपर नहीं हैं, श्वेत पत्र नहीं हैं, ये पंचशील के एक एक सिद्धान्त की लाश के ऊपर चीन द्वारा रखे गये सफेद कफन हैं। जहां तक चीन का सवाल है अब पंचशील की दुहाई देना कोई अर्थ नहीं रखता। चीन आक्रमणकारी मनोवृत्ति लेकर चल रहा है, क्या इस का पता हमें इन तीन नई चौकियों से हुआ है? चीन की आक्रमणकारी मनोवृत्ति का पता तिब्बत पर जब चीन ने हमला किया था, तभी चल गया था। क्या उस आक्रमणकारी मनोवृत्ति को साबित करने के लिए और प्रमाण चाहियें?

जब कभी चीन के खिलाफ कार्रवाई करने की बात उठाई जाती है तो यह कह कर विरोधी दलों का, देश की जनता का मुंह बन्द करने की कोशिश की जाती है कि क्या आप लड़ाई चाहते हैं? हम लड़ाई नहीं चाहते।

आचार्य कृपालानी : जरूर चाहते हैं ।

श्री वाजपेयी : लेकिन चीन लड़ाई पर तुला हुआ है तो आप लड़ाई से बच नहीं सकते हैं । लड़ाई के अलावा और जो रास्ते हो सकते हैं, मैं उन का उल्लेख बाद में करूंगा । लेकिन मैं सब से पहले यह जानना चाहता हूं कि आखिर इन १८ महीनों में चीन के नये हमलों की खबरों से सदन को और देश को अंधेरे में क्यों रखा गया है ? हमें नहीं बताया गया, देश की जनता को विश्वास में नहीं लिया गया । चीन नये अतिक्रमण करता रहा, हमारी भूमि पर चौकियां बनाता रहा, सड़कें कायम करता रहा, हवाई अड्डों का निर्माण होता रहा, मगर देश की जनता को इनमें से किसी के बारे में भी नहीं बताया गया ।

३१ अक्तूबर का जो नोट है, उस से पता लगता है कि १९६० में सुरैया में चीनी फौजें देखी गई थीं और १९६० के आटम में दौलतबेग के पास चीनी घुस आये थे । यह १९६० के आटम की बात है । मगर उस के बाद संसद् की बैठक हुई, यहां प्रश्न पूछे गये, उत्तर दिये गये, अन्तर्राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में विवाद हुआ, मगर सदन को कह दिया गया कि चीन ने और घुसपैठ नहीं की है । मैं जानना चाहता हूं कि चीनी अतिक्रमण की खबरों को देश की जनता से क्यों छिपाया गया । पहले जब चीन ने हमला किया था तब भी खबरें छिपाई गई थीं और प्रधान मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि ये खबरें छिपाई गई हैं ।

मि० चाऊ एन लाई को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है जो श्वेतपत्र नम्बर २ में छपी हुई है । मैं उस के एक अंश को आप के सामने उद्धृत करना चाहता हूं । प्रधान मंत्री ने जो लिखा है उस का आशय है कि हम ने जनता को चीनियों द्वारा किये गये अतिक्रमण की जानकारी नहीं दी । ऐसा हम ने इस आशा से किया कि विवाद का शांतिपूर्ण निपटारा हो सकेगा । इस का यह फल हुआ कि सरकार की संसद् तथा समाचार पत्रों में कड़ी आलोचना हो रही है । यह सन् १९५९ का लिखा हुआ पत्र है कि जिस में स्वीकार किया गया है कि हम ने जान बूझ कर चीनी आक्रमण की खबरें देश की जनता से छिपाईं, संसद् से छिपाईं, और उस समय प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि यह गलती हुई है और इस गलती को दोहराया नहीं जायेगा, लेकिन इस बार फिर इस गलती को दोहराया गया है । चीनी आक्रमण की खबरें हमें बतलाई नहीं गईं । समाचारपत्रों ने जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं से सम्बन्ध स्थापित किया तो बराबर इस बात का खंडन किया जाता रहा कि चीन की कोई घुसपैठ हुई है । मैं जानना चाहता हूं कि यह बात क्यों छिपाई गई । अगर समाचारपत्रों की रिपोर्ट पर विश्वास करना हो तो नई दिल्ली के एक जिम्मेदार अंग्रेजी दैनिक पत्र ने लिखा है कि जब यह समाचार अखबारों में आया तो विदेश मंत्रालय में बड़े अफसरों की एक बैठक हुई और उस में विचार हुआ कि यह खबर बतलानी है, या नहीं बतलानी है, और यह फैसला हुआ कि इस को बतलाना ठीक नहीं । यह फैसला क्यों हुआ ? पत्र लिखता है : कदाचित सरकार ने यह विचार किया कि इस से चुनावों के नतीजों पर प्रभाव पड़ेगा । यह मेरा कहना नहीं है, जिम्मेदार अंग्रेजी दैनिक का कहना है । चीनी आक्रमण की खबरें पहले छिपाई गई थीं इसलिये कि चीन और भारत के बीच शांतिपूर्ण समझौता हो जाये । अभी तो शांतिपूर्ण समझौता होने का सवाल नहीं है । इस देश की जनता, इस देश की संसद्, इस सदन के सदस्यों, को यह जानने का अधिकार है कि भारत की सीमा पर कहां पर अतिक्रमण हो रहा है । लेकिन हम को बताया नहीं जाता, और जब चीजों का पता लग जाता है तो उन को दबाया जाता है । पहले दिन भी इस संसद् में, इस लोकसभा में प्रधान मंत्री जी सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य देने के लिये नहीं आये । इस के लिये हम को स्थगन प्रस्ताव पेश करना पड़ा । उस के जवाब में भी सरकार ने पूरी बातें सामने नहीं रक्खीं । एक लिखित प्रश्न के उत्तर में ३१ तारीख को चीन को भेजा गया नोट, और वह भी टुकड़ों में, रक्खा गया । मैं नहीं समझता कि ये महत्वपूर्ण तथ्य सदन

[श्री वाजपेयी]

से क्यों छिपाये जाते हैं। मैं जानता हूं कि सरकार उस कुल में पैदा नहीं हुई जिस में हाथी मारे जाते हैं।

चीन के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने का साहस आप में नहीं है। यह हम समझते हैं। किन्तु कम से कम हमें आक्रमण की खबरों का तो पता लगना चाहिये। आखिर हमले की खबर छिपाना यह कौन सी देशभक्ति है, यह कौनसी बुद्धिमत्ता है, यह कौनसा लोकतंत्र प्रेम है? सरकार ने चीन के आक्रमण की खबरों को छिपा कर जनता के विश्वास को एक बार फिर से ठोकर लगाई है। हम चाहेंगे कि इस चीज की सरकार सफाई दे कि आखिर यह चीन के हमले की खबरें छिपाई क्यों गईं।

लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि क्या सचमुच सरकार के मंत्रियों को भी पता था कि चीन अन्दर घुस रहा है? सुरक्षा मंत्री ने २१ नवम्बर को वाशिंगटन में जो भाषण दिया, जो वक्तव्य दिया, उस में उन्हों ने कहा कि मुझे तो पता नहीं, मुझे तो अखबारों से पता लगा है कि चीन अन्दर घुस रहा है। अभी तक इस बात का खंडन नहीं किया गया है। तो क्या कैबिनेट को भी नहीं बतलाया जाता? कैबिनेट के एक और भी मिनिस्टर हैं जो यहां मौजूद नहीं हैं। वह बम्बई में भाषण करने गये और उन्हों ने कहा कि पाकिस्तान का हमला एकदम होने वाला है। चीन के बारे में कहा कि हम चीन से लड़ नहीं सकते, लम्बी लड़ाई चलेगी, देखा जायेगा। मगर उन के सारे भाषण का वजन यह था कि पाकिस्तान का हमला होने वाला है। हमला चीन का हुआ है। चीन हमारी सीमा में घुस आया है, चीन ने पुराना समझौता तोड़ दिया, चीन ने नई चौकियां कायम की हैं। चीन ने एक बार फिर हमारे स्वाभिमान को चुनौती दी है भारत की सार्वभौम सत्ता को ललकारा है, और एक कैबिनेट मिनिस्टर वाशिंगटन में बैठ कर कहते हैं कि उन्हें अखबारों से इस का पता लगा है। और दूसरे मिनिस्टर बम्बई में जाकर कहते हैं कि पाकिस्तान का हमला होने वाला है। मैं नहीं समझता कि यह स्थिति क्या है।

प्रधान मंत्री जी सुरक्षा मंत्री की रक्षा करने की बहुत चिन्ता करते हैं। जितनी युक्ति और बुद्धि वह रक्षा मंत्री की रक्षा में खर्च करते हैं, अगर उतनी युक्ति और बुद्धि चीन के आक्रमण से भारत की रक्षा करने में खर्च करते तो शायद चीन का नया आक्रमण नहीं होता। सुरक्षा मंत्री कुछ भी कहें, प्रधान मंत्री जी को उस की सफाई देना है। सुरक्षा मंत्री ने कह दिया कि यह एक्टिव होस्टेलिटी नहीं है तो कहा जाने लगा कि होस्टाइल ऐक्टिविटी का अमरीका में मतलब यह होता है कि दोनों देशों की फौजें आमने सामने तैनात हैं और लड़ रही हैं। लद्दाख में ऐसी तो कोई बात नहीं। हिमालय में बर्फ की शान्ति है। क्या कोई कह सकता है कि यह ऐक्टिव होस्टिलिटी नहीं है? चीन ने नये आक्रमण किये हैं, नई भूमि पर कब्जा किया है, यह अगर होस्टिलिटी नहीं है तो क्या है? ऐक्टिव होस्टिलिटी नहीं है तो इस का मतलब यदि यह है कि चीन तो ऐक्टिव है मगर भारत पैसिव है, चीन होस्टाइल है मगर हम डोसाइल हैं तब तो ठीक है। किन्तु क्या यह समझ में आ सकता है? इस प्रकार के वक्तव्य दे कर देश की जनता को और विश्व के जनमत को भारत और चीन के संघर्ष में ठीक तरह से शिक्षित करने का काम नहीं किया जा सकता। हमारे प्रधान मंत्री जी ने वहां चीनी सेनायें हैं या आर्म्ड ग्रुप्स हैं, इस का भी कुछ भेद किया। हम इस भेद को समझ नहीं सकते। मगर हमारे सुरक्षा मंत्री तो इस से भी आगे बढ़ गये। उन्हों ने वाशिंगटन में कहा कि वहां फौजें तो हैं नहीं, वहां कुछ चाइनीज एलिमेंट्स हैं, चीनी तत्व हैं। जैसे पंचतत्व होते हैं इसी तरह से चीनी तत्व हैं। सेनायें सामने खड़ी हैं, सेनायें इकट्ठी की जा रही हैं। और अधिक आक्रमण की तैयारियां हो रही हैं और हमारे सुरक्षा मंत्री विदेशों में जा कर भारत के पक्ष को ठीक तरह से रख भी नहीं सकते।

मेरा निवेदन है कि यह हमारे सुरक्षा मंत्री के एक वक्तव्य का सवाल नहीं है, जब से चीन का विवाद चला है, वह लगातार चीन के साथ हमारे संघर्ष को कम कर के दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। पहले उन्हों ने कहा कि यह आक्रमण नहीं है क्योंकि यूनाइटेड नेशन्स ने आक्रमण की परिभाषा

नहीं की। मेरे घर में आग लगाई गई है और वह आग है या नहीं यह देखने के लिये क्या हम इंडियन पेनल कोड देखेंगे ? हमारी आग आरसन के अन्तर्गत आती है या नहीं इस पर कोरे कानून से विचार करेंगे ? फिर उन्होंने ऐडमिनिस्टर्ड टेरिटरी के बारे में विवादग्रस्त वक्तव्य दे दिया। और यह उन का नया वक्तव्य है। हमारे प्रधान मंत्री जी कहां तक उन की रक्षा करेंगे ?

मेरा निवेदन है कि पिछले अप्रैल के महीने में सुरक्षा मंत्री ने यह वक्तव्य दिया था कि अब चीन का आगे बढ़ना असम्भव है, मगर चीन आगे बढ़ गया है। हमारी रक्षा व्यवस्था विफल हो गई है। इस के लिये कौन जवाबदेह है ? यह कहने से काम नहीं चलेगा कि हम चीन की आक्रमणकारी प्रवृत्तियों से परिचित हैं। देश की जनता यह जवाब चाहती है कि चीन की सेनायें आगे क्यों बढ़ीं ? आगे बढ़ीं तो उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई ?

प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि सैनिक स्थिति लद्दाख में हमारे अनुकूल ही रही है। किस आधार पर यह बात कही गई, यह मैं नहीं समझ सकता। चीन की चौकियां हम से ज्यादा हैं। लद्दाख में चीन की फौज हम से ज्यादा है, चीन ने सड़कें भी हम से ज्यादा बनाई हैं, हमारी बहुत सड़कें नहीं बनीं। तीन साल हो गये सड़कें नहीं बनीं। कहा जाता है कि सी० पी० डब्ल्यू० डी० से ले कर यह काम फौज को दे दिया गया। मुझे पता नहीं कि सी० पी० डब्ल्यू० डी० वहां सड़कें कब बना रहा था। क्या सी० पी० डब्ल्यू० डी० को सड़कें बनाने का काम सौंपा गया था ? यह सदन तो इस विचार को ले कर चलता है कि शायद फौजों ने प्रारम्भ से ही सड़कें बनाई हैं। पर यह किस आधार पर कहा जा सकता है कि लद्दाख में सैनिक परिस्थिति हमारे अनुकूल है ? मुझे आपत्ति है कि लद्दाख की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिये सरकार को जितना प्रयत्न करना चाहिये था उतना प्रयत्न नहीं किया। नेफा में कितनी तैयारी की गई है, उस का पता तब लगेगा जब वहां चीन का नया आक्रमण होगा।

यहां एक बात हम याद रक्खें कि चीन ने किसी न किसी रूप में मैकमोहन रेखा को नेफा के अन्दर स्वीकार किया हैं, लेकिन लद्दाख में वह परम्परागत सीमा स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है। भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी भी इसी नीति को मानती है। क्या इस का यह अर्थ तो नहीं है कि भारत लद्दाख को चीन के कब्जे में छोड़ने जा रहा है ? आज जो स्थिति है उस में मुझे यह सन्देह करने का कारण है, और इस सन्देह को दूर किया जाये, यह मैं प्रधान मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं।

श्वेतपत्र से एक और बात भी स्पष्ट होती है कि भारत और चीन का झगड़ा कोई सीमा का झगड़ा नहीं है। बेलग्रेड सम्मेलन के बारे में चीन ने जो भारत विरोधी प्रचार अभियान आरम्भ किया है उस से यह स्पष्ट है कि चीन सारी दुनिया में हमें बदनाम करना चाहता है, चीन भारत के स्वाभिमान को मिट्टी में मिलाना चाहता है, चीन हमारे उठे हुए सिर को झुकाना चाहता है। चीन नहीं चाहता कि लोकतंत्री मार्ग पर चल कर भारत प्रगति कर के दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के आजाद होने वाले देशों के सामने एक नया आदर्श रख सके। हमें इस संघर्ष के महत्व को समझना होगा। यह सैनिक संघर्ष है, मगर यह सैद्धांतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक संघर्ष भी है, और मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कूटनीतिक क्षेत्र में भी चीन ने हम को मात दे दी है। हमारे पड़ौसी हम से दूर होते जा रहे हैं। चीन ने बर्मा और नेपाल के साथ समझौते किये हैं। आज इंडोनेशिया हमारी तुलना में चीन के अधिक निकट चला गया है।

हमारी विदेश नीति की सब से बड़ी विफलता यह है कि हम चीन के संकट से अपने पड़ोस के देशों को सावधान नहीं रख सके, उन्हें अपने साथ खड़ा नहीं रख सके, और आज आवश्यकता इस बात की है कि चीन के इस डिपलोमेटिक आफेंसिव को विफल करने के लिए भी कार्रवाई की जाए।

[श्री वाजपेयी]

मेरा दूसरा सुझाव है कि चीन की नई आक्रमणात्मक कार्रवाइयों को देखते हुए चीन के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध तोड़ लेने चाहिएं। जब पीकिंग में बैठा हुआ भारतीय राजदूत भारत के हितों की रक्षा नहीं कर सकता बल्कि उसे अपमान भोगने के लिए विवश होना पड़ता है, तो उस राजदूत के वहां बैठे रहने का क्या उद्देश्य है। हमें उसको वहां से वापस बुला लेना चाहिए और जो चीन का राजदूत भारत में बैठा है उसको अपना बोरिया बिस्तर बांध कर पीकिंग भेज देना चाहिए।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि भारत सरकार को तिब्बत के आत्म-निर्णय के अधिकार का खुला समर्थन करना चाहिए। हम इस बात को भूल नहीं सकते कि यह तिब्बत को चुपचाप चीन के पैरों तले रौंदा जाता हुआ देखने के पाप का ही फल है कि आज चीनी सेनायें भारत की सीमाओं में घुस आयी हैं। सन् १९५४ की सन्धि समाप्त हो रही है और आज तिब्बत को आत्म निर्णय के अधिकार की मांग करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। यदि हम जन से, धन से या शस्त्रों से तिब्बत की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम हमें उसको नैतिक समर्थन प्रदान करना चाहिए। आत्म निर्णय के अधिकार के लिए।

मेरा तीसरा सुझाव है कि हमें नेपाल के साथ अपने सम्बन्धों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। नेपाल में लोकतंत्र रहे या न रहे यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह महत्वपूर्ण है कि भारत और चीन के बीच संघर्ष में नेपाल हमारे साथ रहे। हम लोकतंत्रवादी हैं, सारी दुनिया में लोकतंत्र कायम हो यह हमारी स्वाभाविक इच्छा है, लेकिन किसी देश में लोकतंत्र है या नहीं यह हमारे और उसके सम्बन्धों के बीच बाधक नहीं बनने दिया जा सकता। नेपाल के प्रति भारत सरकार को अपनी नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

मेरा चौथा सुझाव यह है कि लद्दाख में सड़कों, संचार साधनों और रसद पहुंचाने के मार्गों को युद्ध स्तर पर बनाना चाहिए। केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि हमारे जो टारजेट्स हैं वे पूरे हो चुके हैं। यदि युद्ध स्तर पर काम होगा तो टारजेट्स से ज्यादा काम हो सकेगा। हमें याद रखना चाहिए कि चीन बैठा नहीं रहेगा, समय भी हमारा इन्तिजार नहीं करेगा। चीन आगे बढ़ रहा है, आवश्यकता इस बात की है कि उसके आगे बढ़ने को रोकने के लिए सरकार सदन को आश्वासन दे कि इस तारीख तक लद्दाख के क्षेत्र में हमारी रक्षा व्यवस्था पूरी हो जाएगी।

चीन के नए आक्रमणों से देश की जनता को बड़ा धक्का लगा है। यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है। चीन का आक्रमण एक राष्ट्रीय सवाल है, लेकिन अगर सरकार इसको पार्टी की नजर से देखेगी या चुनाव की नजर से देखेगी तो यह देश के लिये बड़े दुर्भाग्य की बात होगी।

†**श्री अशोक मेहता :** (मुजफ्फरपुर) : हम जिस प्रश्न पर सभा में चर्चा कर रहे हैं वह देश के लिये बहुत ही महत्व रखता है। किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि सरकार का दृष्टिकोण सदा संदिग्ध रहा है वह गत दस वर्षों से हो रहे कार्य में एक और कड़ी मात्र है। इस प्रकार का वातावरण तैयार होने दिया गया था कि चीन भारत के लिए एक अभेद्य ढाल है। शक्तिशाली हिमालय के समान। किन्तु बात इसके विपरीत है हमारे सम्बन्धों में यह संदिग्धता क्यों लायी गई है। हो सकता है कि हम लद्दाख में चीनियों का सामना करने को तैयार नहीं किन्तु हमारी नर्म नीति के कारण हमारा वहां से पीछे हटना अधिक सरल हो गया है।

हमें अपनी नीति के फलस्वरूप अपने दौत्य सम्बन्धों में क्षति उठानी पड़ी है। एशिया के देश जो हमारे पड़ोसी और मित्र हैं, चीन द्वारा किये गये भारतीय क्षेत्र के अतिक्रमण के बारे में तटस्थ रहे हैं। जापान जैसे देश के साथ हमारे अधिक निकट सम्बन्ध होने चाहियें। देश की जनता का मनोबल

---

†मूल अंग्रेजी में

बनाये रखने के लिये तथा दक्षिण और दक्षिणपूर्व एशिया के हमारे मित्रों को यह बताने के लिये कि हम चीन के आक्रमण को प्रतिकर लिये बिना सहन नहीं करेंगे। हमें कारगर कदम उठाना चाहिये। इस बात से बर्मा, नेपाल और हिन्द चीन, जापान और फिलिपाइन्स को अवगत कराया जाये कि हम न केवल अपना सन्तुलन ही कायम रखेंगे किन्तु हम अपनी हिम्मत भी न हारेंगे।

यह बात तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान हमारा शत्रु है। और उसकी शक्ति, क्षमता और शरारत की भावना से तो हम पुराने परिचित हैं। परन्तु चीन के बारे में हम बिल्कुल अपरिचित रहे हैं और वह सारे संसार पर राज्य करने का स्वप्न ले रहा है। यह ठीक है कि हमें हरेक खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए। परन्तु इस दिशा में लोगों के साहस को कायम रखना भी तो बहुत जरूरी है। इसके लिए, जरूरी है कि देश को इस बारे में पूरी जानकारी दी जाय। अखबारों में निकलता है कि कुछ भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया गया है, परन्तु प्रधान मंत्री कहते हैं कि यह गलत है। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री हमें गलत न समझें और यह बतायें कि चीन यदि इसी तरह आगे बढ़ता गया तो क्या हम तैयारियों में ही लगे रहेंगे अथवा तुरन्त कार्यवाही करेंगे ?

मैं यह नहीं कहता कि आप चीन के साथ युद्ध की घोषणा कर दें, न मैं यह ही कहता हूं कि आप उनसे कूटनीतिक सम्बन्ध तोड़ लें, किन्तु मैं यह जरूर चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र में चीन को स्थान दिलाने के लिए हम इस प्रकार के प्रयत्न भी न करें, जिनका कोई लाभ होने वाला नहीं। इस दिशा में हमारी कोई स्थायी नीति होनी चाहिए जो कि राष्ट्र के हित में हो। मेरा निवेदन यह है कि हमें अपनी नीति के फलस्वरूप अपने दौत्य सम्बन्धों में क्षति उठानी पड़ी है। एशिया के देश, जो हमारे पड़ोसी और मित्र हैं, चीन द्वारा किये गये भारतीय क्षेत्र के अतिक्रमण के बारे में तटस्थ रहे हैं। जापान जैसे देश के साथ हमारे अधिक निकट सम्बन्ध होने चाहिएं। देश की जनता का मनोबल बनाये रखने तथा दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के हमारे मित्रों को यह बताने के लिए कि हम चीन के आक्रमण को प्रतिकर किये बिना सहन न करेंगे, हमें ठोस पग उठाने चाहिएं। इस बात से बर्मा, नेपाल, हिन्द चीन, जापान और फिलिपाइन्स को अवगत करा दिया जाना चाहिए कि हम न केवल अपना सन्तुलन ही कायम रखेंगे, किन्तु हम अपनी हिम्मत भी न हारेंगे।

इस बात का भी हमें सन्तोष ही है और इस पर प्रसन्नता है कि रूस से हमारे सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं। मैं कम्यूनिस्ट विरोधी नहीं हूं परन्तु चीन द्वारा जो हमला भारत पर हुआ है उसे एक राष्ट्रवादी की दृष्टि से देखता हूं। मैं प्रधान मंत्री की इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने रूस और अमरीका दोनों ही देशों से अपने सम्बन्ध सुधारने का अच्छा प्रयास किया है। इस पर भी यह बड़ा आवश्यक है कि देश को विश्वास में लेकर एक ठोस नीति अपनाने की आवश्यकता है ताकि भारत की ओर कुदृष्टि से देखने वालों के सम्बन्ध में हम सचेत रहें। चीन के आक्रमण की उपेक्षा का हमें केवल अपने अपने दल की विजय की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। आज हमारा शत्रु हमारी सीमाओं पर दंदनाता हुआ हमें चुनौती दे रहा है।

डा० राम सुभग सिंह : (सहसराम) : उपाध्यक्ष महोदय, इन श्वेतपत्रों को पढ़ने से पता चलता है कि चीन का असली मंशा क्या है। इनमें पूरा पूरा जिक्र किया गया है कि कितनी बार चीन की ओर से हमारे देश की सीमाओं का अतिक्रमण हुआ, कितनी बार चीनी हवाई जहाजों ने हमारे देश की एयरस्पेस को वायोलेट किया और वास्तविक रूप से १९५६ में जिस नक्शे को चीन ने प्रस्तुत किया था, उससे आगे बढ़ कर उसने अपनी नई चौकियां स्थापित कर ली हैं। इससे इस बात का भी पता चलता है कि ऐसा करने में चीनियों का असली मंशा क्या है।

[डा० राम सुभग सिंह]

पहले जब इस बात की चर्चा की गई थी उस वक्त यह बताया गया था कि हमारी सरहद सिक्यांग से मिलती है और वह सरहद जम्मू और काश्मीर की उत्तरी सरहद है। लेकिन जब चीन ने १९५० में तिब्बत पर कब्जा किया उस वक्त १९५१ की सन्धि में उन लोगों ने केवल इतना ही हक हासिल किया कि उसको एक आटोनोमस स्टेट माना जाए। लेकिन बाद में आगे चल कर तिब्बत पर चीन के सावरेन राइट्स को स्वीकार किया गया और इसे भारत सरकार ने भी स्वीकार किया। असली दिक्कत यह उठती है कि जो भी देश तिब्बत पर शुरू से अधिकार करता आया है, वह बराबर तिब्बत के पड़ोसी स्थानों में गड़बड़ी मचाता रहा है और १९५० में जब चीन का तिब्बत पर अधिकार हुआ, उसके तुरन्त बाद लद्दाख में, सिक्किम में, भूटान में, नेपाल में, बर्मा में और दूसरी चारों तरफ वह अपने प्रभाव को स्थापित करने का प्रयत्न करने लग गया। लद्दाख में उसने जब अपना प्रभाव स्थापित किया और उसके बाद १९५४ में जो सन्धि हुई और जिसका देश को १९५७–५८ में पता चला, उसके पहले ही लद्दाख में चीन का काफी प्रभुत्व स्थापित हो चुका था और उस प्रभुत्व को स्थापित करने के बाद १९५४ की सन्धि के प्रति अगर चीन की थोड़ी सी भी आस्था होती, या पंचशील के प्रति थोड़ी सी भी आस्था होती तो चीन और आगे बढ़ने के बजाय भारत की मंशा का अध्ययन करके दोनों देशों में प्रगाढ़ मैत्री स्थापित करने का प्रयास करता। लेकिन वैसी बात उसने नहीं की। पंचशील की तथा १९५४ की सांस्कृतिक और व्यापारिक सन्धि की स्याही सूखने भी नहीं पाई थी कि चीन ने और जगहों पर आक्रमण करने प्रारम्भ कर दिए। चाहे हम उन दिनों उसको आक्रमणकारी मानें, या न मानें बाद में उसे आक्रमणकारी माना गया और मैं समझता हूं कि वास्तविक रूप में उस समय भी वह आक्रमणकारी ही था।

जब मैं यह कहता हूं कि सिक्यांग से हमारी सरहद मिलती है तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं जम्मू तथा काश्मीर को भारत के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण मानता हूं। जिस प्रकार शरीर के लिये मस्तक जरूरी है उसी प्रकार जम्मू और काश्मीर और उसमें भी लद्दाख और गिलगित हमारे लिये जरूरी हैं। लेकिन जब पाकिस्तान ने गिलगित पर कब्जा कर लिया और लद्दाख की स्कार्दू तहसील पर कब्जा हो गया तो जो शेष हिस्से थे, उनका हमें अध्ययन करना चाहिये था। पाकिस्तानी आक्रमण जम्मू और काश्मीर पर १९४७ में हुआ। उसके बाद जितने राजनीतिक दल हैं उनको तथा भारत सरकार को चाहिये था कि वे इसका अध्ययन करते कि उसकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, पाकिस्तानी आक्रमण की भारत पर क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, तथा जम्मू और काश्मीर का क्या सैनिक महत्व है। लद्दाख को या लद्दाख की स्कार्दू तहसील को निकाल कर, यदि हम कार्गिल और लेह की तहसीलों की बात सोचें तो भी मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि उसका अध्ययन हमने नहीं किया। यदि हमने इसका अध्ययन १९४९ में किया होता तो समझ में आ सकता था कि क्या करें। अक्तूबर, १९४९ तक चीनियों का अपना अधिपत्य चीन में नहीं जमा था। तब तक कम्युनिस्ट राज्य की स्थापना चीन में पूरी तरह से नहीं हुई थी। उस वक्त पाकिस्तानी आक्रमण से होने वाली सैनिक कठिनाई को हम समझ सकते थे। उन दिनों हमको उसका अन्दाज नहीं लगा।

उसके बाद जब १९५४ की संधि हुई, या जो पंचशील के सिद्धान्त अपनाए गए, उस वक्त भी और न ही उसके बाद भी, उन इलाकों के महत्व की पूरी बारीकी के साथ किसी ने अध्ययन करने की कोशिश की। लेकिन जो होना था वह हो गया, उसकी मैं आलोचना करना नहीं चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सब की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, इस पर आप विचार करें। लद्दाख एक ऐसा इलाका है जो आज से नहीं, मौर्य साम्राज्य से ही, जिस का उस पर कब्जा रहता रहा है, वही

तमाम हिमालयी राज्यों पर प्रभाव डालता रहा है। अशोक का जिन दिनों उस पर थोड़ा बहुत प्रभाव था, उन दिनों भी उन्होंने वहां से चारों ओर बौद्ध मजहब का प्रचार किया। मुगल सम्राटों का जब उन स्थानों पर प्रभाव था, तो वहां से उन्होंने तमाम राज्यों को संचालित किया। अंग्रेजों का जब प्रभाव हुआ तो वे भी गिलगित को चाहे लद्दाख के हिस्से को सब से अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। मुगलों ने भी जिस वक्त अपना राज्य यहां स्थापित किया उस वक्त कोई भी वहां का अधिकारी नहीं होता था, लद्दाख को लें या स्कार्दू को लें या कार्गिल को लें जिस को मुगल सम्राटों की मर्जी के अनुसार नहीं चलना होता था। मर्जी इसलिए नहीं कि वे उनका कोई व्यक्तिगत कार्य करते थे मगर इसलिए कि दिल्ली की रक्षा के लिए लद्दाख की रक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण समझी जाती थी। यह समझा जाता था कि जो कोई भी वहां कब्जा करेगा, जिस किसी की भी वहां तकत बढ़ेगी, उसको दिल्ली, चण्डीगढ़, लाहौर, अमृतसर इत्यादि में आने में तनिक भी कठिनाई नहीं होगी।

आज यहां पर नक्शे की बात की जाती है। मैं समझता हूं कि प्रजासमाजवादी दल हो या जन संघ या कोई और दल हो, हर कोई इन तमाम बातों का अध्ययन कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है यह जानने के लिए कि नक्शे में क्या क्या चीज़ कहां कहां है। उन सैनिक स्थितियों का अध्ययन व्यक्तिगत रूप से जनता कर सकती है और सामूहिक रूप से सरकार कर सकती है। लद्दाख के महत्व के बारे में अगर कोई कहता है कि वह हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है तो इसको मैं ठीक नहीं समझता हूं। इस तरह की बात को मैं महत्व नहीं देता। जब तक हम उसके महत्व को नहीं समझेंगे उसकी स्थिति को पूरी तरह से नहीं समझेंगे तब तक यह सम्भव नहीं है कि भारत की सौलिडैरेटी, भारत की इंटैग्रेटी की रक्षा हो। मेरी दृष्टि में भारत की सौलिडैरिटी और इंटैग्रेटी, लद्दाख की सौलिडैरिटी और इंटैग्रेटी से पूरी तरह बंधी हुई है और इसको मान कर हमें चलना चाहिये।

जो चीनी वहां आते हैं, या चीनियों के वहां ब्रिगेड स्थापित होते हैं या हुए हैं, जहां जहां चीनी मिलिटरी का जमघट है या जहां जहां पोस्टस स्थापित हुई हैं या होती हैं, उन सब के बारे में आप यहां से जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप यह भी जान सकते हैं कि कितने वायुयानों का प्रवेश हुआ, बद्रीनाथ, जोशीमठ या असकोट के क्षेत्र में। एक वायुयान अगर ४५ मिनट तक उड़ता है और रात में भी यहां उस के वायुयान आते हैं, नेफा में भी उड़ते हैं, सिक्किम में, उत्तर प्रदेश के हिस्से में और लद्दाख में उड़ते हैं, तो आप समझ सकते हैं चाइना की एअर सुपीरियारिटी कितनी है।

अभी श्री वाजपेयी ने कहा कि अब तक सड़क नहीं बनी है, यह बात मैं नहीं मानता। सड़क बनी है और ऐसी सड़कें और बनाई जानी चाहियें। हवाई जहाजों के अड्डे बने हैं लेकिन और ज्यादा बनाये जाने चाहियें। यदि चाइना के हवाई जहाज रात में भारत पर आते हैं, ४५ मिनट तक बद्रीनाथ और जोशीमठ वगैरह पर चक्कर काट सकते हैं तो हमारी भी एअर सुपीरियारिटी उस के समकक्ष रहनी चाहिये। इस लिये जरूरत है कि हमारे हवाई अड्डे ज्यादा हों और इतनी ज्यादा तादाद में हों कि जब चाहें और जहां चाहें उतार सकें, वहां पहुंच सकें। यह नहीं कि महीनों तक हम इन्तजार करें एक जहाज भेजने के लिये। जहां तक लेह-कारगिल सड़क का सवाल है, उस पर आलोचना नहीं करनी चाहिये, इस लिये मैं चाहूंगा कि श्री वाजपेयी इस स्थिति को समझें कि कितनी कठिनाई में इसे बनाया गया है और इस का मेनटेन करना जरूरी है। जितनी ट्रंक रोड्स हैं, उन को अच्छी तरह से मेनटेन करना चाहिये, लेकिन उसी के साथ साथ वहां पर एक के बजाय दो दो रोड्स बनाई जानी चाहियें हर जगह पर। आज हम श्रीनगर से कारगिल जाते हैं, वहां से लेह जाते हैं इस लिये जरूरी है कि मंडी से मनाली और मनाली से लेह तक सड़क बने। भले ही उस पर करोड़ों, अरबों रुपये लगें लेकिन उस को जरूर बनाना चाहिये क्योंकि चाइना का आक्रमण इस बात की निशानी है, उसे कोई समझे या न समझे, कि उस से सारी फाइव इअर प्लैन प्रभावित होगी, जितने भी हमारे विकास के कार्यक्रम हैं उन सबों पर उस का असर पड़ेगा, जितना हमारा सामाजिक ढांचा है, उस सब पर इस का असर पड़ेगा। जितने हमारे पड़ोसी राज्य हैं उन पर तो आलरेडी असर पड़ गया है।

[डा० राम सुभग सिंह]

नेपाल के महाराजा साहब वहां गये । उस देश पर सब की श्रद्धा है और हमारी सन्धि भी उन के साथ थी । हमारा डिफेंस कमिटमेंट भी एक तरह से था । पिछले साल पंडित जी ने भी कहा था इस के बारे में लेकिन जाने के पहले और जाने के बाद उन को भारत सरकार से अच्छी तरह सलाह मश्विरा कर लेना चाहिये था कि जो भी बातें उन्होंने कीं चीन से उन का क्या महत्व होता है । जितने भी सैनिक घुसे हैं नेपाल में, इतिहास के शुरू से आज तक, वे उसी रोड से आये हैं जिसे कोडारी से बनाने की बात है । हो सकता है कि आज कोई कहे कि आज के युग में सड़कों का कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन कोरिया में यह हालत थी कि जब चीनी मक्खियों की तरह से सैनिक लिबास में वहां घुसे तो वहां पर यूनाइटेड नेशन्स और अमरीका के आधुनिक विमान भी असफल हो गये । इसी तरह से ल्हासा से काठमांडू तक जो सड़क बनाई गई और भारत से काठमांडू तक, उन को भारत सरकार ने ही बना दिया । ऐसी हालत में इन तमाम चीजों के बारे में नेपाल को राय मश्विरा अवश्य करना चाहिये था ।

मैं भूटान को दाद दूंगा, उस की तारीफ करूंगा, कि वह एक ऐसा देश है जो बराबर चीनी प्रभाव को धक्का दे रहा है, और आज भी वह चट्टान की तरह खड़ा है । चीन कितना ही दबाव डाले उस पर लेकिन वह भारत से परामर्श किये बगैर कोई कार्रवाई नहीं करेगा । यह होता आया है । होता इसलिये है कि लद्दाख में जो हमारी शक्ति होनी चाहिये, जम्मू और काश्मीर में जो हमारी ताकत होनी चाहिये वह संगठित शक्ति होनी चाहिये, क्योंकि जम्मू और काश्मीर भी भारत का हिस्सा है और उस की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है । चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, अगर कोई हिन्दुस्तान में घुस आता है और हम उस को तुरन्त दंडित नहीं करते तो यह ठीक नहीं है : यहां पर शान्ति सेना की बहुत चर्चा की गई, भले ही यहां पर कोई चर्चा होती रहे, भले ही कोई किसी को बार मांगर कहता रहे, लेकिन मैं डरने को लीडर की निशानी नहीं समझता । असली नेता वह है जो किसी बात से भी डरता नहीं हो । लेकिन वह बात सत्य अवश्य होनी चाहिये । आज देशभक्ति का तकाजा है कि देश के किसी हिस्से में अगर कोई विदेशी आ जाय तो हम उस को निकाल बाहर करें ।

आज मैं भारत सरकार की तारीफ करता हूं कि उस की ओर से गोवा में कार्रवाई करने का संकेत दिया गया है । इसी तरह से चाहे जहां कहीं भी हो हमें इस नीति पर जमे रहना चाहिये । जम्मू और काश्मीर की अखंडता की पूरी रक्षा किये बगैर हमारा कल्याण नहीं हो सकता, और लद्दाख की एक एक इंच जमीन भी उसी तरह से सुरक्षित रहे । आज यदि लद्दाख की एक इंच भूमि भी चाइना के हाथ में है उसे हम भले ही दरनिगाह कर दें, उस का कोई महत्व न समझें, लेकिन अगर भारत को जिन्दा रहना है तो उसे हम को चीनियों से छीनना पड़ेगा । जो आदमी अक्साई चीन, इंडस वैली, नुबरा वैली, चुशूल प्लेटो आदि पर कब्जा रखेगा, चुशूल के ऊपर डेमचोक, चांग थंग एरिया, हाट स्प्रिंग्स वगैरह का जो हिस्सा है, उस हिस्से पर जिस का कब्जा होगा, उस की शान और उस की मर्यादा हर जगह बढ़ेगी । आज हम ने अपने अकसाई चीन और चांग थोङ्ग प्लेटो के कोने को छोड़ दिया है । छोड़ इस लिये नहीं दिया है कि हमारी छोड़ने की इच्छा है । मैं मानता हूं कि पंडित जी जैसा कोई नेता हमारे देश में नहीं है । दूसरा कोई नेता या दूसरे किसी दल का नेता ऐसा नहीं है जिसके नेतृत्व में भारत को इतना संगठित किया जा सके, या इतनी शक्ति देश में उपार्जित की जा सके । ब्रजराज सिंह जी चाहे जो कुछ कहें लेकिन उन के नेता में.....

श्री ब्रज राज सिंह, (फिरोजाबाद) : यह देश का दुर्भाग्य है ।

डा० राम सुभग सिंह : आज उन के नेता में भी इतनी ताकत नहीं है कि वह इतनी शक्ति देश में पैदा कर सकें ताकि हम उस हिस्से को वापस ले सकें। इस लिये हम आज शक्ति के उपयोग की दृष्टि से विचार करें, हम पंडित जी के नेतृत्व को इतना बुलन्द बनायें कि अपने देश को वापस लेने में सफल हो सकें। आज रंगा साहब भी जानते हैं कि किसी को क्विअरली कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। मैं रंगा साहब से भी कहूंगा कि जब तक वे हमारी पार्टी में थे, उस वक्त तक उन्होंने कुछ नहीं कहा।

श्री रंगा : (तेनाली) क्वश्चन।

डा० राम सुभग सिंह : क्वेश्चन क्या? जब वे हमारी पार्टी को छोड़ कर भाग गये तब बोलने लगे। लेकिन जहां तक लड़ कर मनवाने की बात है मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक एक आदमी देश की सुरक्षा के लिये कांग्रेस पार्टी से या पंडित जी से या किसी से भी मजबूती से बात करे। और मैं इस के लिये सरकार और अपने नेता को भी दाद देता हूं कि वह लोगों की बात को मानते हैं, नीति बदलते हैं। मैं चाहता हूं कि कायदे के अनुसार आज कृपालानी जी भी अपनी बात रक्खें, मजबूती से रक्खें। डांवाडोल स्थिति रखना ठीक नहीं होता। इस लिये आज सब जगह मजबूती की आवश्यकता है। भारत के भविष्य को सुखमय और सुन्दर बनाने के लिये आवश्यक है कि हम न केवल लद्दाख के बचे हुए हिस्से को ही पूरी तरह सुरक्षित बनायें बल्कि दूसरे हिस्से को भी कैप्चर करें, उस को अपने हाथ में लें।

जहां तक १७ या १८ हजार फिट तक फौजें भेजने की बात है, मैं कहना चाहता हूं कि १४ या १५ हजार फिट तक तो कोई भी आदमी जा सकता है। हां, १७ या १८ हजार फिट तक जाने के लिये हम को सेना को सुशिक्षित करने की जरूरत है। इस के बारे में हम को सोचना है। हिन्दुस्तान में मरने वालों और जान देने वाले इन्सानों का अभाव नहीं है, हिन्दुस्तान में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, इंजीनिअर्स और ओवरसिअर्स का अभाव नहीं है। दिल्ली में पटना या बम्बई के सड़कें बनाने के बजाय पटना या बम्बई में सब इंजीनियरों को लद्दाख भेजा जा सकता है। सेना के लिये चमड़े के यूनिफार्मस् को वहां भेजा जा सकता है और जितनी उन के लिये आवश्यकतायें हैं उन सब आवश्यकताओं को पूरी किया जा सकता है। १७ या १८ हजार फिट क्या, इस से भी ऊंची चोटी पर आज के वैज्ञानिक युग में आदमी या विमान भेजना असम्भव नहीं है। यह काम कठिन जरूर है लेकिन हमें कठिनाइयों को हल करना है और देश की सुरक्षा के लिये इन कठिनाइयों को तत्काल हल करने की जरूरत है। हमें उन को जरूर हल करना चाहिये नहीं तो आगे चलना कठिन हो जायेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि हमारे सेना के जवानों में ताकत है, लड़ने की शक्ति है और उन की इस शक्ति में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी अगर उन्हें ठीक से मौका मिले। इस लिये उन का हौसला बढ़ाने की जरूरत है। इस के लिये आवश्यक है कि हम ज्यादा से ज्यादा विमान खरीदें, हेलिकाप्टर खरीदें। चाहे कांगो में हो चाहे हमारे देश में, अगर हमारे सैनिकों पर आक्रमण किया जाता है तो हम को उन की रक्षा के लिये तैयार रहना चाहिये। मैं चाहूंगा कि हम नेफा में, लद्दाख में चीनी लोगों का मुकाबला करने के लिये अपने लोगों को तैयार करें। और आज जितनी शक्ति है उसकी दुगनी शक्ति वहां भेजें और दुगने रिसोरसेज वहां भेजें, और उन की सुरक्षा और सुख सुविधा के लिए हर चीज की व्यवस्था करें।

†**डा० सुशीला नायर** (झांसी) : चीन के आक्रमण का सारे देश पर प्रभाव है। प्रधान मंत्री जी ने अपने भाषणों में भी उसका उल्लेख किया है। उन के कथन को हमें गलत रूप में कभी नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में

लेना चाहिए। हमें स्वयं अपनी प्रतिरक्षा या सीमाओं के बारे में कोई सन्देह नहीं होना चाहिए। सरकार सावधान रहे कि उस की ओर से ऐसा कोई वक्तव्य न जारी किया जाय जिस का आशय तो अपनी जनता की आशंकाओं को दूर करना हो, परन्तु जिस का लाभ चीनियों द्वारा न उठाया जाये। हम ने उत्तर-पूर्वी सीमांत अभिकरण के क्षेत्र की प्रतिरक्षा के पर्याप्त प्रबन्ध किये हैं और यदि हम उत्तरी सीमा के सम्बन्ध में भी ऐसे ही प्रबन्ध करें तो चीनियों द्वारा अवैध घुसपैठ की और घटनाएं नहीं हो सकेंगी।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यह बात कि दूसरा पक्ष उस करार का, जिस के अनुसार कुछ क्षेत्र को "किसी का भी न" माना गया है, सम्मान कर रहा है, कोई कारण नहीं कि हम भी वैसा करें। वह क्षेत्र हमारा है और हमें उसकी प्रतिरक्षा करनी चाहिये। ऐसी अवस्था में जब पहाड़ों का काफी भाग चीनियों के कब्जे में हो, हम यह रुख नहीं अपना सकते कि उस क्षेत्र की प्रतिरक्षा का करना हमारे लिए कठिन है।

हमारे लिये सीमांतवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों की प्रतिरक्षा का करना आवश्यक है, हमें इस काम को युद्ध-स्थिति स्तरपर करना चाहिये तथा इस ओर अपना पूरा ध्यान केन्द्रित करना चाहिये। हमें लोगों के मन से भय को दूर करने तथा यह आश्वासन देने के लिये कि हम ने केवल चीनी अतिक्रमण का मुकाबला करेंगे अपितु इस अतिक्रमण के फलस्वरूप उन के द्वारा कब्जे में लिये गये क्षेत्र को मुक्त भी करायेंगे, कुछ ठोस पग उठाने चाहियें। लोगों के दिलों में चीन के आक्रमण का जो आतंक है उसे शीघ्र ही दूर किया जाना चाहिये। लोगों को यह आश्वासन मिलना चाहिये कि यदि चीन ने हमला किया तो हम उसके दांत खट्टे कर सकते हैं।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, यह खेद का विषय है कि देश की सुरक्षा के सम्बन्ध में जब सदन् में बहस चल रही हो तब प्रधान मंत्री महोदय यह उचित समझते हैं कि किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उन्हें पालम हवाई अड्डे पर जाना पड़ेगा और यह चीज माफ भी की जा सकती हो तो यह तो कदापि माफ ही नहीं किया जा सकता कि रक्षा मंत्री महोदय भी सदन् से उठ कर चले जाय और उन को भी इतनी फुरसत न हो कि वह भी सदन् में बैठ सकें . . .

अध्यक्ष महोदय : वह खाना खाने के लिए जा रहे हैं। डिप्टी मिनिस्टर साहब बैठे हुए नोट्स ले रहे हैं।

श्री ब्रजराज सिंह : अब यही तो शायद इस सरकार की कठिनाई है कि इसके मंत्री लोग खाने, सोने, नाच देखने और स्वागत-सत्कार आदि करने में ही ज्यादा व्यस्त रहते हैं। देश की सुरक्षा के लिए जो दृष्टिकोण उन्होंने इन पिछले दस वर्षों से अपनाया हुआ है वह बहुत ही खेदजनक है . . .

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : आखिर वह भी इंसान हैं।

श्री ब्रजराज सिंह : लेकिन देश उन्हें माफ नहीं कर सकता।

श्री त्यागी : (देहरादून) : नाच का कोई सवाल नहीं है।

श्री अजराज सिंह : इधर देश की भूमि पर रोज ब रोज कब्जा होता चला जा रहा है और इधर नाच होते हैं। इन पिछले १८ महीनों में लगातार भारत सरकार के मंत्रियों द्वारा चीन और हिन्दुस्तान के सम्बन्धों के बारे में और चीन द्वारा लद्दाख में जो घुसपैठ हुई उसके बारे में जो वक्तव्य दिये गये हैं वे किसी भी सभ्य सरकार के लिए शर्म की बात है।

अभी कुछ दिन पहले जब मैंने इस सदन् में एक काम रोको प्रस्ताव इस बारे में रखा था तब भी प्रधान मंत्री महोदय ने यह कहा था कि हमें सूचना मिली है कि सीमा पर चीनियों ने कुछ और चौकियां बनाई हैं।

मेरा निवेदन है कि २० नवम्बर को भी गलत सूचना सदन् के सम्मुख रखी जाती है। श्वेत पत्र यह जाहिर करता है, समाचार पत्र जिन्होंने कि संकट के समय हमारी बड़ी सेवा की है वह बतला रहे हैं कि यह चीनी घुसपैठ पिछले कुछ हफ्तों से नहीं बल्कि पिछले १८ महीने से लगातार चल रही है। उस चीनी घुसपैठ को हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट से छिपाया जाता है। यहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं, काम रोको प्रस्ताव आते हैं और विदेशी मामलों पर बहस होती है तो प्रधान मंत्री महोदय और सरकार के अन्य मंत्री लोग इस बात को छिपाते हैं कि चीन कोई घुसपैठ कर रहा है। इस के विरोध में इस देश के मंत्रीगण सारे मुल्क में घूम घूम कर और मकानों की छतों पर खड़े हो कर ऐलान करते हैं कि देश की एक एक इंच भूमि की रक्षा की जायगी और चीनियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जायगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस सरकार के दिमाग में एक इंच की परिभाषा क्या है। एक इंच कितना होता है ? क्या १,४०० वर्ग मील का एक इंच हो गया है, या २,००० वर्ग मील का एक इंच हो गया है ? और अगर एक इंच इतना बड़ा नहीं है, तो फिर कितना बड़ा है, यह बताया जाये। बार बार यह जानने की कोशिश की गई है कि आखिर सरकार की तरफ़ से इस बात का क्या अन्दाज़ लगाया गया है कि हमारी कितनी भूमि पर चीनियों ने नया कब्जा किया है, लेकिन आज तक यह नहीं बताया गया है कि हमारी कितनी और भूमि पर कब्जा किया गया है। इस अवस्था में, जब हमें इस बारे में कुछ पता नहीं लगता है, तो हम को, और इस देश की जनता को इस पर विश्वास करने पर विवश होना पड़ता है कि हमारे देश के १,४०० या २,००० वर्ग मील क्षेत्र पर चीन ने कब्जा कर रखा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय में सरकार की नीति में महान् कमजोरी रही है। हमारे मित्र, डा० राम सुभग सिंह, ने अभी कहा कि पंडित जी इस तरह के आदमी हैं, जो अपनी नीति को बदलने के लिए तैयार रहते हैं। मैं समझता हूं कि अगर यही बात होती, तो देश का इतना बड़ा दुर्भाग्य न होता। अगर उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार अपनी नीति बदली होती और अपनी गलतियों को सुधारा होता, तो एक दूसरा ही चित्र देश के सामने होता।

१९५० में चीन ने तिब्बत पर हमला किया। उस समय भी हम उस के विरुद्ध थे। तब हम ने कहा था कि तिब्बत शिशु की चीन दानव हत्या कर रहा है और हिन्दुस्तान की सरकार उस में शामिल हो रही है। किन्तु प्रधान मंत्री महोदय ने हमारी उस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आज भी मैं विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि प्रधान मंत्री महोदय अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को इतना ऊंचा उठा लेते हैं कि वह समझने लगते हैं कि अगर कोई विचार किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा प्रकट किया गया है, जिस का हिन्दुस्तान की राजनीति में दर्जा कुछ छोटा है, तो उस का कोई महत्व नहीं है। मैं समझता हूं कि ठीक दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि कोई बात कौन कह रहा है, इस से मतलब नहीं है, लेकिन अगर वह बात सच है, तो उस को स्वीकार किया जाय और उस के अनुसार अपनी नीति बदली जाये। अगर इस सरकार और प्रधान मंत्री का दृष्टिकोण यह होता, तो हिन्दुस्तान की वह हालत न होती, जो कि आज है।

माननीय सदस्य, डा० राम सुभग सिंह, ने कहा कि गोआ के मामले में हम कार्यवाही करेंगे। अगर सरकार वहां पर कार्यवाही करे, तो मुझे खुशी होगी और सारा देश उस का स्वागत करेगा। लेकिन प्रश्न यह है कि चीन के बारे में क्या कार्यवाही की जायेगी।

श्री त्यागी : उस का ज़िक्र हम इस लिए नहीं करना चाहते कि दूसरे लोग तैयारी कर लेते हैं।

श्री ब्रजराज सिंह : हम जानते हैं, लेकिन सम्भवतः सत्तारूढ़ दल के लोगों की ओर से इस का ज़िक्र होता है उन उद्देश्यों की वजह से, जिन का सम्बन्ध निकट भविष्य में होने वाली बातों से है। लेकिन हम उस का ज़िक्र नहीं करना चाहते। हम तो यह चाहते हैं कि देश की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाना आवश्यक हो, वह उठाया जाना चाहिए और हम उस का विरोध नहीं करेंगे, बल्कि हम उस का स्वागत करेंगे। गोआ के बारे में उठाये जाने वाले छोटे से कदम से हम चीन के सम्बन्ध में उठाये जाने वाले उस बड़े कदम को भुला नहीं सकते हैं, जिस की आवश्यकता है देश की सुरक्षा के लिए, देश के जन-जन में यह विश्वास पैदा करने के लिए कि सरकार हिन्दुस्तान की रक्षा करेगी।

श्री त्यागी : ज़रूर करेगी।

श्री ब्रजराज सिंह : आज देश में इस तरह की भावना पैदा हो रही है कि यह सरकार देश की सुरक्षा बनाये रखने की गारण्टी नहीं दे सकती है। मुझे यह खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज देश में हम में यह ताकत नहीं है कि हम इस सरकार को हटा कर कोई दूसरी सरकार बना सकें, जो कि देश की सुरक्षा कर सके। इस विषम परिस्थिति में कि यह सरकार देश की सुरक्षा करने में असमर्थ है और देश में कोई दूसरी ऐसी शक्ति नहीं है, जो कि सरकार की बागडोर अपने हाथ में ले कर इस देश का शासन चलाये, इस सरकार पर और भी ज़िम्मेदारी आ जाती है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारें बदलती रहती हैं और प्रधान मंत्री आते जाते हैं, लेकिन एक बार की गई हुई आजादी आसानी से नहीं मिल सकती है। हमने अपने इतिहास में देखा है कि जब हम गुलाम हुये, तो आजादी प्राप्त करने के लिये हजारों साल लग गये और लाखों करोड़ों लोगों को कुरबानी देनी पड़ी। इस लिये यह आवश्यक है कि प्रधान मंत्री और इस सरकार को अपने घर को व्यवस्थित, **इन आर्डर**, करना चाहिये और मंत्रियों को देखना चाहिये कि वे क्या कह रहे हैं, मंत्रियों को चाहे कुछ भी कहने से रोकना चाहिये और इस मसले पर एक आवाज से बोलना चाहिये। हम देखते हैं कि एक मंत्री कहता है कि हम को पाकिस्तान से खतरा हो सकता है, चीन से नहीं। क्या प्रधान मंत्री महोदय इन मंत्रियों के लिये कोई कक्षा, क्लास नहीं खोल सकते और उन्हें यह नहीं बता सकते कि हिन्दुस्तान की चीन और पाकिस्तान के सम्बन्ध में स्थिति क्या है ?

इस बारे में मुझे तो यह लगता है कि हमारे मंत्री बहुत आराम तलब हो गये हैं और वे यह भी नहीं जानते कि हमारे यहां क्या हो रहा है। सुरक्षा मंत्री महोदय कहते हैं कि मुझे तो समाचार-पत्रों से ही मालूम हो रहा है कि चीन ने हमारे देश में घुस-पैठ की है। इस देश के लिये इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है कि हमारे प्रदेश पर चीन ने कब्जा कर लिया और सुरक्षा मंत्री को उस के बारे में कोई ज्ञान नहीं है ?

श्री त्यागी : किसी सवाल को एवायड करने के लिये इस किस्म के जवाब दे दिये जाते हैं। इस का मतलब यह नहीं कि उन को स्थिति का पता नहीं है और वह कुछ जानते नहीं हैं।

श्री अ० मु० तारिक (जम्मू कश्मीर) : वह सब कुछ जानते हैं। यह डिप्लोमेसी है।

श्री ब्रजराज सिंह : क्या यह डिप्लोमेसी है कि इस घोषणा के बावजूद कि एक इंच भूमि पर भी किसी का अधिकार नहीं होने दिया जायेगा, चीनियों की लगातार घुस-पैठ हो रही है और इस विषय में कुछ नहीं किया जाता है ? जब से चीन से हमारे सम्बन्ध बिगड़े हैं, जब से उसने हमारे देश में घुस-पैठ शुरू की है, हमारे आदमियों को पकड़ा है, मारा है, कैद रखा है, तब से क्या किसी चीनी को, मारना तो दूर रहा, पकड़ कर हिन्दुस्तान की सरकार इधर ला सकी है ?

श्री अ० मु० तारिक : हम ने उनको बाहर निकाल दिया है।

श्री ब्रजराज सिंह : मैं यह कहना चाहता हू कि इस तरह की मजाक की बातों से हिन्दुस्तान की सुरक्षा की गारण्टी नहीं हो सकती है। इस तरह हल्केपन से हिन्दुस्तान की आजादी को कायम नहीं रखा जा सकता है। हम इस बात पर गर्व नहीं करते हैं कि हम आजादी की गारण्टी करेंगे, लेकिन हम अपने छोटे तरीके से कहेंगे कि अगर हिन्दुस्तान की सुरक्षा के लिये खतरा होगा, तो हम बिना किसी भेद-भाव के अपने बदन के खून की अखिरी बूंद को बहाने के लिये तैयार रहेंगे, लेकिन अपने देश की सुरक्षा करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या उन लोगों को तरफ से कोई कार्यवाही की जा रही है, जिन पर इस देश की जनता ने यह जिम्मेदारी डाल रखी है। इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

डा० राम सुभग सिंह ने कहा कि प्रधान मंत्री महोदय अपनी नीतियों में परिवर्तन करने के लिये तैयार हैं, तैयार हो सकते हैं, तैयार रहते हैं। मैं उन से कुछ विशिष्ट प्रश्न, कुछ साफ सवाल पूछना चाहता हूं।

क्या प्रधान मंत्री महोदय यह घोषणा करने के लिये तैयार हैं कि जब तिब्बत की आजादी का हनन हुआ, तब हिन्दुस्तान की सरकार का दृष्टिकोण गलत था और अब वह तिब्बत को एक आजाद मुल्क के रूप में देखना चाहते हैं और अब वह ऐसे किसी काम का समर्थन नहीं करेंगे, जिस में तिब्बत को **टिबेटन रिजन आफ चाइना** कहा जा सके ?

चूंकि चीन की तरफ से इसतरह की कार्यवाहियां की जा रही हैं कि हमारे पड़ोसी मित्र राष्ट्र, नेपाल और बर्मा आदि, उसकी तरफ अधिक झुकते जा रहे हैं, तो क्या प्रधान मंत्री महोदय इस तरह की कार्यवाही करने के लिये तयार हैं कि ये देश हिन्दुस्तान की तरफ अधिक झुकें ?

क्या प्रधान मंत्री महोदय इस बात के लिये तैयार हैं कि चीन ने जो नई चौकियां स्थापित की हैं इस बीच में,--- कुछ लोग इस अवधि को कुछ हफ्ते बताते हैं, समाचार पत्र बारह, अठारह महीने कहते हैं और विरोधी पत्र कुछ और बताते हैं--- उनको ताकत के बल पर नष्ट कर दिया जायेगा ? यह कोई लड़ाई नहीं है। अगर कोई बाहर का आदमी, कोई विदेशी हमारी बैठक में आ कर बैठ जाता है---हम किसी के घर में नहीं जा रहे हैं---और उस समझौते के बाद ऐसा करता है कि **स्टेट्स को** मेनटेन किया जायेगा, यथा-स्थिति रखी जायेगी, तो क्या प्रधान मंत्री की तरफ से यह आश्वासन मिल सकता है कि नई चौकियों को डिमालिश कर दिया जायेगा, उनको नष्ट कर दिया जायेगा और चीनियों को वहां से हटा दिया जायेगा ?

श्री त्यागी : जरूर कर दिया जायेगा।

श्री ब्रजराज सिंह : यह बात हमारे मित्र, त्यागी जी, कह रहे हैं। मुझे खुशी होती कि वह हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री की जगह पर बैठे होते। लेकिन यह उनका अपना झगड़ा है। मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री महोदय के अपने मुंह से ये शब्द निकलें।

मैं उनको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि देश का एक एक नागरिक बिना किसी राजनैतिक भेद-भाव के उन के साथ होगा, उन लोगों को छोड़ कर, जिनकी देश भक्ति के बारे में किसी को शक हो। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधान मंत्री महोदय यह बात कहने के लिये तैयार नहीं हैं। इस तरह के वक्तव्य दिये जाते हैं कि चीन बड़ा मुल्क है। कौन कहता है कि वह बड़ा नहीं है? लेकिन क्या हिन्दुस्तान कोई छोटा मुल्क है? हमारा इतिहास यह बताता है कि हमने कभी भी किसी मुल्क की जमीन पर कब्जा करने के लिये लड़ाई नहीं लड़ी है। हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि हम कभी भी वार-मांगर नहीं रहे हैं। लेकिन जब अपने घर पर आ बनी हो जब कोई हमको मारता हो, हमको अपने घर में न रहने देता हो, तो फिर भी क्या हम अपनी रक्षा के लिये शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे? यह किस ने हमको सिखाया है? राष्ट्रपिता ने हम को यह नहीं सिखाया कि अगर हम पर कोई हमला करेगा, तो भी हम शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे।

क्या प्रधान मंत्री महोदय इस बात के लिये तैयार हैं कि तिब्बत के आत्म निर्णय के अधिकार को स्वीकार किया जायगा और यदि तिब्बत के आत्म-निर्णय के अधिकार को चीन नहीं मानता है, तिब्बत की आजादी को पुनः बहाल नहीं किया जाता है, तो फिर हमारी और चीन की सीमा-रेखा वह नहीं रहेगी, जिसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। जब तिब्बत की आजादी का हनन हो चुका है, जब हिन्दुस्तान और चीन के बीच में तिब्बत एक बफर-स्टेट, एक दीवार की तरह नहीं रहा है, जब चीन हमारे दरवाजे पर आ गया है, तब हिन्दुस्तान और चीन की सीमा रेखा हिन्दुस्तान के भूगोल के मुताबिक, उसके इतिहास के मुताबिक, उसके धर्मशास्त्रों के मुताबिक तथा परिस्थितियों को देखते हुये वह बनती है जहां से ब्रह्मपुत्र का उद्गम है, जहां से ब्रह्मपुत्र जन्म लेकर चलना शुरू करता है और पूर्व तक बहता रहता है। इसके साथ साथ ही भारत चीन की सीमा रेखा है। यह उस सूरत में है जब कि तिब्बत की आजादी का हनन हो चुका है। इस सूरत में इसके सिवा कोई दूसरी सीमा रेखा हो ही नहीं सकती है। तिब्बत की आजादी का चीन द्वारा हनन हो चुकने के बाद जहां से ब्रह्मपुत्र शुरू होता है और जहां तक पूर्व की ओर बहता है, वही सीमा रेखा हो सकती है। यह मैं उत्तरी सीमा के सम्बन्ध में कह रहा हूं। यह मैं उस सीमा रेखा के बारे में कह रहा हूं जिस को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। जहां तक लद्दाख का प्रश्न है, वहां मैकमोहन रेखाही नहीं है। वहां पर तो परम्परागत सीमा रेखा है। तिब्बत की आजादी का हनन हो चुकने के बाद, तथा तिब्बत को आजाद करने के लिये चूंकि चीन तैयार नहीं हैं और दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो तिब्बत की आजादी उसको दुबारा दिला सके, वही सीमा रेखा बनती है जहां से ब्रह्मपुत्र चलना शुरू करता है, जिसको कि सांगपो कहते हैं और पूर्व की ओर बहता जाता है। क्या भारत के प्रधान मंत्री इस बात को कहने के लिये तैयार हैं? हमारा इतिहास साक्षी है और इतिहास ही नहीं बल्कि दस साल पहले का हमारा अपना ही रिकार्ड इस बात का साक्षी है कि मंसर गांव, जो मैकमोहन रेखा से ७० मील ऊपर पड़ता है, से हमारे अपने ही एक अधिकारी सरदार राम सिंह ने सन् १९५० में २५० रुपये बतौर मालगुजारी के वसूल किये थे। इस बात को हिन्दुस्तान की सरकार खुद मानती है। जब १९५० में मंसर गांव हमारे पास था तो आज क्या हो जाता है कि हम मैकमोहन रेखा की बात करते हैं? और यह बात भी उस सूरत में करते हैं जब कि तिब्बत की आजादी का हनन हो चुका है। ऐसी हालत में हम मैकमोहन रेखा को मानने के लिये तैयार नहीं हैं।

मैं पूछना चाहता हूं कि इन सब प्रश्नों पर आखिर हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री क्या कहना चाहते है? क्या वह इस तरह से अपनी नीति बदलने के लिये तैयार हैं या नहीं हैं? मैं इस बात को उचित नहीं समझता हूं कि चीन से हम अपने राजनैतिक सम्बन्ध विच्छेद कर दें। कोई माननीय सदस्य ऐसा सोच सकते हैं मगर मैं नहीं चाहता कि चीन से हम अपने डिपलोमैटिक रिलेशंज तोड़ लें। लेकिन मैं यह जरूर

चाहता हूं कि बार बार चीन के प्रश्न को लेकर हम यू एन० में वकालत न करें कि उसको उस संगठन का सदस्य होना ही चाहिये। हां जब चीन से उस को उस संगठन का सदस्य बनाने की बात आती है तो हम उसका समर्थन कर सकते हैं। लेकिन हम वकालत उसकी करते जायें और उस सूरत में करते जायें जब कि वह बार बार हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करता जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि यह कोई सही नीति नहीं है। इससे यह समझा जा सकता है कि हमारी कमजोरी है। यह समझा जा सकता है कि उसकी फ्लैट्री करने के लिये, उसकी गुलामी करने के लिये हम ऐसी बातें कह रहे हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत की चीन सम्बन्धी नीति में स्पष्ट रूप से परिवर्तन की जरूरत है। देश की जनता के दिमाग में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिये अच्छा रहा होता अगर सरकार ने इस्तीफा दे दिया होता। मैं जानता हूं कि इसके बाद भी कोई दूसरा दल आज हिन्दुस्तान की बागडोर सम्भाल सकने में समर्थ नहीं है लेकिन फिर भी हिन्दुस्तान के प्रधान मन्त्री और हिन्दुस्तान के मन्त्रिमण्डल से मैं कहना चाहता हूं कि क्योंकि आप इस नीति में असफल रहे हैं, देश की जनता को जगाना, देश की जनता को हिलाना, आपका काम है और बिना आपके कोई हिला नहीं सकता है, बिना आपके कोई जगा नहीं सकता है, क्योंकि आप शासक दल हैं, आप इस्तीफा दे देते और फिर से जनता का विश्वास प्राप्त करते। आपकी तरफ से कहा जा सकता है कि ऐसी बातें कहते वक्त हम बहुत ही कम गम्भीरता से, बहुत ही हल्केपन से इस चीज को लेते हैं और ढाई महीने बाद यह प्रश्न आ रहा है और देश की जनता इसको तय कर लेगी। मैं मानता हूं कि ढाई महीने बाद यह प्रश्न आ सकता है लेकिन उस समय यह मूल्य मसला नहीं होगा। आपको कहना यह चाहिये कि क्योंकि हम असफल रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश की जनता का समर्थन प्राप्त करें, और अधिक शक्ति प्राप्त करें, इसलिये इस्तीफा दे रहे हैं। अगर आप ऐसा करते तो भी आप ही दुबारा यहां आते क्योंकि कोई दूसरी शक्ति नहीं है जो यहां आकर बैठ सकती थी। लेकिन इतनी ईमानदारी की हिन्दुस्तान के मन्त्रियों से आशा नहीं की जा सकती। अगर आशा होती तो वे हिन्दुस्तान की जनता को जगाते। आपको चाहिये था कि आप जनता में यह भावना भरते कि चीन ने जो हमला किया हुआ है, हमारी भूमि पर कब्जा किया हुआ है, उस कब्जे को हटाने के लिये वह कुर्बानी दे। अगर यह भावना नहीं भरी है तो इस के लिये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हिन्दुस्तान की सरकार की है जिसने इस भावना को जाग्रत नहीं होने दिया है, इस भावना को लोगों तक पहुंचने नहीं दिया है, जिसने तथ्यों को, रहस्यों को, सही बातों को जनता से छिपाया है।

अगर आप समझते हैं कि आज जिस भूमि पर चीन ने कब्जा कर लिया है वहां से उसको नहीं हटा सकते हैं और उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, तो क्या आप यहां पर यह आश्वासन दे सकते हैं और गम्भीरतापूर्वक दे सकते हैं कि इसके आगे एक इंच भूमि भी चीन के कब्जे में नहीं जाने दी जाएगी ? अगर इस आश्वासन को भी आप नहीं दे सकते हैं तो मैं कहूंगा इतिहास में आपका नाम तो रहेगा, नाम तो रहा है अकबर और औरंगजेब दोनों का लेकिन विभिन्न तरीकों से रहा है, लेकिन भिन्न तरीके से रहेगा, ऐसे तरीके से रहेगा जिससे हिन्दुस्तान की आने वाली पीढ़ियां आप को कुछ अच्छे तरीके से नहीं, प्रसन्नतापूर्वक नहीं, बड़े खेद के साथ याद करेंगी। मैं चाहता हूं कि आप इतिहास की धारा को बदलें, देश की सुरक्षा की गारंटी दें।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता केन्द्रीय): मैं निष्पक्ष भाव से इस विवाद को सुनता रहा हूं। मेरा मत यह है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर हम उस गम्भीरता से चर्चा नहीं कर रहे जितनी कि इस विषय के लिए अपेक्षित है। यह खेद की बात है कि कुछ लोग स्थिति का अनुचित लाभ उठा कर हमारी शान्ति और तटस्थता की नीति पर विपरीत प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे हैं। जो नीति हमारे हितों के लिये बहुत लाभप्रद सिद्ध हुई है तथा जिससे विश्व में हमें बहुत उच्च स्थान प्राप्त होता है।

भारत की विदेश नीति के विरुद्ध एक आन्दोलन सा चला रहा है---यह आन्दोलन अमरीका और अन्य देशों में चल रहा है और इसका उद्देश्य आने वाले चुनावों में दायें पक्ष की ओर झुकाव को पैदा करना है। कुछ हुई घटनाओं के सम्बन्ध में हम रोष और उत्तेजना में सहभागी हैं, फिर भी हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि भारत व चीन के बीच जो झगड़ा है, उस जैसे मामलों को बहुत गम्भीर प्रकार की घटनाओं के होने पर भी शान्तिमय तथा समझौते की वार्ता द्वारा निपटाया जाना चाहिये।

प्रधान मन्त्री ने सभा के सामने जो तथ्य आदि रखे हैं, उनसे यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि जहां हमें सीमाओं के बारे में अनुतोषणा से काम नहीं लेना चाहिये, वहां आतंक की भी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रधान मन्त्री ने हमें बताया है कि सैनिक तथा अन्य प्रकार के कदम उठाए गए हैं ताकि उत्तर-पूर्वी सीमा पर स्थिति का कुछ न कुछ स्थिर किया जाय तथा लद्दाख क्षेत्र में सामरिक महत्व की सड़कों को फिर से बनाने की ओर अधिक जोर दिया गया है। अफ्रीका-एशियाई एकता के विचार को सामने रखते हुए हम प्रधान मन्त्री के वक्तव्य का समर्थन करते हैं। अन्यथा हम अपनी तटस्थता की नीति को त्याग देते।

देश की स्वतन्त्रता की रक्षा करने में अपने सुदृढ़ निश्चय में ढील की अनुमति देने का कोई सवाल नहीं उठता है। परन्तु उकसान पर भी, झगड़े को शान्तिपूर्ण ढंग से निपटाने का यत्न करना चाहिए। यह बात मैं बार बार कहने को तत्पर हूं कि हमारे देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं और जो विदेश नीति हमने आज तक अपनाई उस पर हमें अडिग रहना चाहिये।

†**आचार्य कृपालानी :** भारत सरकार की प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति की आलोचना करते समय मुझे प्रसन्नता नहीं है। मेरा ख्याल है कि प्रतिरक्षा नीति तो सभी दलों की एक समान होनी चाहिये।

हमारे प्रधान मन्त्री की भाषा इतनी प्रांजल होती है कि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना कठिन हो जाता है। वह मसलों को गड़बड़ा देते हैं। उन्होंने कहा है कि युद्ध करना सभ्यता का बर्ताव नहीं है। परन्तु कांगो में हम युद्ध के जरिये ही समस्या हल करने की सोच रहे हैं।

श्री अशोक मेहता ने बताया है कि लौंगजू पहले हमारे राज्य-क्षेत्र में शामिल था। आज पता नहीं वह हमारी सीमा में है या नहीं। यदि उसे खाली कर दिया गया है, तो हम उस पर अधिकार करने का साहस नहीं कर पा रहे हैं।

चीनी अधिकारियों से मिलना शिष्टाचार बताया जाता है। समझ में नहीं आता कि यदि उनसे वार्ता नहीं करनी है तो फिर मिलते क्यों हैं।

हमारी सीमा का विमानों द्वारा बार-बार अतिक्रमण हो रहा है, परन्तु हमने उस पर भी कोई हाथ-पैर नहीं हिलाये।

१९५० में हमने तिब्बत को चीन के अधिकार में चला जाने दिया। पंचशील की कपाल-क्रिया उसी समय हो गई थी। हमने तिब्बत के पक्ष में भी कुछ नहीं किया।

हमने जब सभा में चीनी आक्रमण का प्रश्न उठाया तो प्रतिरक्षा मन्त्री ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने आक्रमण की परिभाषा नहीं की है बड़ी विचित्र सी दलील है।

---

†मूल अंग्रेजी में

जब हमने तिब्बत में चीनियों के अमानुषिक कृत्यों का हवाला दिया, तो हमें बताया गया कि चीन ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवीय अधिकार के चार्टर को नहीं माना है इसलिये कुछ नहीं किया जा सकता ?

फिर हमसे कहा गया कि हमारे प्रशासकीय क्षेत्र की एक इंच भूमि भी चीन के अधिकार में नहीं जाने दी जायेगी। यदि किसी क्षेत्र पर प्रशासन न हो, तो क्या विदेशी शक्तियों को उसे दबा लेने दिया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्री ने अमरीका में कहा है कि चीन से सक्रिय वैर नहीं है। हमारी सीमा दबा लेने पर भी, ऐसे वक्तव्य दिये जाते हैं।

हमारी सीमा के अतिक्रमणों की भी प्रतिरक्षा मन्त्री को जानकारी नहीं रहती, इस पर कौन विश्वास करेगा ? फिर भी प्रधान मन्त्री कहते हैं कि प्रतिरक्षा मन्त्री उनके विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इसका नतीजा यह है कि हमारे शत्रु इसका लाभ उठाते हैं।

हिमालय के उस क्षेत्र में हमारे समाचार पत्रों के प्रतिनिधि या सम्वाददाता नहीं रहते। उनको वहां जाने की इजाजत भी नहीं है। इसलिये इस अतिक्रमण की सूचना सरकार के कुछ देश भक्त अधिकारियों ने ही देश को दी है।

सीमा पर तैनात हमारी सेना को सख्त हिदायत है कि चीन जो भी चाहे करे, तुम बिल्कुल कुछ मत करो।

इसका पता केवल इसी बात से चला कि चीनियों ने हमारी सेना पर आक्रमण किया और सैनिकों को अपनी आत्म रक्षा में गोलियां चलानी पड़ीं। सेना को कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा।

चीन के आक्रमण के प्रति हमारी जनता में जो रोष पैदा हुआ है, हमारी सरकार उसे संगठित रूप नहीं देना चाहती। उसका नतीजा है कि हमारी जनता में पस्त हिम्मती बढ़ने लगी है।

हम जब भी कुछ करने को कहते हैं, हमें युद्ध के हिमायती कह दिया जाता है। हमारे स्वयं सेवक जब गोआ में सत्याग्रह के लिये जाने लगते हैं तो भारत सरकार उनको रोकती है उन पर लाठियां बरसाती है। आज हमारे कम्युनिस्ट मित्र गोआ का सवाल फिर से इसलिये उठा रहे हैं कि जनता का ध्यान चीन की ओर से हट कर गोआ पर लगे।

हमें दुःसाहसी कहा जाता है, लेकिन क्या देश की रक्षा करना दुःसाहसीपन है ?

१९५२ में हमने ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध ऐसा ही दुःसाहस तो किया था। गांधीजी ने घोषणा कर दी थी 'अंग्रेजो भारत छोड़ो' उस समय कांग्रेस कार्यसमिति ने भी तो दुःसाहस ही किया था।

परन्तु अब चीन के आक्रमण की बात हमें दो साल बाद बताई जाती है। देश के नेताओं ने जनता की आशाओं पर पानी फेर दिया है। यह तब, जबकि हमारे देश की परम्परायें राणा प्रताप और शिवाजी की हैं। भारत की जनता आज भी चीन की चालबाजी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिये तैयार है।

पर हमारे नेता यही कहते जाते हैं कि परिस्थिति संकटपूर्ण नहीं है, कोई बड़ा खतरा नहीं है।

यदि हम चीनी आक्रमण के प्रति अभी भी सतर्क नहीं होंगे तो हमारा भविष्य निश्चय ही अंधकारपूर्ण होगा।

†श्री रंगा: प्रधान मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्री के आश्वासनों के बावजूद, हिमालय-क्षेत्र की प्रतिरक्षा को संतोषप्रद रूप से सुदृढ़ नहीं किया गया है। यदि देश के नेता इस के मामले में गम्भीर होते, तो वे देश के युवकों का आह्वान करते सैनिक बनने के लिये। प्रतिरक्षा मंत्री ने अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं किया है।

मैं तिब्बत पर चीन के आक्रमण के समय कांग्रेस में ही था। मैं ने तब भी प्रधान मंत्री की आलोचना की थी कि उन्हों ने तिब्बत को बचाने का किंचित भी प्रयास नहीं किया। मैं ने उस समय भी तिब्बत पर चीन की सम्पूर्ण प्रभुता के बार-बार उल्लेख पर आपत्ति की थी। उस पर प्रधान मंत्री ने कहा था कि चीन की सम्पूर्ण प्रभुता के उल्लेख से प्रोफेसर रंगा बड़े अप्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। इस के पश्चात, उन्हों ने चीन के अनुचित दावे का औचित्य सिद्ध करने की कोशिश की थी।

इंगलैंड की जनता भी एक समय अपने प्रधान मंत्री ईडन पर इतना ही विश्वास करती थी, लेकिन वह विश्वास डगमगाते ही ईडन को अपदस्थ कर दिया गया था। दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता ने अभी तक अपना नेतृत्व नहीं बदला है।

श्री ही० ना० मुकर्जी कहते हैं कि उन की समझ में नहीं आता कि चीन यह सब हरकतें क्यों कर रहा है। उन्हों ने उन हरकतों पर क्षोभ तो प्रकट किया है।

रूस की भांति, अब चीन भी संसार की एक बड़ी शक्ति बनने की कोशिश में है।

हमारा मुख्य अपराध तो यह है कि हम ने तिब्बत की आजादी के लिये संघर्ष को सहारा नहीं दिया।

ब्रिटिश शासकों ने भारत की रक्षा के लिये तिब्बत की स्वतंत्रता के महत्व को समझा था। इसीलिये उन्हों ने तिब्बत में अपने आदमी रख छोड़े थे।

चीन को तिब्बत में घुस बैठने की इजाजत देना, उसे भारतीय सीमा पर चढ़ बैठने के लिये बुलावा देने के समान था। इस का पूरा दायित्व प्रधान मंत्री पर है।

हम हिमालय-क्षेत्रों में तैनात अपनी सेनाओं को भी विशेष सुविधायें नहीं दे रहे हैं।

तब हम कैसे आशा कर सकते हैं कि वे बहादुरी से अपना कर्त्तव्य पूरा करेंगी ?

चीन के लिये भारतीय सीमा तक पहुंचना आसान है। इसीलिये हमें अपनी सीमा की सुरक्षा को विशेष रूप से सुदृढ़ बनाना चाहिये।

प्रधान मंत्री ने यह तो बताया है कि इस के लिये एक प्रतिरक्षा उपसमिति बनाई गई है और उस की सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है, परन्तु यह नहीं बताया कि उस में कितनी सफलता मिली है।

हमारी सेना को वहां उस क्षेत्र में संचार की सुविधायें नहीं हैं। इस प्रकार प्रतिरक्षा की उपेक्षा की जा रही है।

प्रतिरक्षा का यह हाल है कि चीनियों ने लौंगजू को खाली कर दिया है, फिर भी हम ने उस पर अधिकार नहीं किया।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीन के प्रधान मंत्री भारत आये थे। परन्तु हमारे प्रधान मंत्री ने सीमा के निर्धारण का प्रश्न ही नहीं उठाया। उन्हों ने कहा तक नहीं कि चीन की सेनाओं ने आक्रमण किया है। बाद जब उसे आक्रमण कहा गया, तो चीन के प्रधान मंत्री ने उस पर आपत्ति की। फिर उन को भारत आने की दावत दी क्यों गई थी ?

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अब भारत-चीन संधि की अवधि समाप्त हो रही है। दोनों देशों में से कोई भी उस के नवीकरण के लिये इच्छुक नहीं है। आशा है कि कांग्रेस-दल के लोग अब अपने नेताओं को बदलने की कोशिश करेंगे।

मैं चाहता हूं कि भारत अब चीन से अपने राजनयिक सम्बन्ध तोड़ दे। तभी हम चीन को बता सकेंगे कि वह मन माने ढंग से नेपाल, भूटान, सिक्किम, लद्दाख और नेफा की सीमाओं पर अनुचित दावे नहीं कर सकता।

दूसरी चीज यह कि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को स्थान दिलाने का अपना प्रयास बन्द कर देना चाहिये।

तीसरी चीज यह है कि हमें तिब्बत सम्बन्धी अपनी नीति पर पुनः विचार करना चाहिये। हमें तिब्बत की स्वतंत्रता के पक्ष का समर्थन करना चाहिये।

†**श्री जोक्वीम आल्वा** (कनारा) : मैं सब से पहले अपनी प्रतिरक्षा सेनाओं और पेकिंग दूतावास में काम करने वाले व्यक्तियों की सराहना करना चाहती हूं। वे एक बड़ा दुष्कर कार्य सम्पन्न कर रहे हैं।

हमें उन पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात अपने सैनिकों की असुविधाओं की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। उन के लिये जितनी भी राशि आवश्यक हो, सहर्ष जुटानी चाहिये।

अब चीन ४० वर्ष पहले का अफीमचियों का देश नहीं रह गया है। आज वह आक्रामक बन गया है। उस ने हमारे साथ अपनी दो हजार वर्ष पुरानी मैत्री को भी धता बता दी है।

आज चीन सुसंगठित है और उस की अर्थ-व्यवस्था सुनियोजित है। यह एक चेतावनी है हमारे लिये कि हमें अपनी सीमाओं की रक्षा के लिये तैयार हो जाना चाहिये।

पाकिस्तान भी हमारी सीमा पर घात प्रतिघात कर रहा है। उस ने आसाम में एक बड़ी तादाद में मुस्लिम बसा दिये हैं।

गोआ की समस्या भी अभी बनी हुई है।

पिछले वाद-विवाद में, मैंने ही सभा का ध्यान चीन के विमानों द्वारा किये जाने वाले सीमा-अतिक्रमणों की ओर आकर्षित किया था। तीन साल पहले मैंने ही सभा को बताया था कि पाकिस्तान का विमान बल एशिया में अब से अधिक सुदृढ़ हो गया है। इतनी विशाल सीमा होने के कारण, हमें अत्यधिक सावधान रहना चाहिये।

आज के युग में विमान शक्ति द्वारा कहीं भी आक्रमण किया जा सकता है। चीन ने कहा है कि हमारी सीमा पर उड़ने वाले वे पांच विमान चीनी नहीं थे। आज के युग में इसे कौन स्वीकार करेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

उल्लेख किया गया है कि चीन की पांच ऊंगलियां हैं : नेपाल, भूटान, सिक्किम लद्दाख और नेफा। वे हमारे हैं। हम उन को इतनी आसानी से चीन के लिये कैसे छोड़ सकते हैं। यदि उन की अपेक्षा की जायेगी तो हमारी सीमा की प्रतिरक्षा बहुत कमजोर पड़ जायेगी।

अब हमें प्रतिरक्षा की दृष्टि से कश्मीर की स्थिति सुदृढ़ बनानी चाहिये।

चीनी आक्रमण के विरुद्ध किसी भी एशियाई देश ने ऊंगली तक नहीं उठाई है। उन को शायद चीन से भय लगता है। चीन का रेडियो हमारे देश के विरुद्ध दिन-रात विष-वमन करता रहता है, पर हमारी 'आकाशवाणी' चुप रहती है।

चीन अपना प्रभाव अफ्रीका में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन की महत्वाकांक्षा से हमारे देश की सुरक्षा के लिये एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है।

हमें चाहिये कि विश्वविद्यालयों में चीनी भाषा पढ़ाई जाये। हमें चीन का अध्ययन करने के लिये अपने युवकों को उत्साहित करना चाहिये। तभी चीन सम्बन्धी विषयों के विशेषज्ञ हमारे यहां तैयार किये जा सकेंगे। जब शत्रु को पता चलेगा कि हम उस की भाषा समझते हैं, तो वह पस्त हिम्मत हो जायेगा। हमें केवल हथियारों से ही नहीं, संस्कृति और भाषा के मोर्चों पर भी लोहा लेना चाहिये।

सोवियत यूनियन में कई भारतीय भाषायें पढ़ाई जाती हैं। हमें भी सांस्कृतिक मोर्चे को उचित महत्व देना चाहिये।

आचार्य कृपालानी और श्री रंगा ने प्रधान मंत्री की बड़ी आलोचना की है। प्रधान मंत्री शान्ति के दूत हैं। हम सभी शान्ति-प्रिय हैं। परन्तु हम युद्ध की भाषा भी बोल सकते हैं। प्रधान मंत्री की क्षमताओं का दूसरा कोई व्यक्ति देश में नहीं है। वह निर्भय हैं। निर्भय व्यक्ति को पराजित करना कठिन होता है। गांधीजी ने हमें यही सिखाया है।

यदि हम शत्रुओं से भय रखने लगे, तो हमारा भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। इसलिये विरोधी दल के इन सदस्यों को प्रधान मंत्री के इस महान गुण का महत्व समझ लेना चाहिये। हम निर्भय हो कर ही, हर विपत्ति का सामना करने के लिये तैयार हो सकते हैं।

†**श्रीमती रेणुका राय** (मालदा) : चीनियों द्वारा भारतीय राज्य-क्षेत्र के अतिक्रमण की हाल की घटनाओं से देश के प्रत्येक व्यक्ति को चिन्ता हो गई है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि इस के बावजूद कि कुछ लोगों ने चीन के साथ शान्तिपूर्ण वार्ता करने का सुझाव दिया है, ऐसा करना संभव नहीं है।

सरकार सावधान रही है और स्थिति का सामना न करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। आशा है कि सरकार इस बात के लिये कदम उठायेगी कि हमारे लोग जो पहाड़ों में रह सकते हैं, सीमा के निकट जा बसें।

यह धारणा गलत है कि चीन द्वारा जो अतिक्रमण किये गये उन के बारे में हल्ला चुनाव प्रचार के लिये किया जा रहा है। यह आरोप श्री मुकर्जी ने लगाया है। उन्होंने संयम रखने की बात भी की है। जब राष्ट्र पर संकट आया हो तो संयम से काम लेने का तर्क विचित्र मालूम होता है। तटस्थता का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी प्रादेशिक प्रभुता के अतिक्रमण की घटनाओं के बावजूद मौन साधे रहें।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : चीन के साथ हमारा जो संघर्ष है उस पर हमारी विदेशों के प्रसंग में सब से अच्छी प्रकार से चर्चा की जा सकती है। स्वतंत्र होने के बाद हम पर कुछ सीमा-

†मूल अंग्रजी में

वर्ती क्षेत्रों के प्रशासन का दायित्व आया जो अंग्रेज़ों के प्रशासन के अधीन नहीं थे। हम से गलती यह हुई कि हम चीन के व्यवहार को ठीक ठीक नहीं समझ सके। तब भी हमें शीतयुद्ध आरम्भ नहीं करना चाहिये जैसाकि सरकार के कुछ विरोधी लोगों की राय है। हमारे सामने एक ही रास्ता रह गया है और वह यह है कि हम अपने प्रतिरक्षा प्रबन्धों को सुदृढ़ बनायें और ऐसा किया जा रहा है। हम इस समय दुस्साहस का कोई कार्य नहीं कर सकते। चीन के साथ वार्ता करने से हमारी कोई हानि न होगी।

हम चीन को स्थायी रूप से अपना शत्रु नहीं बना सकते ; हम ने सीमा पर पहले कार्यवाही नहीं की, यह हम से गलती हुई है। इसे सुधारा जा रहा है।

जहां तक चीन के साथ हमारे पत्र व्यवहार का संबंध है, चीन को कुछ गलतफ़हमी हुई है। चीन की दलीलें १९६० में तयार किये गये एक नक्शे पर आधारित हैं, जबकि हमारी दलीलें १९५६ के नक्शों पर आधारित हैं।

चीन के सम्बन्ध में भारत सरकार जिस नीति का अनुसरण कर रही है, वह पूर्णतया व्यवहारिक है। इस से देश की सुरक्षा मजबूत होगी और इस की प्रभुसत्ता की भी रक्षा होगी।

राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा) : श्रीमान् जी, मैं दो हैसियतों से इस पर बोलूंगा, एक तो मैं संसार संघ के विचार से बोलूंगा और एक मैं धार्मिक विचार से बोलूंगा। तो मेरी दो हैसियतें हैं।

संसार संघ के विचार से तो मैं यह कहता हूं कि सब से अच्छी बात तो यही है कि हम इन तमाम मसलों को यू० एन० ओ० के मारफत तै कराएं।

वैसे तो मेरे तीन सुझाव हैं। मेरा अपना यह कहना है कि अगर हम चीन से इस तरह की सन्धि करें कि हिन्दुस्तान, चीन और जापान मिल कर अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को उन जगहों पर भेजें जहां पर खाली जगहें पड़ी हैं, तो मेरा अपना खयाल है कि चीन हमारे साथ चलेगा, चीन का इसमें लाभ है। इन पहाड़ों में चीन को कुछ फायदा नहीं है। मैं यह एक चीज पेश करता हूं।

दूसरी चीज मैं यह पेश करता हूं कि अगर आपने चीन पर दबाव ही डालना है तो जैसा मैंने श्रीमान प्रधान मंत्री जी से निवेदन किया था, वह तरीका यह है कि हम जापान के साथ, ताइवान के साथ, सैगोन के साथ, फिलिपीन के साथ और थाई के साथ समझौता करें और अपना दबाव डालें चीन पर। मगर अफसोस मुझे यह है कि हमारे प्रधान मंत्री जी इधर ध्यान नहीं देंगे। जब मैंने उनको एक खत भी लिखा कि साहब आप कोई मसला हल नहीं कर पाये हैं, न चीन का मसला हल कर पाए हैं, न पाकिस्तान का मसला हल कर पाए हैं, न सीलोन का मसला हल कर पाए हैं और नेपाल और बर्मा में हिन्दुस्तान के और ज्यादा विरुद्ध विचार उत्पन्न होते जाते हैं, तो उन्होंने सिर्फ यह कह दिया कि आपके विचार कुछ और हैं और सरकार के विचार कुछ और हैं।

मेरा यह बिल्कुल खयाल नहीं है कि मैं सरकार का विरोध ही करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कोई कांग्रेसी भाई अपने को ज्यादा कांग्रेसी न समझें। मैं सन् १९०६ से लेकर १९५२ तक कांग्रेसी रहा हूं यानी ४६ साल। बहुतों की तो इतनी उम्र भी नहीं होगी। और फिर भी कांग्रेसियों ने मुझे निकाला, मैंने इस्तीफा नहीं दिया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप यह न समझें कि मैं आपके खिलाफ बोल रहा हूं। यह सरकार हमारी सरकार है। यह हमारा हाउस है। यहां जितने हम बैठे हैं सब मिल कर देश की कुछ सेवा करना चाहते हैं। तो मैं जो कुछ कहता हूं वह सिर्फ इस विचार से कहता हूं कि जो किसी प्रकार से हमारी सरकार नहीं कर पा रही वह मैं करना चाहता हूं।

[राजा महेन्द्र प्रताप]

मेरा यह खयाल है कि चीनी लोग इतने बुरे नहीं हैं। मैं चीन में रहा हूं। चीन में हमारे लिये बहुत अच्छे विचार हैं। वहां पर बौद्ध धर्म के जगह जगह मन्दिर हैं। मैं खुद मन्दिरों में रहा हूं। मुझे तो चीनी लोग भी और जापानी लोग, जहां भी मैं रहा हूं, नया बुद्ध समझते रहे हैं। यह मैं नहीं कहता। यह वह समझते रहे हैं क्योंकि ऐसा हुआ कि बुद्ध भगवान ने २९ वर्ष की उम्र में घरबार छोड़ा था और मैंने २८ वर्ष की उम्र में घरबार छोड़ा। यह भी हुआ कि जब मेरी २२ साल की उम्र थी तो मैंने साढ़े २७ हजार रुपये साल की आमदनी वाली जायदाद दान में दी थी। यह तो इतिहास की बात है और यह मैं कोई बना कर नहीं कह रहा हूं। मेरा कहना यह है कि जापान, चीन और तिब्बत में लोग मेरी बहुत इज्जत करते थे। पहले जो दलाई लामा थे उनका मेरे पास अभी तक एक खत मौजूद है और वह खत मैंने इन मौजूदा दलाई लामा को दिखाया था। उसमें उन्होंने लिखा है कि आपने सब कुछ इस तरह से फेंक दिया जैसे कोई थूकता है। मेरा कहना यह है कि आप मेहरबानी करके मुझे मौका दीजिये ताकि मैं इस मसले को हल करूं।

चीन के मसले को हल करना मेरे खयाल में बहुत आसान है। वैसे अभी कल या परसों यूगोस्लाव के जलसे में मुझे चीनी सफीर मिले। मैंने उनसे हाथ मिलाया। मैंने उनसे कहा कि जनाब आप मुझे अपना दोस्त समझते हैं या दुश्मन। मैं ताईवान हो आया हूं। उन्होंने कहा कि आप ताईवान ही नहीं हो आये बल्कि आपने तो हमारी सरकार के खिलाफ भी बहुत कुछ लिख डाला। मैंने कहा कि वह भी मैंने अच्छे विचारों से और आपके साथ दोस्ती के खयाल से लिखा था। अब मेरा यह कहना है कि चूंकि मेरे दिल में कोई बुराई नहीं है इसलिए वे लोग मेरी बात को बड़े अच्छे तरीके से सुनते हैं। मैं यह भी बतला दूं कि मैं तो चीनी सरकार का मेहमान भी रहा हूं और मुझे एक दफा नानकिंग में बैठ कर जब मैं उनका अखबार निकालता था तो ५०० डालर महीना देते थे। अब यह जो पेकिंग में बड़े बड़े लोग हैं उनमें भी मेरे दोस्त हैं। जो वहां के उप प्रधान मंत्री हैं वह और मैं सन् १९२५ में एक जगह पेकिंग में बोले थे। वहां के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मैं उनका मेहमान रहा हूं। मास्को में मैं उनसे मिला। मेरे कहने का मतलब यह है कि वह तो पुरानी बातें हैं लेकिन आजकल जो लोग हैं उनसे भी मेरा ताल्लुक है।

चीन के मसले को हम तीन तरीके से हल कर सकते हैं। धार्मिक तरीके से हम उसको हल कर सकते हैं और बुद्ध धर्म का प्रचार करके कर सकते हैं। मेरा यह भी दावा है कि कम्युनिस्टों को भी मैं समझा सकता हूं कि भाई आप गलत खयाल में पड़े हुए हैं। अब यह वहां पर तस्वीर है।

अभी परसों या तरसों के जलसे की बात है कि पोलैंड का ऐम्बेसेडर मेरे पास आया ..... मुझे मालूम नहीं था कि वह पोलैंड का ऐम्बैसेडर है उसने मुझसे हाथ मिलाया और फिर उसने कहा कि He is the most courageous man in the country.

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

राजा महेन्द्र प्रताप : खैर, जैसी आपकी आज्ञा वैसे कहना तो मुझे बहुत कुछ था। सीधी सी बात यह है कि चीन, पाकिस्तान और सीलोन के मसले को मैं हल कर सकता हूं अगर आप मुझे मेहरबानी करके मदद करें और मैं यह भी यकीन दिला दूं कि उसकी तारीफ सरकार के हाथ में रहेगी। मैं तो एक सेवक की तरह से सेवा करूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय प्रधान मंत्री कल उत्तर देंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१-६२

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सदन अनुदानों की अनुपूरक मांगों की चर्चा करेगा ।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
२	उद्योग	१,०००'
१९-क	दादरा और नगर हवेली क्षेत्र	२१,२८,०००
३४	राज्यों को सहायता नुदान	१,०००
४१	पशु-पालन	१,०००
६०	गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग और व्यय	१,०००
९०	प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत	५४,००,०००
१३२	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय का पूंजी व्यय	६,७५,००,०००
१३७	परिवहन तथा संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	२,८३,००,०००

अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती प्रस्ताव का आधार	कटौती की राशि
१३२	१२	श्री नौशीर भरूचा	इस्पात संयंत्रों के संशोधित अनुमान	१०० रुपये
१३२	१३	श्री नौशीर भरूचा	इस्पात संयंत्रों में उत्पादित इस्पात की प्रति टन लागत का न बताया जाना	१०० रुपये
१३२	१४	श्री नौशीर भरूचा	हिन्दुस्तान स्टील का वापस न दे सकना	१०० रुपये
१३२	१५	श्री नौशीर भरूचा	इस्पात संयंत्रों का पूंजी ढांचा	१०० रुपये
१३२	१६	श्री नौशीर भरूचा	इस्पात संयंत्रों का उत्पादन लक्ष्य पूरा न कर सकना	१०० रुपये
१३२	१७	श्री नौशीर भरूचा	हिन्दुस्तान स्टील पर अत्यधिक व्यय	१०० रुपये
१३७	१९	श्री नौशीर भरूचा	एयर इन्डिया इन्टरनेशनल का विदेशी सम्पत्तियों से मुकाबला न कर सकना	१०० रुपये
१३७	२०	श्री नौशीर भरूचा	एयर इन्डिया इन्टरनेशनल की वित्तीय कठिनाइयों के कारण	१०० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नौशीर भरूचा :** (पूर्व खानदेश) मैं हिन्दुस्तान स्टील लि० की मांग के बारे में सदन का ध्यान इन तीन समवायों के बढ़ते हुए व्यय की ओर दिलाना चाहता हूं। इस व्यय का कोई अन्त ही नहीं प्रतीत होता।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इन तीन इस्पात संयंत्रों के अत्यधिक संशोधित अनुमानों की कोई सीमा होनी चाहिए।

सरकार ने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के हिस्से खरीदने के लिये ६७५ लाख रुपये की मांग की है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या पूंजी ढांचे को धीरे धीरे बदला जायेगा। बड़े आश्चर्य की बात है कि इस्पात संयंत्रों पर इतना व्यय हो चुका है, तब भी उन पर और राशियां खर्च की जा रही हैं। यह भी आश्चर्य की बात है कि मंत्री जी इस्पात की प्रति टन लागत बताने में क्यों हिचकचाते हैं। इन तीन संयंत्रों में उत्पादन भी लक्ष्य से बहुत कम है।

मांग संख्या १३८ के बारे में सरकार को यह बताना चाहिए कि उस ने दिल्ली में जो भूमि १४ आने प्रति वर्ग गज़ अर्जित की थी, उसे अब शरणार्थियों को ३० से ४० रुपये तक की दर से बेची जा रही है। यदि यह मुनाफ़ाखोरी नहीं है तो और क्या है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं अपना भाषण मांग संख्या ३४, ४१ और १३२ तक ही सीमित रखूंगा।

तीसरी योजना के दौरान ५०० छात्रवृत्तियां देने की योजना बहुत अच्छी है। किन्तु प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के बच्चों के लिए योग्यता के आधार पर छात्रवृत्तियों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए, क्योंकि उन की हालत बहुत खराब है। उन के लिए केवल पांच छात्रवृत्तियां बहुत कम हैं।

मांग संख्या ४१ के बारे में मैं कहूंगा कि पशु-पालन की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। कुछ मंत्रालयों ने खेत अपने नियंत्रण में ले लिये हैं, जिस के कारण पशुओं के चरने के लिए भूमि नहीं रही।

मैंने इस्पात कारखानों का दौरा किया है और देखा है कि कुछ स्थानों पर बहुत अपव्यय हो रहा है, पदोन्नति के मामले में बहुत पक्षपात किया जाता है, जिस के कारण लोगों के काम करने की प्रेरणा कम हो रही है। इस मांग के लिये ६ करोड़ रुपये की मांग की मंजूरी देने से पहले इस्पात संयंत्रों के प्रशासन की पूरी जांच की जानी चाहिये।

सरकार को यह प्रबन्ध करना चाहिये कि 'टिरको' और 'इरको' द्वारा सत्तारूढ़ दल को जो चन्दे दिये जाते हैं उन से सरकार की इस्पात के संधारण मूल्य सम्बन्धी नीति प्रभावित न हो। मैं चाहता हूं इस्पात का मल्य कम किया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : (मदुरै) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
३४	५	श्री तंगामणि	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना का योग्यता के आधार पर चलना	१०० रुपये
६०	१०	श्री तंगामणि	जनशक्ति अनुसंधान संस्था का कार्यक्षेत्र और संचालन	१०० रुपये
९०	११	श्री तंगामणि	प्रकाशपोत सामान के निर्माण के लिए भारतीय क्षमता का प्रयोग न करना	१०० रुपये
१३७	२१	श्री तंगामणि	बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये वाइकाउण्ट न लेना	१०० रुपये

मांग संख्या १९ में जो पांडिचेरी राज्य के बारे में है सरकार ने ४००० रुपये की राशि की मांग की है। यह राशि उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त डिक्री के अनुसार पांडिचेरी के विसी सम्वाय को दी जानी है। उस क्षेत्र में कुछ कानूनों के लागू न होने के फलस्वरूप गत्यवरोध उत्पन्न हो गया है। यह आवश्यक है कि सब विधियां उन क्षेत्रों में लागू की जायें। माननीय मंत्री को बतलाना चाहिए कि इस विषय में क्या प्रगति हुई है। राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों को जन संख्या के आधार पर नहीं देना चाहिये, बल्कि योग्यता के आधार पर और अखिल भारतीय आधार पर देनी चाहिए।

दूसरी मांग जन शक्ति गवेषणा परिषद् से संबंध रखती है। इसके लिये हमने ६९ लाख रुपये मंजूर किये हैं। तथापि यह स्पस्ष्टीकरण नहीं किया गया है कि सरकार से स्वतंत्र रह कर यह संस्था किस प्रकार अपना कार्य करेगी।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव मांग संख्या ९० पर है। इस मांग के अधीन हम यूगोस्लाविया से १५६ लाख रुपये की मशीनें खरीदेंगे जिसमें से हम ५४ लाख रुपये मंजर कर चुके हैं। मेरा प्रस्ताव इस कटौती प्रस्ताव से केवल यही है कि हम भारत इलेक्ट्रोनिक्स के द्वारा निर्मित सामान का किस अंश तक उपयोग कर रहे हैं।

अंत में मैं मांग संख्या १३७ को लेना चाहता हूं। इसके अधीन हमने २,८३,००,००० रुपये मंजूर किये हैं। इस संबंध में मेरा विचार है कि बोईंग ७०७ जैट विमान खरीदने के बजाय, जिस के लिये २ ८३ करोड़ रुपये की मांग की गई है, तथा वाइकाउन्ट और स्काई मास्टर विमानों के स्थान पर नये विमान लाने का प्रयत्न करना चाहिये।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** (खम्मम) : यह हर्ष का विषय है कि जन शक्ति संबंधी व्यावहारिक अनुसंधान संस्था को गृह-मंत्रालय के अधीन रखा जा रहा है। इसकी उपयोगिता देखते हुए इसे भी संविहित निकाय घोषित किया जाना चाहिये। सरकार को इस

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त० ब० विट्ठल राव]

संबंध में विधान पारित करना चाहिये क्योंकि इसे जब तक स्वाधीन संहित निकाय का दर्जा नहीं दिया जायेगा तब तक यह संस्था अच्छी तरह काम नहीं कर सकती है।

ओजार, टैक्नोलाजी और डिजायन संस्था को वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन रखा गया है जब कि उसे वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय के अधीन रखा जाना चाहिये। इस संस्था का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। तथापि इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। वस्तुतः इस संस्था के संबंध में एक विधान तत्काल बनाया जाना चाहिये। ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री महोदय इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं कर रहे हैं।

अब मैं हिन्दुस्तान स्टील के मामले को लेता हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि भिलाई परियोजना के अन्तर्गत लोहे की खानों में सेवायुक्त जिन कर्मचारियों की छंटनी की जाने वाली है उन्हें कोई और रोजगार दिया जाये यदि संभव न हो तो उन्हें उचित मुआवजा दिया जाये।

विदेशी बैंकों से सूद की किस दर पर ऋण लिया जाने वाला है यह बताया जाना चाहिये था।

†**इस्पात खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की मांगों के संबंध में कुछ बातें कहीं गयी हैं। श्री त० ब० विट्ठलराव ने यह कहा है कि भिलाई इस्पात परियोजना से संलग्न लोह अयस्क की खानों में कर्मचारियों की छंटनी की जाने वाली है। राजपारा खान का यंत्रीकरण किया जा रहा है। इस से कुछ कर्मचारी कुछ फालतू हो जायेंगे, यदि खनन कार्य बढ़ता तो ये खपाये जा सकते थे, किन्तु इस्पात संयंत्र के विकास कार्यक्रम में ऐसा करना संभव नहीं है।

---

*कोयला खान भविष्य निधि योजना

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : मैं २० नवम्बर, १९६१ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १ के असंतोषजनक उत्तर से संबंधित आधे घंटे की चर्चा आरम्भ करता हूं। यह चर्चा कोयला खान भविष्य निधि में अंशदान की दर बढ़ाने के संबंध में थी।

इस संबंध में माननीय श्रम और रोजगार मंत्री ने जो आश्वासन दिये उन्हें पांच वर्ष पश्चात् भी क्रियान्वित नहीं किया गया। हम इस वृद्धि के लिये निरंतर प्रयत्नशील हैं। तथापि सरकार ने अभी भी इस मामले में कोई निश्चय नहीं किया है। पिछली बार जब इस मामले पर चर्चा हुई थी। तब श्रम और रोजगार उपमंत्री ने यह कहा था कि इस मामले पर औद्योगिक समिति पर चर्चा होगी। समिति की बैठक २५, २६ अप्रैल, १९६१ को हुई थी उस में नियोजकों के प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। और जब मैं ने अध्यक्ष से इस संबंध में जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस पर निर्णय करना सरकार के ऊपर छोड़ दिया है।

---

*आधे घंटे की चर्चा।

†मूल अंग्रेजी में

इनामी बांडों की लाटरियां निकालने के उत्सव का उद्घाटन करते समय उन्होंने कहा था कि हमें योजना के लिये संसाधन अपने देश में ही पैदा करने होंगे। यदि आप भविष्य निधि में अंश दान की दर बढ़ा देवें तो इसमें श्रमिकों का कुल अंशदान ७५ लाख रुपये होगा इसी प्रकार नियोजकों से ७५ लाख रुपये जमा हो जायेंगे। अतः मेरे विचार से मंत्री महोदय को अपने ही विभाग से उदाहरण रखना चाहिये।

इस संबंध में यह स्मरण रखना चाहिये कि कोयला खनिकों की उत्पादकता ०·३५ टन थी वह अब बढ़ कर ०·५३ हो गयी है।

इस संबंध में हम ने कुछ उद्योगों का उल्लेख किया था जहां यह योजना तत्काल लागू की जा सकती है। उदाहरणार्थ कागज सूत और सिगरेट उद्योग में। इसके पश्चात् इन्होंने एक टैक्नीकल समिति नियुक्त की हम ने इस समिति का बहिष्कार किया क्योंकि हमें विश्वास था कि इसकी दर अवश्य बढ़नी चाहिये। तथापि समिति ने इस बात का समर्थन किया।

हम चाहते हैं कि अंशदान के प्रयोजन के लिये इसमें उत्प्रेरक बोनस भी शामिल कर दिया जाये। यह मामला विधि मंत्रालय को भेजा गया था। हम नहीं जानते कि इस मामले पर विधि मंत्रालय अपना क्या निर्णय देगा। तथापि इस मामले में अधिक विलम्ब करना अनुचित है। अतः मैं सरकार से पुरजोर अनुरोध करता हूं कि इसको तत्काल क्रियान्वित किया जाये।

†**डा० मेलकोटे** (रायचूर) : पिछले वर्षों में मजूरों की मजूरी में वृद्धि हुई है अतः मजूर भविष्य निधि की दर बढ़ाने को तैयार है। साथ ही सरकार भी अपना अंशदान करने को तयार है। इतना होने पर भी इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

यह भी स्मरण रखना चाहिये कि कोयले की धूल साथ के साथ जाने के कारण मजूर की जिन्दगी के दिन कम हो जाते हैं अतः इस उद्योग में अन्य उद्योगों से भविष्य निधि की राशि बढ़ाने की अधिक आवश्यकता है।

अतः मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव का पुरजोर स्वागत करता हूं।

†**योजना और श्रम तथा रोजगार उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : भविष्य निधि के अंशदान की दर बढ़ाने के संबंध में कोई मतभेद नहीं है। वस्तुतः हम इस बात को न केवल सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार कर चुके हैं अपितु हम इसे व्यवहारतः भी स्वीकार कर चुके हैं। अब केवल इसे क्रियान्वित करना बाकी है। इस संबंध में अंतिम निर्णय इस वर्ष के अंत तक कर लिया जायेगा। निसंदेह प्रक्रिया संबंधी बातों में कुछ दिनों का विलम्ब हो सकता है।

जहां तक हमारी श्रम संबंधी निति का सवाल है वह बहुत प्रगतिशील रही है और वास्तव में वह कई सामाजिक देशों की नीतियों से भी अधिक प्रगतिशील है।

तथापि श्री विट्ठल राव इस से इन्कार नहीं कर सकते हैं कि इस बीच श्रमिकों की मजूरी ५० से ६० प्रतिशत तक बढ़ी है। इस संबंध में हम एक द्विपक्षीय समिति भी नियुक्त कर चुके हैं। मेरे विचार से उन्होने निर्णय कर लिया है। तथापि जहां तक कोयला खान श्रमिकों का प्रश्न है इसके व्यापक परिणाम होने की आशा है। इस संबंध में रेलवे इस्पात कारखानों इत्यादि को जो कि कोयले की खपत करते हैं हमें पूछना होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ल० ना० मिश्र]

जहां तक श्रम मंत्रालय का प्रश्न है हम इस बात का निश्चय कर चुके हैं कि अंशदान की दर में वृद्धि होनी चाहिये । इस में वस्तुतः अधिक विलम्ब भी नहीं हुआ है । हम इसे इस वर्ष के अंत तक करने में ही समर्थ होते । अतः यहां इस प्रकार के असंगत प्रश्न उठाने बेकार हैं। हम इसे क्रियान्वित करना चाहते हैं अतः उन्हें इस संबंध में कोई संदेह नहीं होना चाहिये । मुझे आशा है कि इस संबंध में अधिक विलम्ब नहीं होगा

†उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब आज के लिये स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, ५ दिसम्बर, १९६१ / १४ अग्रहायण, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

सोमवार, ४ दिसम्बर, १९६१
१३ अग्रहायण, १८८३ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या		
५२७	डाक तथा तार सेवा आयोग	१३६५–६६
५२९	अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिए प्रविधिक सहायता बोर्ड	१३६७
५३०	भुवनेश्वर स्टेशन का नव-निर्माण	१३६७–६८
५३१	पर्वतीय क्षेत्रों में कम शक्ति वाले टर्बाइन	१३६९–७०
५३३	तम्बाकू के संबंध में अनुसंधान	१३७०–७१
५३४	खाद्यान्नों का रक्षित भंडार	१३७१—७३
५३५	धान की खेती	१३७३–७४
५३६	हुगली नदी में तलकर्षण	१३७४—७६
५३८	कोयला खानों से कोयले का ले जाया जाना	१३७७—७९
५३९	दामोदर घाटी निगम परियोजना	१३७९—८२
५४०	उड़ीसा में बाढ़ें	१३८२–८३
५४१	कोचीन में जहाज बनाने का दूसरा कारखाना	१३८३–८४
५४२	आगरा में अनधिकृत गाइड	१३८५–८६
५४३	लोक-सभा की सदस्यता के लिए इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारी	१३८६
५४४	एक्सप्रेस डिलीवरी	१३८६—८८
५४५	कांडला पत्तन में चोरियां	१३८८
५४६	भारत से बर्मा की मनीआर्डर सेवा	१३८८–८९
५४७	दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के लिए अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना	१३८९
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१३९०
तारांकित प्रश्न संख्या		
५२८	कारखानों में वैगनों का निर्माण	१३९०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः		
तारांकित प्रश्न संख्या		
५३२	दिल्ली में परिवहन सहकारी समिति	१३९१
५३७	अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था . . .	१३९१
५४८	कोलम्बो में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के वाइकाउन्ट का दुर्घटना ग्रस्त होना . . .	१३९२
५४९	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की शीतकालीन उड़ान समय-सूची में परिवर्तन .	१३९२
५५०	नई दिल्ली--पेरिस रेल संपर्क	१३९३
५५१	बम्बई-आगरा सड़क	१३९३
५५२	आदरा जंकशन पर लूट .	१३९३–९४
५५३	ट्रांसमीटरों की स्थापना .	१३९४
५५४	हिन्दुस्तान शिपयार्ड .	१३९४
५५५	वाणिज्यिक विपणन दायित्व . .	१३९४–९५
५५६	आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियां .	१३९५
५५७	कोचीन में जहाज बनाने का कारखाना .	१३९५
५५८	सांगली के निकट विमान दुर्घटना . .	१३९५–९६
५५९	हुगली नदी के तल में रेत जमा हो जाना .	१३९६
५६०	दिल्ली की शटल सेवा का विस्तार . .	१३९७
५६१	धनुषकोडि और तलइमन्नार के बीच नाव सेवा .	१३९७
५६२	महाराष्ट्र में अकाल की स्थिति .	१३९७–९८
५६३	जहाजों से कोयले का परिवहन . .	१३९८
५६४	कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र .	१३९८–९९
५६५	भारत में दूसरा टेलीफोन कारखाना . .	१३९९
५६६	बिजली के इंजन . .	१३९९
५६७	भारत--लंका विमान सेवा . .	१४००
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१०८२	गुलमर्ग में शीत ऋतु का खेलकूद केन्द्र . .	१४००–०१
१०८३	बटाला स्टेशन में दर्ज की गई शिकायतें .	१४०१
१०८४	उत्तर रेलवे पर चोरियां . . .	१४०१–०२
१०८५	पठानकोट और बटाला स्टेशनों का नव-निर्माण . .	१४०२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या		
१०८६	दिल्ली में सड़कें	१४०२
१०८७	स्टेशनों का नव-निर्माण	१४०२–०३
१०८८	रेलवे डाक्टरों के लिए क्वार्टर	१४०३
१०८९	विमानों द्वारा यात्रा करने वाले यात्री	१४०३
१०९०	मध्य प्रदेश में परिवार नियोजन	१४०३
१०९१	महाराष्ट्र चिकित्सा और स्वास्थ्य योजनायें	१४०४
१०९२	महाराष्ट्र में ग्राम्य जल-संभरण योजनायें	१४०४–०५
१०९३	शिमला हिल से चकराता तक सड़क	१४०५
१०९४	काश्मीर में कालाकोट में तापीय बिजली घर	१४०५
१०९५	चीनी के कारखाने	१४०६
१०९६	रेलगाड़ियों में यात्रियों की हत्या	१४०६
१०९७	रेलगाड़ियों में डकैतियां	१४०६–०७
१०९८	राजपुरा में ऊपरी पुल	१४०७
१०९९	पंजाब में चीनी के कारखानों के मालिक	१४०७
११००	होशियारपुर और दसुआ के बीच ट्रंक टेलीफोन की व्यवस्था	१४०८
११०१	रेलवे लाइन का टूट जाना	१४०८
११०२	रेलवे की जमीन	१४०८–०९
११०३	बटाला स्टेशन	१४०९
११०४	मथुरा रोड, दिल्ली में के अतिरिक्त दूसरी सड़क	१४०९
११०५	खाद्यान्नों के मूल्यों में कमी	१४०९–१०
११०६	वारंगल स्टेशन	१४१०
११०७	दामोदर घाटी निगम का विद्युत विभाग	१४१०
११०८	स्नातकोत्तर चिकित्सा अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन	१४१०–११
११०९	अग्रिम परियोजनायें	१४११
१११०	हस्तिनापुर में चीनी का कारखाना	१४११
१११९	आयुर्वेदिक औषधि संहिता	१४११
१११२	दामोदर घाटी निगम अधिनियम	१४१२
१११३	उड़ीसा में जल संभरण योजनायें	१४१२
१११४	केन्द्र में सड़क मंडल	१४१२
१११५	शाहदरा, दिल्ली में मानसिक चिकित्सालय	१४१३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१११६	बर्मा से चावल	१४१३
१११७	तूतीकोरिन बन्दरगाह	१४१३
१११८	वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना	१४१४
१११९	नई-दिल्ली नगरपालिका	१४१४–१५
११२०	डाक तथा तार विभाग की आय	१४१५
११२१	सैंकीन	१४१५–१६
११२२	चीफ कंजरवेटर आफ फोरेस्ट	१४१६–१७
११२३	नई दिल्ली नगरपालिका	१४१७
११२४	कटनी–शहडौल सैक्शन में दुर्घटना	१४१७–१८
११२५	पशुओं में पांव और मुंह का रोग	१४१८
११२६	एशियाई रेलवे कान्फ्रेंस	१४१८–१९
११२७	स्कूल जाने वाले बच्चों को वर्दियों का मुफ्त दिया जाना	१४१९
११२८	पर्यटक पथ प्रदर्शक (टूरिस्ट गाइड्स) के रूप में सरकारी कर्मचारी	१४१९–२०
११२९	सड़क दुर्घटनायें	१४२१
११३०	डाक्टरों का प्रशिक्षण	१४२१
११३१	वनस्पति घी के कारखाने	१४२१–२२
११३२	सिंचाई और विद्युत् परियोजनायें	१४२२
११३३	प्लास्टिक के शहद के छत्ते	१४२२–२३
११३४	कांडला और झुंड के बीच रेलवे लाइन	१४२३
११३५	यातायात कर्मचारियों के लिए इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन का प्रशिक्षण	१४२४
११३६	राज्यों में पानी का रुक जाना	१४२४
११३७	असम में भूकम्प	१४२४
११३८	अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा	१४२५
११३९	अलीगढ़ में यात्रियों पर आक्रमण	१४२५
११४०	टेलीफोन जिला अधिकारियों के पास मोटर साइकिलें	१४२५
११४१	भवन निर्माण मजदूरों की मजूरी की दर	१४२५–२६
११४२	उड़ीसा में सूखा	१४२६
११४३	एक मजिस्ट्रेट द्वारा डी० टी० एस० सैलून का प्रयोग	१४२६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

११४४	रेलवे द्वारा चीनी की ढुलाई	१४२६-२७
११४५	रक्त चाप	१४२७
११४६	बर्मा को मनीआर्डर सेवा	१४२७
११४७	मैसूर राज्य में चीनी के कारखाने	१४२७-२८
११४८	डाक तथा तार कर्मचारियों के लिए आवास	१४२८
११४९	डाकखानों और रेलवे मेल सर्विस के इंसपेक्टर	१४२८-२९
११५०	दामोदर और महानदी नदियों के लिए बाढ़ चेतावनी केन्द्र	१४२९
११५१	ऊह्ल जलविद्युत् योजना	१४२९
११५२	कामनवैल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ़ बायोलोजिकल कन्ट्रोल, बंगलौर	१४३०
११५३	अपर इंडिया एक्सप्रेस में यात्रियों को चोटें	१४३०-३१
११५४	भारत और पाकिस्तान में पूर्वी नदियों के जल का वितरण	१४३१
११५५	कथुआ—जम्मू रेल सम्पर्क	१४३१
११५६	ऊह्ल जलविद्युत् परियोजना और व्यास—सतलुज सम्पर्क परियोजना	१४३१
११५७	भारतीय रेलवे के लॉ इन्स्पेक्टरों का वेतन क्रम	१४३२
११५८	ग्राम सहकारी समितियां और पंचायतें	१४३२-३३
११५९	सिलेरू में त्रिदलीय सम्मेलन	१४३३
११६०	माताटीला बांध	१४३४
११६१	त्रिपुरा में भूमिहीन कृषक	१४३४
११६२	उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थायें	१४३४-३५
११६३	खाद्य पदार्थों में मिलावट	१४३५-३६
११६४	मलीपुर और बिलवई के बीच स्टेशन	१४३६
११६५	उत्तर प्रदेश में नई लाइनें	१४३६
११६६	बीना—कोटा लाइन पर स्टेशन	१४३७
११६७	टीके की सीरम	१४३७-३८
११६८	दिल्ली में चेचक के टीके	१४३८-३९
११६९	यमुना की बाढ़	१४३९
११७०	स्मृति टिकट	१४३९-४०
११७१	दिल्ली में रेलवे फाटक	१४४०-४१
११७२	पंजाब में उद्यानविद्या का विकास	१४४१

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
११७३	गाड़ियों का देर से चलना . . .	१४४१-४२
११७४	ज्वाइंट स्टीमर कम्पनीज़ . .	१४४२
११७५	चीनी के उत्पादन में कमी	१४४२-४३
११७६	यात्रा अभिकर्ताओं (ट्रेवल एजेन्ट्स) पर बकाया राशि .	१४४३
११७७	यात्रा अभिकर्ता (ट्रेवल एजेन्ट) . . .	१४४३-४४
११७८	तूतीकोरिन –कोलम्बो नौवहन सेवा . . .	१४४४-४५
११७९	कलकत्ता –गौहाटी –मोहनबाडी फोकर फ्रेन्डशिप विमान सेवा .	१४४५
११८०	त्रिपुरा में वन रक्षित क्षेत्र .	१४४५
११८१	त्रिपुरा में बेदखली के नोटिस . . .	१४४५-४६
११८२	कलकत्ता-अगरतला विमान किराया . . .	१४४६
११८३	लुधियाना–चंडीगढ़ लाइन .	१४४६-४७
११८४	महाराष्ट्र में तापीय विद्युत् केन्द्र	१४४७
११८५	टेलीग्राफ और पोस्टल मास्टरों द्वारा अतिरिक्त समय के भत्ते का दावा	१४४७-४८
११८६	राजस्थान सर्किल के पोस्टमास्टरों की मुअत्तीली और बहाली	१४४८
११८७	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक . . .	१४४८-४९
११८८	भारत–ब्रिटेन विमान करार . . .	१४४९
११८९	पुलिनों का विकास और स्मारकों को सुन्दर बनाना .	१४४९
११९०	पूर्वोत्तर रेलवे के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारीरियों की भर्ती .	१४४९-५०
११९१	दोणकंल जंक्शन पर विकास-कार्य . . .	१४५०
११९२	काजीपेट जंक्शन	१४५०
स्थगन प्रस्ताव		१४५०–५३

अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों को, जिनकी सूचना उन के सामने बताये गये सदस्यों ने दी थी, पेश करने की अनुमति नहीं दी :—

(१) ३ दिसम्बर, १९६१ को दिल्ली में जामा मस्जिद के निकट मटिया-महल बाजार में बम विस्फोट, जिसके फलस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और अन्य व्यक्तियों को चोटें आयीं ।

विषय पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव--(क्रमशः)

(२) २ दिसम्बर, १९६१ को ग्यारह भारतीय यात्रियों को लन्दन के हवाई अड्डे पर उतरने नहीं दिया गया।

(३) उड़ीसा में चौदवार के स्थान पर उड़ीसा टैक्सटाइल मिल्स का बन्द होना जिस के फलस्वरूप बहुत से कामगर बेकार हो गये ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . १४५३–५५

श्री नौशीर भरूचा ने ब्रिटेन के राष्ट्र मंडल आप्रवासी बिल और इसके भारत और राष्ट्रमंडल के संबंध पर पड़ने वाले प्रभाव की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया ।

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री मती लक्ष्मी मेनन) ने उस संबंध में एक वक्तव्य दिया

सभा पटल पर रखा गया पत्र १४५५

खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, १९५४ की धारा २३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ४ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३४० में प्रकाशित खाद्य अपमिश्रण रोक (तीसरा संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखी गई ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १४५५

सचिव ने संसद की दोनों सभाओं द्वारा चालू अधिवेशन में पास किये गये और २० नवम्बर, १९६१ को सभा को दिये गये अन्तिम रिपोर्ट के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयक सभा पटल पर रखे :—

(१) भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) संशोधन विधेयक, १९६१ ।

(२) विदेशी पंचाट (मान्यता देना और लागू करना) विधेयक, १९६१ ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित १४५५

छब्बीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

विधेयक पुरस्थापित १४५६

(१) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६१

(२) विश्व भारती (संशोधन) विधेयक, १९६१ ।

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा	१४५७—८२
श्री वाजपेयी ने चीनियों द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र के अतिक्रमण की नवीनतम घटनाओं पर चर्चा उठाई । चर्च समाप्त नहीं हुई ।	
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१-६२. . .	१४८३—८६
वर्ष १९६१-६२ के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । बारह कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
आधे घण्टे की चर्चा	१४८६—८८
श्री त० ब० विट्ठल राव ने कोयला खान भविष्य निधि के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या १ के २० नवम्बर, १९६१ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई ।	
श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।	
मंगलवार, ५ दिसम्बर, १९६१/१४ अग्रहायण, १८८३ (शक) के लिये कार्यावली—	
विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६१ तथा संविधान (ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, १९६१ पर चर्चा और पारित करना तथा चीनियों द्वारा भारतीय सीमा में अतिक्रमण की नवीनतम घटनाओं पर अग्रेतर चर्चा और कलिंग एयर लाइन्स के बारे में चर्चा ।	

GIPND—L.S. III—1632(ai) L.S.—5-1-62-120.